सत्यमेव जयते

शनिवार,
२ मई, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

# संसदीय वाद विवाद

## (भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

## शासकीय वृत्तान्त



# लोक सभा

शनिवार, २ मई, १९५३

---

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गए: भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

---

**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं वित्त मंत्री से बहस का उत्तर देने के लिये कहूंगा।

## पैप्सू आय-व्ययक--सामान्य चर्चा

**वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: हालांकि कल की बहस का स्तर काफ़ी ऊंचा रहा है, परन्तु फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मैं ठीक तरह से नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। मैं ने अनुभव किया कि बहुत से माननीय सदस्यों ने उन परिस्थितियों की चर्चा करके, जिन के अन्तर्गत पैप्सू में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया था, फिर से एक पुराना विषय उठाया है। मैं ने इस पर विचार किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सदस्यों की दृष्टि से यह ठीक ही है क्योंकि आखिर चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और यह उचित ही है कि हरेक पार्टी के लोगों के सामने सही स्थिति रखने का प्रयत्न करे।

परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि हम एक अन्तरिम मामले पर विचार कर रहे हैं। यह सच है कि आयव्ययक के बनाने में एक से अधिक लोगों का हाथ दिखाई देता है परन्तु जैसी कि परिस्थितियां हैं, इस के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था। परन्तु जहां तक अन्तरिम अधिकारियों का सम्बन्ध है, ये लोग आय-व्ययक में कोई महत्वपूर्ण या मूल परिवर्तन नहीं कर सकते। विरोधी बेंचों से सब से अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य की बात का यही उत्तर मैं दे सकता हूं।

माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक बहुत मामूली सा आयव्ययक है। मैं यह कहूंगा कि जैसी परिस्थितियां हैं, उन के अनुसार यह आयव्ययक मामूली ही हो सकता था। परन्तु जैसा मैं ने राज्य परिषद् में कहा था, एक तरह से यह आयव्ययक मामूली नहीं है। हमारी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के आजकल के आयव्ययकों की भांति इस आय-व्ययक में भी पंच वर्षीय योजना के कुछ पहलुओं की झलक दिखाने का प्रयत्न किया गया है। यह सच है कि, जहां तक पप्सू का सम्बन्ध है, योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में कोई प्रगति नहीं हुई और यही वजह है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, कि वास्तविक कार्य दूसरे वर्ष में आरम्भ हुआ माना गया है, जिसे उस समय योजना का प्रथम वर्ष कहा गया था। दूसरे शब्दों में, पैप्सू योजना संभवतः चार वर्ष की योजना होगी, जिस का अर्थ, मैं समझता हूं, यह है कि या तो इस वर्ष आगे चल कर या अगले दो वर्षों में खर्चे की रफ्तार को बढ़ाना

[श्री सी० डी० देशमुख]

होगा। परन्तु जो कुछ भी हो, निश्चय ही यह एक ऐसा आयव्ययक है जिस में योजना के नमूने की झलक दिखाई देती है। इस विषय पर मैं बाद में फिर आऊंगा। इस से पहले मैं परामर्शदाता के शासन के बारे में सरसरी तौर पर कुछ कहूंगा।

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि, सब परामर्शदाताओं की तरह, इस परामर्शदाता का काम भी आसान है। यह बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति समझ सकता है कि एक परामर्शदाता में, जो किसी दूसरे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करता है, और एक प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में कितना अन्तर है। परन्तु इन बातों का ध्यान रखने के बाद भी, मैं समझता हूं यह देख कर ही अपना मत स्थिर करना चाहिय कि परामर्श-दाता का शासन किस प्रकार का है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है—कम से कम जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह बात कोई अधिक महत्व नहीं रखती कि परामर्शदाता का शासन पिछली सरकार के या उस से पहले वाली कांग्रेस सरकार के शासन के मुकाबला में कैसा है। हमारे लिये महत्व की बात तो यह है कि इस अन्तरिम काल में परामर्शदाता ने अपने कर्त्तव्यों का किस प्रकार पालन किया है। इस सम्बन्ध में मुझे मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि कुछ विरोधी सदस्यों ने, जो सरकार की हर बात की आलोचना करना अपना कर्त्तव्य सा समझने लगे हैं, बिल्कुल ग़लत और झूठी बातों पर विश्वास किया है। यह अच्छा होता यदि माननीय सदस्य सदन में इन आरोपों को दोहराने से पहले उन की सचाई के बारे में पूरा पता लगा लेते। परामर्शदाता का काम कठिन है और किसी दल द्वारा इस काम को और कठिन बनाने से कुछ लाभ नहीं निकल सकता।

एक विरोधी सदस्य ने कहा कि सिख विरोधी नीति का पालन करते हुए परमर्शदाता ने कार्यभार सम्भालते ही दो सिख अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की। यह एक बिल्कुल ग़लत बात है। परामर्शदाता प्रान्तीय सिक्ख नेताओं से बातचीत के दौरान में तथा अपने दो प्रेस सम्मेलनों में बता चुके हैं कि कुछेक अधिकारियों का स्थानान्तरण क्यों किया गया या उन की तरक्की क्यों की गई या उन्हें नीचे के पदों पर क्यों भेजा गया। मैं समझता हूं हरेक मामले की चर्चा करना यहां उचित नहीं, परन्तु एक मामला मैं अवश्य निर्दिष्ट करूंगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि दामोदर दास और प्रेम कुमार नाम के दो हिन्दू अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था हालां कि वे भ्रष्ट थे और उन के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों अथवा चुनावों में गड़बड़ करने के बारे में जांच चल रही थी।

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला भटिंडा): यह केवल एक अधिकारी के लिये कहा गया था।

**श्री सी० डी० देशमुख**: हम समझ रहे थे कि पहला आरोप भ्रष्टाचार के बारे में था, मैं समझता हूं माननीय मंत्री ने इसे ठीक कर के कहा था कि इस का सम्बन्ध दूसरे आरोप से भी है।

**सरदार हुक्म सिंह**: मैं ने दोनों आरोपों का केवल एक अधिकारी के बारे में ज़िक्र किया था।

**श्री सी० डी० देशमुख**: तो यह एक ही पदाधिकारी है, संभवतः प्रेम कुमार है। एक अधिकारी के विरुद्ध दो आरोप हैं—आपका धन्यवाद। मैं ने मामले की जांच की है और मुझे पता चला है कि जब पहला मंत्रि मंडल सत्तारूढ़ हुआ तो यह पदाधिकारी उप-आयुक्त—यह एक स्थानापन्न पद था—

के पद पर काम कर रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि उप-आयुक्तों के आचार के सम्बन्ध में उस मंत्रिमंडल के नैतिकता के असाधारण उच्च माप दंड थे। उन्हें पता लगा कि कुछ ऋण के प्रार्थना-पत्रों को रद्द कर ने कुछ अस्त्रों की अनुज्ञप्तियां रद्द करने और अन्त में अपने आंगन में खड़े कुछ वृक्षों को काट गिराने के अविवेक पूर्ण कार्यों के आरोप उस के विरुद्ध थे। मुझे विश्वास है कि वे कुछ सूखे वृक्षों की टहनियां थीं जो उस ने काटी थीं। सूखी लकड़ी को अलग कर देना सदा अच्छी बात है, परन्तु इसे गम्भीर अपराध समझा गया। मैं फिर कहता हूं कि उस के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था और न ही उस के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप है।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या कोई पूछताछ लम्बित नहीं है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : पहले के मंत्रि-मंडल द्वारा आरम्भ की गई विभागीय पूछताछ का सम्बन्ध केवल उन शिकायतों से है जो मैं ने अभी कही हैं। यह तथ्य है, मैं माननीय सदस्य को इस का विश्वास दिलाता हूं।

अब यदि निष्पक्षता से पैप्सू की स्थिति को देखें तो मैं अनुभव करता हूं कि ये शिकायतें इस प्रकार की नहीं थीं कि इन से उस की पदा-वनति की जाती, और मंत्रणाकार ने निश्चय ही सक्षम पदाधिकारियों को पाने में कठिनाई देखकर प्रेम कुमार को ऐसे ज़िला में उप-आयुक्त के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया है। जो मैं कह सकता हूं कि पैप्सू में सब से छोटा ज़िला है। इस लिए मेरा यह खयाल है कि यह बहुत कम महत्व की बात है जिस में अत्याधिक अतिशयोक्ति की गई है।

एक यह भी आरोप था कि २० सिख पदाधिकारियों को निकाला गया है। अब मुझे पता लगा है कि कोई सिख पदाधि-कारी निकाला अथवा पदच्युत नहीं किया गया। मुझे आशा है कि निकाला शब्द दोहराते हुए मैं ठीक कर रहा हूं। माननीय सदस्य के भाषण की प्रति मेरे समक्ष नहीं है परन्तु मेरे खयाल से उन्हों न यही कहा था कि २० सिख पदाधिकारी निकाल दिए गए थे। मैं कहता हूं कि कोई सिख पदाधिकारी निकाले अथवा पद-च्युत नहीं किए गए। कुछ मामलों में जो पदाधिकारी अपने सेवा-पद समाप्त कर चुके थे सेवा निवृत्त किए गए। एक पदाधिकारी की सेवा ६ मास के लिए बढ़ा दी गई जो नवम्बर १९५२ में सेवा-निवृत्त हुए थे। उस की सेवा वृद्धि २ मई को समाप्त हो गई और शिक्षा निर्देशक तथा शिक्षा विभाग के सचिव जो दोनों सिख थे, की सिपारिश पर उन्हें सेवा निवृत्त किया गया। इस विषय के साथ सब साम्प्रदायिक विवरण सम्बन्धी बातें कहते हुए मुझे खेद है।

एक और पदाधिकारी संविदा पर कार्य करता था, और उस के विरुद्ध कार्य अकुशलता तथा अनुशासन भंग के कुछ आरोप थे। इस लिए मुख्य इंजीनियर की सिपारिश पर ३ मास की विहित सूचना दे कर उस का संविदा समाप्त कर दिया गया। यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार के आदेश पर विद्या-लयों के मुख्याध्यापकों और अध्यापकों को निकाल उन के स्थान पर हिन्दु मुख्याध्यापक तथा अध्यापक रखे गये। नियुक्तियां नियमित रूप में की गई थीं। अब मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा कि कौन से उच्च पद सिखों के पास हैं और कौन से नहीं। परन्तु मैं केवल यह सामान्य वक्तव्य देकर संतोष करूंगा कि बहुत से उच्च दर्जे के पद जैसा कि स्वाभाविक है सिखों के पास हैं चाहे वे इंजी-नियरिंग वित्त अथवा सचिवालय सम्बन्धी हों।

मैं और कई प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में कहूंगा। पहला प्रश्न पैप्सू में भू-राजस्व

[श्री सी० डी० देशमुख]

की दरों के सम्बन्ध में है। मेरे विचार में एक वक्ता ने कहा था कि पैप्सू में भू-राजस्व की दरें समीपस्थ पंजाब के क्षेत्र में प्रचलित दरों की अपेक्षा अधिक हैं। यह गलत है। कुछ स्थानों पर पंजाब के समीपस्थ क्षेत्र की दरों की अपेक्षा भू-राजस्व की दरें कम भी हैं। तो भी जहां तहां कुछ अनियमितता और अनुपात-विहीनता है जो इन बन्दोबस्त कार्यों द्वारा समाप्त हो जाएगी जो कि पांच तहसीलों में आरम्भ किए जा चुके हैं।

अगला प्रश्न विक्रय कर तथा अन्य करों में कथित वृद्धि के सम्बन्ध में है। मेरे विचार में विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा था कि वहां वर्तमान करों में वृद्धि की गई है और नए कर लगाये गए हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि पैप्सू में विक्रय कर की दरें वही हैं जो कि पंजाब में हैं अर्थात् छः पाई प्रति रुपया, और यह कर एक ही स्थान पर लिया जाता है और पैप्सू में विक्रय कर की विमुक्तियां वही हैं जो कि पंजाब में हैं यद्यपि यह स्वीकार करना चाहिये कि वह अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम के अनुसरण में नहीं है जो बाद में इस सभा ने पारित किया था। इस लिये यह कहना ठीक नहीं है कि नए शासन के अधीन कर में कोई वृद्धियां हुई हैं। पैप्सू के कर उसी प्रणाली पर हैं जो पंजाब में हैं और सारी प्रक्रिया तथा ढंग भी वही हैं। पैप्सू में शराब तम्बाकू और अफीम पर वही उत्पादन शुल्क है जो पंजाब में है। अफीम क्यों १३ रुपये पर खरीदी और ७ रुपय पर बेची जाती है यह एक ऐसी अद्भुत बात है कि इतनी अल्प सूचना पर मैं इस की व्याख्या नहीं कर सकता।

**श्री बीरेन दत** (त्रिपुरा पश्चिम) : क्या अन्य क्षेत्रों से चोर्यानयन करने और अनुज्ञप्ति वालों के सामने वहां माल बेचने की गुंजाईश है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : वह दूसरे क्षेत्रों की ओर से शिकायत हो सकती है पैप्सू की ओर से नहीं।

सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न उठाए गए थे। श्री चिनारिया ने सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव का वर्णन किया था और महेन्द्रगढ़ में भी इस अभाव का उल्लेख किया था। मुझे विश्वास है कि जब श्री बंसल आए थे तो पड़ोस के ज़िलों के माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की थी। वादविवाद में यह बताया गया था कि इस ज़िला की स्थानीय स्थिति के कारण बड़ी सिंचाई योजनाएं नहीं चल सकतीं। यह सामान्य बात है। भारतीय भू-परिमाप विभाग ने अभी हाल में इस ज़िला का कंटूर परिमाप पूरा किया है और वर्तमान आय व्ययक में दादरी तहसील में अग्रगामी नहर आरम्भ करने के प्रारम्भिक कार्य के लिए एक लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। यह प्रत्याशा की जाती है कि जब भाखड़ा बांध परियोजना पूर्ण हो जाएगी। (माननीय सदस्य यहां हैं, यह भाखड़ा है बोकारो नहीं। दक्षिण के लोगों के लिए यह शब्द एक ही प्रकार के हैं), तो यह एक लाख एकड़ भूमि है और यह नहर इस ज़िला में बहुत पर्याप्त होगी। दादरी और महेन्द्रगढ़ तहसीलों में छः प्रयोगात्मक नल कूप पहले ही लगाए जा चुके हैं और यदि ये सफल हुए तो संभव है कि इस क्षेत्र के लिए और नल कूपों की स्वीकृति दी जाए। नंगल में एक धारा को मोड़ने वाला बांध ६ हज़ार एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं उस कठिनाई की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो वर्तमान योजना के अधीन देश में अकाल तथा अभाव के सब क्षेत्रों में सामान्यतः अनुभव की जा रही है। क्योंकि हमारा प्रथम कर्तव्य खाद्य रसद और खाद्य उत्पादन को यथा शीघ्र बढ़ाना है और क्योंकि

निस्सन्देह इस उद्देश्य के लिए पहले ही कई योजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं, यह सर्वथा स्वाभाविक है कि इन क्षेत्रों में जिन परियोजनाओं को अच्छा समझा गया है वे योजना के मुख्य भाग में सम्मिलित होनी चाहियें। इस लिए दुर्भाग्यवश यह ऐसा मामला है जिस में "जिस के पास है उसे दिया जाएगा।" परन्तु मेरे साथी को इस सम्बन्ध में निराशावादी नहीं होना चाहिए क्योंकि राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों की ओर पहले ध्यान दिया जा चुका है जहां बहुत अच्छी परियोजना की स्वीकृति दी गई है। और मुझे सन्देह नहीं कि अगली बार निरन्तर अभाव के क्षेत्र में अथवा ऐसे क्षेत्र में जो निरन्तर अभाव से ग्रस्त है,—मैं अकाल पीड़ित क्षेत्र शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता—इस क्षेत्र सहित जो कि पंजाब की नदियों के जल प्रवाह के दूसरी ओर के बड़े क्षेत्र का भाग है, अर्थात् हिसार सहित निरन्तर अभाव के क्षेत्रों की ओर और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

हिसार, गुड़गांव, रोहतक, रेवाड़ी और पैप्सू के महेन्द्रगढ़ ज़िले को भाखड़ा-नंगल से लाभ पहुंचेगा। परन्तु कठिनाई यह है कि इन क्षेत्रों में प्रति एकड़ सिंचाई की लागत, अन्य क्षेत्रों में प्रति एकड़ लागत से बहुत अधिक है। अच्छे क्षेत्रों में एक एकड़ पर ३०० रुपये लागत आती है परन्तु यहां प्रति एकड़ १३०० या १४०० रुपये की लागत आती है। अतः यह हमारे संसाधनों और प्राथमिकताओं का प्रश्न है। इस का कारण यह नहीं कि इन क्षेत्रों के लोगों से सहानुभूति नहीं है।

कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की थी कि भूमि की अवाप्ति के लिए बहुत कम प्रतिकर दिया गया है। जैसा कि आप को ज्ञात है प्रतिकर विधि के उपबन्धों के अनुसार दिया जाता है। यह प्रतिकर बाजार के मूल्यों के अनुसार दिया जाता है और इस के साथ १५ प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति के लिए दिया जाता है। कब्ज़ा लेने की तिथि से प्रतिकर चुका देने की तिथि तक ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सूद दिया जाता है, अपीलों आदि के लिए भी व्यवस्था है। जब तक कोई विशिष्ट मामला हमारे ध्यान में न लाया जाये, इस आरोप का उत्तर देना सरल नहीं है।

अब मैं सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय अर्थात् शान्ति और व्यवस्था और पुलिस को लेता हूं। बहुत से सदस्यों ने पैप्सू पुलिस की निन्दा की है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि अधिकांश पुलिस पदाधिकारी शासकों या बिस्वेदारों के सगे सम्बन्धी हैं और इस से राज्य के पुलिस प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह सत्य है कि बहुत से गज़ेटिड पुलिस पदाधिकारी या तो बिस्वेदार हैं या बिस्वेदारों के रिश्तेदार हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात स्मर्ण रखनी चाहिये और वह यह है कि पैप्सू को प्रसंविदा की शर्तों के अनुसार इन पदाधिकारियों का एकीकरण करना पड़ा था और इन्हें सरसरी कार्यवाही के बाद निकाला नहीं जा सकता। जो पदाधिकारी बेईमान सिद्ध हुआ है या जिस का आचरण असंतोषजनक समझा गया है, उस के विरुद्ध अवश्यक कार्यवाही की गई है। इस समय एक पुलिस अधीक्षक जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है निलम्बित है और एक दूसरे के विरुद्ध जिस पर गबन आदि का आरोप है कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तीन को उन के असंतोषजनक कार्य के कारण अनिवार्य रूप से सेवा निवर्तित कर दिया गया है। दस पुलिस सब-इन्स्पैक्टरों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण या अन्य अनियमतताओं के कारण पदच्युत कर दिया गया है और बीस को उसी प्रकार के आरोपों के कारण अनिवार्य रूप से सेवा से निवर्तित कर दिया गया है। परामर्शदाता के शासन-काल में केवल दो पदाधिकारियों को पदच्युत किया गया था। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस बात को ध्यान में रखें। वर्तमान सरकार इस समस्या की गम्भीरता को अच्छी तरह समझती है और पुलिस प्रशासन की सामान्य स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव पग उठाया जा रहा है। इसे संतोषजनक स्तर पर लाने में कुछ समय लगेगा।

श्री कजरोलकर ने एक समाचार से यह वक्तव्य पढ़ कर सुनाया था कि तलानियां ग्राम, बसी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हरिजनों पर, विशेषतया हरिजन स्त्रियों पर बहुत अत्याचार किये हैं। मामला सरकार के ध्यान में लाये जाने पर तुरन्त एक जांच का आदेश दिया गया था और उस जांच का परिणाम यह है कि वे घटनाएं सच्ची नहीं हैं और अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। वास्तव में घटना यह थी कि बहुत से हरिजनों को, जो कि कुछ निष्क्रान्त मकानों पर अवैध कब्जा किये हुए थे, न्यायालय के आदेश अनुसार, स्थानीय पुलिस की सहायता से पुनर्वास तहसीलदार ने निकाल दिया था। यह सत्य नहीं है कि पुलिस ने स्त्रियों को छेड़ा था और गहने या अन्य सम्पत्ति चुरा ली थी।

श्री कजरोलकर ने समाना में इन्द्रसिंह के मकान की तलाशी का भी उल्लेख किया है। यह सत्य है कि उस के मकान की तलाशी ली गई थी और प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा ६००० रुपये के चुराये हुए गहने, बरामद किये गये थे और बरामद सम्पत्ति की एक सूची बनाई गई थी। यह सत्य नहीं है कि पुलिस ने बरामद किये हुए गहने की खयानत की। जहां तक इन्द्र सिंह के तथाकथित अवैध कारावास का सम्बन्ध है, पटियाला के पुलिस अधीक्षक एक सविस्तार जांच कर रहे हैं।

एक और माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बिस्वेदार डाकुओं को शरण, खाद्य पदार्थ और गोला बारूद देते हैं। पूछ ताछ से पता चला है कि यह आरोप कुछ हद तक सही हैं और कुछ बिस्वेदारों को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा चेतावनी दी गई है कि वे डाकुओं को किसी प्रकार की सहायता न दे। ठोस प्रमाण न होने के कारण उन के विरुद्ध कोई फौज़दारी कार्यवाही करना संभव नहीं था पैप्सू में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक् है और ठोस प्रमाण के न होते हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का परिणाम यह होगा कि एक न्यायालय में लेख के निकालने के लिये आवेदनपत्र दे दिया जायेगा। अतः पुलिस को व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन के विरुद्ध कार्रवाई करने में बहुत सावधान रहना पड़ता है :

यह भी कहा गया है कि कुछ डाकू पटियाला की राजमाता के खेतों में शरण ले रहे हैं। राजमाता द्वारा उन को शरण दिये जाने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह आरोप सत्य नहीं। ये खेत बहुत बड़े हैं और कहा जाता है कि राजमाता के दो कर्मचारियों ने डाकुओं को शरण दी थी। उन कर्मचारियों को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया था और उन के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

यह भी कहा गया है कि ४६ ग्रामों के गिर्द कांटेदार तारों की बाढ़ लगाई गई थी। मैं कहता हूं कि ऐसी कोई बाढ़ नहीं थी। सम्भवतः पुलिस ने कुछ ग्रामों के गिर्द घेरा डाल दिया था और हो सकता है, माननीय सदस्य ने पुलिस के घेरे को गलती से कांटेदार तार समझ लिया हो।

**श्री बीरेन दत्त :** मैं ने बाढ़ कहा था।

**श्री सी० डी० देशमुख :** बाढ़ घेरे से बिलकुल भिन्न होती है। ऐसी कोई बाढ़ नहीं थी। उन ग्रामों के गिर्द जिन में डाकुओं के

शरण लेने की जानकारी मिली थी घेरा डालना पड़ा था ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक हरिजन महिला के बेटे को जो डाकुओं में शामिल था, पुलिस ने गोली से मार डाला है । मुझे खेद है कि आवश्यक ब्यौरों के न होने से इस घटना का पूरा पता नहीं लगाया जा सका है । यदि सम्बन्धित माननीय सदस्य आवश्यक ब्यौरे दे सकें तो मैं वचन देता हूं कि पूरी पूरी जांच की जायगी तथा यदि किसी पुलिस अधिकारी का दोष सिद्ध हुआ तो प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत उस के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

एक प्रश्न अपराधों की श्रेणी के तुलनात्मक आंकड़ों के बारे में था । मुझे खेद है कि सरदार हुक्म सिंह ने यह कहना उचित समझा कि परामर्शदाता ने पुलिस को ऐसे अनुदेश दे रखे हैं अथवा दिए होंगे कि बड़े अपराधों के मामलों को पंजीबद्ध न किया जाय ।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं ने ऐसा नहीं कहा है । मैं ने यह कहा था कि उन्हों ने हिदायतें दी होंगी कि अपराध कम किए जायें तथा बन्द किए जायें परन्तु अधिकारियों ने वैसा अर्थ निकाल लिया होगा ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं उन का अभिप्राय अब समझा । उन का आशय यह है कि पुलिस के अधिकारी परामर्शदाता के आशय से भी अधिक आगे निकल जाते हैं । अस्तु, जब तक सभी सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन पर ऐसा संशय हो, पूछताछ न की जाय, इस प्रकार के आरोप की जांच करना बहुत कठिन हो जाता है ।

परन्तु मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं समझता हूं । इस बात पर विचार करने से कोई बड़ा लाभ नहीं है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य भारत के पड़ौस के ज़िलों की तुलना में पैप्सू में विधि तथा व्यवस्था की अवस्था क्या है । यह एक तथ्य है कि देश के कुछ भागों में यह अवस्था और भागों की तुलना में खराब है तथा मैं समझता हूं कि पैप्सू उन भागों में से एक है ।

जहां तक डाकुओं का सम्बन्ध है मेरे हाथ में इस समय वहां के परामर्शदाता की एक रिपोर्ट है जिस में लिखा है कि उन के द्वारा कार्यभार को सम्भालने के बाद बहुत से डाकुओं को समाप्त किया जा चुका है अर्थात् उन्हें मारा या पकड़ा जा चुका है तथा उन से बहुत से शस्त्र और बारूद मिला है । डाकुओं के संगठित गुटों में अधिकांश को तोड़ा जा चुका है तथा अब अधिक महत्वपूर्ण गुटों में से केवल दो के अगुओं का पकड़ा जाना बाकी है । वे दोनों इस समय भागे हुए हैं तथा विधि और व्यवस्था की शक्ति उन का पीछा कर रही है । मैं समझता हूं कि इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है कि परामर्शदाता द्वारा कार्य-भार के सम्भाले जाने के बाद कोई डाके नहीं पड़े हैं । मैं उन के दूसरे मत पर ज़ोर नहीं देना चाहता कि सभी प्रकार के अपराधों में काफी कमी हुई है ।

राज्य में सभी ऐसा अनुभव करते हैं कि ग्रामों में विश्वास बढ़ रहा है । विभिन्न अपराधों के लिए कुख्यात ९ अपराधियों के एक गुट ने ४ अप्रैल, १९५३ को स्वेच्छा से अपने आप को परामर्शदाता के हवाले कर दिया है । इस के बाद कितने ही कुख्यात अपराधी अपने हथियार डाल रहे हैं, कुछेक परामर्शदाता के सामने तथा कुछ पुलिस के सामने । परिणाम यह हुआ है कि अब जब ग्रामीणों ने देखा है कि विधि तथा व्यवस्था का पलड़ा भारी हो रहा है तो वे विश्वास से उन के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं । सारे संसार में ऐसा अनुभव पाया गया है कि जब जनता को देश में अधिक विश्वास हो जाता है तो वह कुछ अधिक सहयोग देने लग पड़ती है । अंतिम रूप से डाकुओं के बारे में कार्यवाही का करना भी ग्रामीणों के

[श्री सी० डी० देशमुख]

स्वेच्छापूर्ण तथा उत्साहपूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है ।

**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : क्या वह पकड़े गए तथा गोली से उड़ाए गए डाकुओं की संख्या बतला सकेंगे ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : आंकड़ों के देने से पहले मैं एक और विचित्र युक्ति का उत्तर देना चाहता हूं । कहा गया है कि डाकुओं के केवल पकड़ने का अर्थ यह है कि उन से नरमी का व्यवहार किया जायगा जिस से विधि और व्यवस्था का उचित रूप से बनाए रखना सम्भव नहीं है । इसके विपरीत यदि उन्हें गोली से उड़ाया जाता है तो विरोधी दल के माननीय सदस्य का कहना है कि उस डाकू को जो कोई पनाह दे रहा है, चाहे वह बिस्वेदार है या उसके ग्राम का है या और कोई मित्र है, उसे अलग नहीं किया जायगा । प्रत्येक विषय में सरकार गलती पर है तथा आलोचक ठीक ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : डाकू ठीक हैं ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : वास्तव में डाकुओं को यह जान कर विशेष लाभ नहीं होगा कि वे ठीक हैं क्योंकि उन में से कई एक मर चुके हैं । जैसा कि मैं ने कहा, ११ मर चुके हैं, पांच पकड़े जा चुके हैं तथा दो भागे हुए हैं ।

विधि तथा व्यवस्था की स्थिति यह रही । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस तथ्य को स्वीकार क कि पैप्सू में डाकुओं के उपद्रव को दबाया जा चुका है । इस के श्रेय के पात्र पर विशष ज़ोर दन की आवश्यकता नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे सारा श्रेय पूर्व की सरकार द्वारा की गई तयारी को दे सकते हैं ।

अब मैं शिक्षा के विषय को लेता हूं : एक के बाद दूसरी सरकार ने यह अनुभव किया है कि पैप्सू शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, परन्तु और स्थानों के समान इस समस्या को संतोषजनक रीतिसे सुलझाने तथा उल्लेखनीय सुधार के करने के लिए कई वर्षों तक न केवल भरसक प्रयत्न के करने की आवश्यकता है, अपितु नीति सम्बन्धी फैसले के करने की भी आवश्यकता है ।

योजना में शिक्षा के ऊपर किये जाने वाले व्यय के आंकड़े मैं ने देखे हैं और मैं यह देख कर हतोत्साहित हुआ कि योजना में जो थोड़ा सा धन शिक्षा के विकास के लिय रखा गया है, वह भी उचित गति से व्यय नहीं किया गया है, क्योंकि इस विषय में कुछ मतभेद है कि विस्तार बेसिक (बुनियादी) स्कूलों की स्थापना की दिशा में होना चाहिये अथवा साधारण प्राथमिक स्कूलों की संख्या वृद्धि की दिशा में । इस विषय पर परामर्शदाता फिर विचार कर रहा है और मैं न व्यक्तिगत रूप से शिक्षण अधिकारियों का ध्यान, शीघ्र ही कोई निश्चय करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना में से बचे हुए धन को व्यय करन के लिये विस्तार की पर्याप्त योजनाएं बनाने के लिये कार्यवाही करने की ओर दिलाया है । मुझे कोहिस्तान के उन सदस्य के साथ बहुत सहानुभूति है जो अपने ज़िले में और अधिक प्राथमिक स्कूल खुलवाना चाहते थे । मुझे बताया गया है कि, वास्तव में, उस ज़िले में १९५२–५३ में १६ प्राथमिक स्कूल खोले गये थे और १९५३–५४ में २० और खोलने का विचार है । यह याद रखना चाहिय कि यह ज़िला, यद्यपि भूमि प्रदेश निसन्देह बहुत कठिन है यह छोटा ज़िला है जिस का कुल क्षत्रफल लगभग ६०० वर्ग मील है और जिस की जनसंख्या बहुत कम और छितरी हुई है । एक बाहरी दर्शक के रूप म बिना किसी बारीकियों में गय हुए, मैं स मझता हूं

कि इस क्षेत्र की स्कूलों की आवश्यकताएं उचित ढंग से पूरी की जा रही हैं।

एक दूसरे सदस्य ने कुओं के लिए अपर्याप्त ऋणों तथा आर्थिक सहायता और हिन्दी भाषी क्षत्र, अर्थात् महेन्द्र गढ़ जिले में पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टरों की अनुपलब्धता की शिकायत की। यह मानी हुई बात है कि इस विशेष भूमिप्रदेश के कारण इस ज़िले में पानी धरातल के बहुत नीचे है। स्वयं वक्ता महोदय न यह स्वीकार किया था कि उस क्षेत्र में एक कुएं के लिये ५००० रुपयों की आवश्यकता है। भारत सरकार के अनुदेशानुसार दुर्भाग्यवश आर्थिक सहायता ३०० रुपया प्रति कुंए की एक समान दर से दी जाती है और इस के साथ ही ८७५ रुपये प्रति कुएं का एक ऋण होता है। चूंकि कुओं की कुल लागत के अनुपात में आर्थिक सहायता बहुत थोड़ी होती है अतः केवल बहुत थोड़े से ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। फिर भी गत दो वर्षों में इस ज़िले में ९९ कुओं के लिये आर्थिक सहायताएं दी गई हैं और अभी तक ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं कि आर्थिक सहायता के दिय जाने में कोई देर हुई है या अन्य जिलों के सम्बन्ध में कोई भेदभाव है जैसा कि मैं ने कहा दादरी तहसील में एक नलकूप पाने के लिए कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बरमे से ज़मीन में छेद करने का काम चल रहा है। ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में स्वीकृत नीति ट्रैक्टर की आधी लागत देने की है और नियमतः एक ऐसा व्यक्ति इस को प्राप्त करने के योग्य होता है जिसके पास कम से कम १०० एकड़ क्षेत्रफल का एक फार्म हो। इसीलिये केवल धनवान किसान ही ऋणों के लिये आवेदन पत्र देने की बात सोचते हैं। मुझे बताया गया है कि महेन्द्रगढ़ जिले के किसी भी किसान के पास से ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि उस ने ऐसे एक ऋण के लिये आवेदन पत्र दिया हो और उस को वह ऋण नहीं दिया गया हो। इस सूचना पर मेरी अपनी आलोचना यह होगी कि महेन्द्रगढ़ में कुओं के लिये आर्थिक सहायता के इस प्रश्न पर और विचार किये जाने की आवश्यकता है, लेकिन मैं केवल यह बात कह कर ही संतोष कर लूंगा।

दलगत भावनाओं को छोड़कर, पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने पेप्सू में हरिजनों के साथ होने वाले व्यवहार की ओर निर्देश किया जो कुछ भी जानकारी मैं प्राप्त कर सका हूं, उस के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि उस राज्य में हरिजनों के साथ उचित व्यवहार नहीं होता लेकिन इस का केवल एक मात्र यही कारण कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति सैकड़ों वर्षों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है और उन की सामाजिक और आर्थिक दशा को समाज के अन्य सौभाग्यशाली वर्गों के स्तर तक उठाना कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों के काल में संभव नहीं है। यह तो केवल कहने की बात है कि संविधान उन को अन्य वर्गों के साथ समान अधिकार की प्रत्याभूति देता है और यह कि उन के जीवन यापन स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन की सामान्य आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

९ म० पू०

चालू वर्ष में स्वयं आयव्ययक में उन की दशा को सुधारने के लिये ४,२२,००० रुपयों की व्यवस्था की गई थी और यह राशि २,३८,००० रुपयों के उस उपबन्ध के अतिरिक्त थी जो पिछड़े हुए वर्गों के लाभार्थ योजनाओं के लिये रखी गई थी।

माननीय सदस्यों ने राज्य में हरिजनों के लिये सरकारी दफ्तरों १२ १/२ में प्रतिशत रिक्त स्थानों के रक्षण की ओर एक निर्देश किया। यह सच है कि नौकरियों में हरिजनों की संख्या अभी इस आंकड़े तक नहीं पहुंची

[श्री सी० डी० देशमुख]

है, लेकिन मुझे बताया गया है कि, यह, निम्नतम या उस से भी कम अर्हताओं वाले अभ्यर्थियों के अभाव के कारण है। मुझे यह आश्वासन दिया गया है कि किसी भी हरिजन अभ्यर्थी को, चाहे उस की कोई भी अर्हता हों, कभी भी नौकरी देने से इन्कार नहीं किया जाता। विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली १३ शिक्षण संस्थाएं हैं और हाल ही में एक प्रधान अध्यापक को, केवल इस आधार पर कि वह एक हरिजन था, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर प्रवृद्ध पदोन्नति देकर स्कूलों का निरीक्षक बना दिया गया था। इसी प्रकार की एक पदोन्नति हाल ही में एक हरिजन स्कूल मास्टर को दी गई थी, जो एक प्रधान अध्यापक बना दिया गया था। मैं यह भी समझता हूं कि वित्त-आयोग ने राज्य में शिक्षा के विकास के लिए पांच लाख रुपयों का एक विशेष अनुदान दिया है और मुझे विश्वास है कि इस का एक भाग पिछड़ हुए वर्गों के लिये शिक्षा सम्बन्धि सुविधाओं के विकास की ओर व्यय किया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हरिजनों को नजूल भूमियां नहीं दी जातीं या यह कि उन के लिये जो ६० प्रतिशत रक्षित की गई हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। हरिजनों के लिये नजूल भूमियों का एक उच्चतर प्रतिशत भाग रक्षित करने के प्रश्न पर सरकार सोच विचार करेगी।

एक सदस्य ने कोहिस्तान में सड़कों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि कंडाघाट—चैल सड़क की ओर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन कारणों से नहीं जो माननीय सदस्यों के दिमाग में है, बल्कि अन्य कारणों से यह खास ड़क ज़िले म सब से अधिक महत्वपूर्ण है। उस पर नियमित रूप से लारियों का आना जाना है और वह सड़क कंडाघाट को चैल कुफ़री से होकर हिमाचल प्रदेश के आन्तरिक भागों से जोड़ती है। इस सड़क पर से काफ़ी मात्रा में आलू का यातायात होता है, और जैसा कि यह पहाड़ी सड़क है, इसकी उचित देखभाल के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, और इस सड़क पर न्यूनतम सुरक्षितता के स्तर को बनाये रखने के लिए खर्चा किया गया है।

कोहिस्तान ज़िले के सम्बन्ध में—इस वर्ष में जीप गाड़ी के चलने योग्य रास्ता बनाने के लिए १३ लाख रुपये का उपबन्ध पंचवर्षीय योजना में किया गया है। इस मद् में १·१३ लाख रुपया खर्च होगा, और स्परू-गौधारा सड़क पर काम प्रारम्भ भी हो गया है। छोटी सबाथू सड़क का कार्य भी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है और कुल ९५ लाख रुपयों में से जो संघ के आठों ज़िलों की सड़कों के लिए पंचवर्षीय योजना में अलग रख दिया गया है, १३ लाख रुपया, पूर्णतया केवल एक ही ज़िले के लिए जिस का क्षेत्रफल जैसा कि मैं ने कहा है केवल ६०० वर्गमील है, निर्धारित कर दिया गया है। अतएव मुझे लगता है कि वह सुझाव कि कोहिस्तान ज़िले को भुला दिया गया है, वास्तव में सारहीन है।

अब मैं कुछ शब्द पेप्सू विकास योजना के सम्बन्ध में कहूंगा। योजना पर कुल व्यय ८·१४ करोड़ रुपया होगा। इसमें से १५ प्रतिशत से अधिक खेती तथा ग्रामों के विकास पर खर्च होगा और शेष को विकास की अन्य मदों में बांट दिया गया है। जैसा कि मैं ने कहा है कि प्रथम वर्ष में तो शायद ही कोई खर्चा हुआ हो। वास्तव में अनुदानों के अनुसार केवल ५९ लाख रुपया खर्च

हुआ था। दूसरे में १९५२-५३ के संशोधित प्राक्कलन में आता है कि वास्तविक खर्चा १,०५,००,००० रुपया बैठेगा और १९५३-५४ के आयव्ययक में २,५३,००,००० रुपया रखा गया है। पहले तीन वर्षों में यह कुल मिला कर लगभग चार करोड़ रुपया होता है। अतएव मैं सोचता हूं कि यदि खर्चे की दर जो कि आयव्ययक में दिखाई गई है उतनी ही रखी जाती है तो योजना को कार्यान्वित करने में कोई ऐसी अनावश्यक कठिनाई नहीं होगी। सिवाय इसके कि थोड़ी सी कठिनाई शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भले ही जिस का कि मैं ने हवाला दे दिया है। पहिले दो वर्षों में खर्चे का बहुत सा भाग खेती सम्बन्धी कार्यक्रम, तथा छोटी छोटी सिंचाई योजना पर हुआ और आयव्ययक वर्ष में लगभग १,३४,००,००० रुपया भूमि विकास, भूमि को खेती योग्य बनाने और छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये रखा जा रहा है। सड़कों, अस्पतालों तथा औषधालयों एवं जनता के स्वास्थ्य के विकास के कार्यक्रम भी योजना की प्रगति के अंग हैं। वित्तीय आयोग के पंचाट के कारण राज्य के साधनों में निश्चित ही कुछ वृद्धि हो गई है। जैसा कि मैं ने कहा है कि मुझे पूरी आशा है कि राज्य योजना को कार्यान्वित करने में समर्थ होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चालू वर्ष और आयव्ययक वर्ष में क्या कोई अन्तर है ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : अब हम आयव्ययक के वर्ष में हैं जो कि चालू वर्ष हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आयव्ययक के बारे में चालू वर्ष में चर्चा की जाती है। अब लेखानुदान किया जा चुका है और इस लिये आयव्ययक वर्ष तथा चालू वर्ष एक ही बात है।

मैं समझता हूं कि श्री हीरासिंह बिसारिया ने ही कहा था कि संघ के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई सामुदायिक योजना चालू नहीं की गई है। सामुदायिक योजना चालू करने के लिए यह कसौटी रखी गई थी कि उसी क्षेत्र में योजना चालू की जायगी जहां कि कृषि विकास की बहुत संभावना हो। इस दृष्टि से नारनौल क्षेत्र में सामुदायिक योजना चालू करने का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता। फिर भी राज्य सरकारों ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि नरवाना क्षेत्र में सामुदायिक योजना चालू की जाय और आदेशों की प्रतीक्षा है। मैं यहां बता देना चाहता हूं कि नई राष्ट्रीय विस्तार योजना, जिस के बारे में विस्तृत विवरण कल या आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, के अन्तर्गत मैं समझता हूं अधिकाधिक क्षेत्र किसी न किसी विस्तार योजना अथवा भीतरी विकास कार्यक्रम में लाये जायेंगे। अतएव उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि कुछ और वर्षों तक धैर्य से काम लें।

अन्त में मैं नकद शेष के, जिस का हवाला एक माननीय सदस्य ने दिया है, बारे में कहना चाहता हूं कि वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ बाकी के वास्तविक आंकड़े निम्न हैं :

१९५१-५२—३,६५,००,००० रुपया, १९५२-५३ का आयव्ययक प्राक्कलन ३,२३,००,००० रुपया संशोधित प्राक्कलन २,७८,००,००० रुपया; १९५३-५४ का आयव्ययक प्राक्कलन १,४१,००,००० रुपया। १९५२ और १९५३ में ४२ लाख का अन्तर है। वर्ष की समाप्ति के रोकड़ बाकी में कमी का पहला प्रधान कारण आय में ६२·६६ लाख रुपये का घाटा है और अधिक खर्चा है जो ५२२ लाख की साधारण आय की अपेक्षा

[श्री सी० डी० देशमुख]

५८५ लाख दिखाया गया है । सम्भवतः बिना जाने बूझे आयव्ययक बनाते समय राजस्व का कम प्राक्कलन करने से यह ठीक हो जाय । दूसरे ५७·९३ लाख रुपये का उपबन्ध पूंजी व्यय में किया गया है । ये आधिक्य, ऋण तथा निक्षेप शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त अधिक धन और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों, निक्षेप एवं अग्रिम राशियों के द्वारा आंशिक रूप में बराबर कर दिये गय हैं । वर्ष १९५२-५३ के संशोधित प्राक्कलन में ८६·७८ लाख रुपये की कमी दिखाई गई है । राजस्व में ६२·६६ लाख रुपये की कमी होते हुए भी, संशोधित प्राक्कलन में राजस्व में ४८·६८ लाख रुपये का लाभ दिखाया गया है । २,२०,००,००० रुपये तक के आधिक्य बक़ाया के बैंकों में लगाये जाने के कारण ऋण तथा पेशगी, और जमा की गई राशि तथा पेशगी द्वारा ऋण तथा जमा राशि के शीर्षकों के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण यह राशि साफ हो गई । इसलिये, हमें जो कटौती दीख रही है वह अंशतः पूंजी विनियोग है । मैं अन्य आंकड़ों की बात नहीं कहूंगा । १९५३-५४ के आयव्ययक प्राक्कलन के लिये भी मेरे पास इसी प्रकार के आंकड़े हैं । किन्तु, इन आंकड़ों की जांच करने पर मेरा समाधान हो गया है कि नगद राशियों के स्थानान्तरित होने में डर की कोई भी बात नहीं है ।

मेरा विचार है कि मैं बहुत सी बातों का जवाब दे चुका हूं । एक माननीय सदस्य बोल उठे कि पैप्सू अव्यवस्थित राज्य है और किसी और माननीय सदस्य ने कहा : करेला नीम चढ़ा——या नीम करेला पर चढ़ा ।

**डा० काटजू** : करेला नीम पर चढ़ा ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : जी हां, करेला नीम पर चढ़ा । अव्यवस्थित राज्य के लिये करेला या नीम शब्द के अतिरिक्त मेरे मस्तिष्क में और कोई बात नहीं आ सकती । अन्य शब्दों में, मेरा विचार यह है कि हमारा वर्तमान कटु अनुभव, जो बहुत से लोगों की दृष्टि में कटु है, राज्य के ही हित में हो । एक और सदस्य ने 'बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाय' के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे । मुझे 'बबूल' में ऐसी कोई भी ख़राबी नहीं दिखाई देती । किसी कवि ने कहा है :

"जुनूं पसंद है मुझ को हवा बबूलों की,
अजब बहार है इन के ज़र्द ज़र्द फूलों की ।"

**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पी) : माननीय वित्त मंत्री ने उन चिट्ठियों की ओर निर्देश किया, जिन का हवाला मैं ने कल दिया था । मैं उन चिट्ठियों को सहर्ष उन की सेवा में प्रस्तुत करूंगा ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : धन्यवाद ।

**लाला अचिन्त राम** (हिसार) : राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रकार के बाद-विवाद की आज्ञा नहीं दे सकता ।

**कुमारी एनी मस्करीन** (त्रिवेन्द्रम्) : श्रीमान्, जानकारी के हेतु मैं यह कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में यह बताया कि हरिजनों को पीड़ित करने तथा परेशान करने का जो आरोप पुलिस पर लगाया गया है वह निराधार है । कल के "टाइम्स आफ इंडिया" में यह बताया गया है कि पुलिस के एक सब-इनस्पेक्टर को जिस ने अवैधानिक रूप से एक हरिजन को हिरासत में रखा था, मुअत्तिल किया गया है । उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका प्रस्तुत की गई और वहां इस बात की घोषणा की गई कि वह हिरासत में नहीं

लिया गया । गृह मंत्री, जो अब यहां बैठे हैं, को एक याचिका भेजी गई और उन्होंने पूछताछ का आदेश दिया । उक्त सब-इनस्पेक्टर अपराधी निकला और उसे मुअत्तिल किया गया । मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये आरोप सच-मुच निराधार हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझ मालूम नहीं कि इस से क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा । इस बात पर विचार करते हुए कि ३५ लाख की आबादी में लगभग सात लाख हरिजन हैं, यह भी संभव हो सकता है कि ऐसा कोई मामला हुआ हो जिस में कोई हरिजन अर्दित हुआ हो । किन्तु, जब इस प्रकार बतलाया जाता है कि हरिजन महिलाओं को पुलिस द्वारा अर्दित कराया जाता है, तो इस प्रकार का आरोप एक व्यापक सा बन जाता है । मेरा यह अभिप्राय इस आरोप को गलत बताने का था कि एक वर्ग के रूप में हरिजनों को जान बूझ कर अर्दित किया गया है । यदि ऐसी बात हुई भी हो तो मुझे इन घटनाओं के आंकड़े प्राप्त करने में हर्ष होगा ताकि हम उन की छान-बीन कर लें और अपराधियों को भी वही दण्ड दें जो उस पदाधिकारी को मिल चुका है ।

---

## सरदार लाल सिंह का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**सरदार लाल सिंह** (फ़ीरोज़पुर-लुधियाना) : श्रीमान्, २८ अप्रैल को एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर से मुझे पता चला, जब माननीय खाद्य मंत्री ने बताया कि कृषि-संचालक, पंजाब ने फल-परीक्षण कार्य करने वाले किसी चिरस्थायी सार्थ या कारखाने की सिफारिश की थी, और पूछताछ करने पर यह पता चला कि उस नाम का कोई भी सार्थ या कारखाना नहीं था । मैं पंजाब में कृषि-संचालक था, और इसलिये मैं इन आरोपों को अस्वीकार करता हूं ।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि कई दशाब्दों से शिमला पहाड़ियों में एक बाग़ लगाया जा रहा था जो बढ़िया किस्म के फलों के लिये प्रसिद्ध था, और कई वर्षों से फल-प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त कर रहा था, किन्तु इस बाग़ के बहुत से फल वैसे ही बरबाद हो जाते थे । कृषि-संचालक तथा फल-उद्योग का प्रभारी होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य था कि मैं राष्ट्रीय हितों के लिये फल-परिरक्षण करा लेता । मैं ने उक्त बाग़ के स्वामी को फल-परिरक्षण की प्रेरणा दी और इस बात के लिये उसका मामला सरकार के समक्ष रखा । अब भी इस बाग-बगीचे में फल-परिरक्षण उद्योग को जितनी सुविधायें हैं उतनी और किसी जगह नहीं ।

दूसरे, यह कि वहां की सारी स्थिति को देखने का काम केन्द्रीय सरकारी पदाधिकारियों के हाथ में था, जो अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले इन सब बातों को देख लेते, स्पष्ट है कि उन बातों के साथ मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं था ।

तीसरे, यह कि उस सारे मामले में षड्यन्त्र और चालबाजी पाई गई और इस के परिणामस्वरूप उस अभियुक्त को, जिस पर झूठा अभियोग लग चुका था, मुक्त किया गया और उसे सरकारी खर्च पर ट्रेनिंग के लिये भेजा गया, अतः किसी के पदच्युत किये जाने का कोई भी प्रश्न नहीं था ।

मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने न केवल उक्त प्रश्न के उत्तर में अपितु विगत महीने के एक विवाद में मेरी सिफारिश को ठीक रूप में पेश नहीं किया जिस से ऐसा लगा कि मैं ही अपराधी हूं । मैं ने प्रधान मंत्री से भी इस विषय में प्रार्थना की और उन्हें यह भी बताया कि मैं उन के निर्णय पर बढ़ूंगा । मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने सदन में इस प्रकार का आरोपों-भरा वक्तव्य दिया है ।

[सरदार लाल सिंह]

चुनांचि २८ अप्रैल की कार्यवाही से मुझे यह भी पता चलता है कि जब माननीय मंत्री से पूछा गया था कि संचालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही तो नहीं हुई तो उन्होंने कहा था कि वह पंजाब सरकार का काम है और इस से लोगों को यह सन्देह हुआ कि मेरी सेवायें संदिग्ध रही हैं। इस का प्रतिवाद करते हुए मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि मुझे न केवल वेतन और अधिक निवृत्ति वेतन मिले हैं अपितु मेरी ज्वलन्त सेवाओं की मान्यता में मुझे पंजाब मंत्रिमंडल की ओर से धन्यवाद मिला है। मुझे हर किसी राजनीतिक पार्टी से —जिन में कांग्रेस भी है—इस बात की वाह-वाही मिली है कि मैं ने घाटे का क्षेत्र आधिक्य क्षेत्र में परिवर्तित किया, और इन ही बातों के समर्थन में मैं ये पत्र प्रस्तुत करता हूं जिन में उन लोगों ने जिन्होंने मेरे काम की जांच की है, अपनी राय व्यक्त की है। श्रीमान्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी सेवायें बहुत ही शानदार रही हैं।

---

## विमान समवाय (विधेयक

**श्री शेषगिरि राव** (नंदयाल) : विमान निगम विधेयक, १९५३ के संबंध में मैं एक प्रार्थी के हस्ताक्षर सहित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : : याचिका कहां है ?

**श्री शेषगिरि राव** : मैं उसे पहले ही दे चुका हूं।

---

## नैनीताल एक्सप्रेस दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वक्तव्य बहुत लम्बा है ?

**रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : श्री सी० डी० पांडे किचारा के निकट हाल में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाहते थे। अतः मैंने सदन के सामने अभी तक प्राप्त हुई जानकारी रखना उपयुक्त समझा।

२९ अप्रैल, १९५३ को रात्रि के लगभग ९ बज कर ४० मिनिट पर पूर्वोत्तर रेल पर काठगोदाम-बरेली शाखा पर किचारा और बहेरी स्टेशनों के बीच काठगोदाम से आने वाली ३०७ डाउन नैनीताल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। गाड़ी का एंजिन और उसके पीछे के चार डिब्बे नष्ट हो गये तथा उनके पीछे वाले तीन डिब्बे पटरी से उतर गये और अन्तिम चार डिब्बे पटरी पर ही रहे। फलस्वरूप एंजिन में कोयला झोंकने वाला और एक खलासी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और गंभीर रूप में घायल हो जाने से ड्रायवर अस्पताल में मर गया। तृतीय श्रेणी के नौ यात्री तथा एक बिना टिकिट यात्री घायल हो गये जिन में से एक की हालत चिन्ताजनक है। गार्ड द्वारा प्राथमिक उपचार कर दिये जाने पर उक्त नौ घायल यात्री चले गये और ड्रायवर तथा गंभीर रूप से घायल हुए यात्री को बहेरी अस्पताल में भरती कर दिया गया। यात्री को बाद में आइजटनगर सिविल अस्पताल में भेज दिया गया जहां उसकी अवस्था में सुधार हो रहा है।

बाद में बहेरी के स्टेशन मास्टर और चिकित्सा-सहायता-गाड़ी घटना-स्थल पर पहुंच गई थी। बहेरी के चीनी के कारखाने के सहयोग से गाड़ी के यात्रियों के लिये पीने का पानी, दूध तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। लखनऊ से प्रादेशिक अधिकारी और गोरखपुर से ज्येष्ठ उप-मुख्य मैनेजर भी घटनास्थल पर पहुंच गये। १ मई, १९५३ को साढ़े पांच बजे यातायात पुनः यथावत् स्थापित कर दिया गया।

रेलों के सरकारी निरीक्षक द्वारा जांच प्रारम्भ होने की तिथि पहली मई, १९५३ निश्चित की गई है ।

अभी दुर्घटना के प्रत्यक्ष कारण को भी निश्चित करना संभव नहीं है ।

---

## अनुदानों की मांगें—पैप्सू

**उपाध्यक्ष महोदय** : निम्न मांगें प्रस्तावित हैं :

मांग संख्या १ भूमि राजस्व २८,३३,८०० रुपये;

मांग संख्या २ राज्य उत्पादन शुल्क १२,४८,९०० रुपये;

मांग संख्या ३ मुद्रांक (स्टैम्प) ४२,३०० रुपये;

मांग संख्या ४ वन ९,४०,५०० रुपये;

मांग संख्या ५ पंजीयन १५,००० रुपये;

मांग संख्या ६ मोटर सवारी अधिनियमों के कारण भार ५७,५०० रुपये ;

मांग संख्या ७ दूसरे कर और शुल्क २,६२,४०० रुपये;

मांग संख्या ८ सिंचाई २९,०५,३०० रुपये;

मांग संख्या ९ मंत्रिगण और परामर्शदाता १,५३,१०० रुपये ;

मांग संख्या १० राज्य विधान सभा २,२०,९०० रुपये;

मांग संख्या ११ विधान मंडलों के लिये निर्वाचन १,६८,६०० रुपये;

मांग संख्या १२ मुख्य मंत्री और परामर्शदाता का सचिवालय ४६,८०० रुपये ।

मांग संख्या १३ गृह विभाग ३,४५,६०० रुपये;

मांग संख्या १४ वित्त विभाग २,२१,००० रुपये;

मांग संख्या १५ राजस्व विभाग १,६६,७०० रुपये ;

मांग संख्या १६ शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ६०,४०० रुपये ;

मांग संख्या १७ विकास विभाग ६३,५०० रुपये ;

मांग संख्या १८ उद्योग, सम्भरण और श्रम विभाग ७९,००० रुपये ;

मांग संख्या १९ पुनर्वास विभाग १,१०,००० रुपये ;

मांग संख्या २० विधि और स्थानीय स्वशासन विभाग १,३१,१०० रुपये ;

मांग संख्या २१ आयुक्त ४५,२०० रुपये ;

मांग संख्या २२ जिला प्रशासन १२,०८,५०० रुपये ;

मांग संख्या २३ असैनिक सम्भरण निदेशकालय ४,७१,५०० रुपये ;

मांग संख्या २४ न्याय प्रशासन ९,१३,५०० रुपये ;

मांग संख्या २५ जेल और हवालातें ७,५५,००० रुपये ;

मांग संख्या २६ पुलिस ५८,१३,८०० रुपये ;

मांग संख्या २७ शिक्षा ६३,४४,३०० रुपये;

मांग संख्या २८ चिकित्सा २३,८९,७०० रुपये ;

मांग संख्या २९ सार्वजनिक स्वास्थ्य ८,५१,३०० रुपये ;

मांग संख्या ३० कृषि २४,६९,४०० रुपये ;

मांग संख्या ३१ पशु चिकित्सा ४,४१,७०० रुपये ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या ३२ सहकारिता ३,७१,७०० रुपये ;

मांग संख्या ३३ उद्योग और सम्भरण ९,५७,००० रुपये ;

मांग संख्या ३४ विभिन्न विभाग ४,९१,३०० रुपये ;

मांग संख्या ३५ पंजाबी विभाग १,९४,३०० रुपये ;

मांग संख्या ३६ असैनिक कार्य ८५,६८,५०० रुपये ;

मांग संख्या ३७ बिजली योजनाएं—चालू खर्च २१,१५,८०० रुपये ;

मांग संख्या ३९ भारतीय नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते ४,४३,५०० रुपये ;

मांग संख्या ४० बुढ़ौती भत्ते और पेन्शनें १०,३२,५०० रुपये ;

मांग संख्या ४१ लेखन सामग्री तथा छपाई ८,०४,२०० रुपये ;

मांग संख्या ४२ फुटकर ७,४४,९०० रुपये ;

मांग संख्या ४३ विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च ९,७४,१०० रुपये ;

मांग संख्या ४४ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच फुटकर समायोजन २,७०० रुपये ;

मांग संख्या ४५ सामुदायिक विकास परियोजनाएं ८,५८,३०० रुपये ;

मांग संख्या ४६ सिंचाई, नौचालन, बांध तथा नालियां बनाने के काम ३६,९०,७०० रुपये ;

मांग संख्या ४७ कृषि सुधार तथा अनुसन्धान की योजनाओं पर पूंजीगत व्यय ४४,००,००० रुपये ;

मांग संख्या ४८ बहुमुखी नदी योजनाओं पर पूंजीगत व्यय – भाखड़ा नंगल परियोजना १,१०,६७,६०० रुपये ;

मांग संख्या ४९ राज्य व्यापार योजनाओं पर पूंजीगत व्यय १,४२,८७,७०० रुपये ;

मांग संख्या ५० व्याज वाली पेशगियाँ ६४,०६,३०० रुपये ;

मुझे इन मांगों के सम्बन्ध में कई कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन में से कुछ नियमानुकूल नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान निम्नलिखित नियमों को ओर दिलाता हूं जिन्हें कटौती प्रस्ताव रखते समय, जो तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना चाहिए ।

(१) धन देने से इन्कार की कटौती—जहां मांग की आधारभूत नीति का विरोध करने के लिये मांग को घटा कर एक रुपये की नाम मात्र राशि बनाने का प्रस्ताव होता है ।

(२) सांकेतिक कटौती १०० रुपये की या ऐसी ही, जिस का उद्देश्य किसी शिकायत की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना होता है। इस में उस शिकायत का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये ताकि सरकार उत्तर दे सके ।

(३) बचत के लिये की जाने वाली कटौती—उस में उस राशि का तथा उन मदों तथा उप-शीर्षकों का उल्लेख ठीक ठीक होना चाहिए जिन में कमी की जानी हो ।

इन सिद्धान्तों के अनुसार कटौती-प्रस्ताव ११ तथा २७ की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

प्रस्ताव संख्या १६ तथा २० की भी अनुमति नहीं मिल सकती । मांग संख्या १७ में 'let loose by the police'

(पुलिस द्वारा छोड़े गये) इन शब्दों की अनुमति नहीं मिल सकती ।

कटौती प्रस्ताव संख्या २३, मांग संख्या ३४ के अधीन बचत की कटौती के रूप में रखा गया है । यह मांग संख्या ३६ के अधीन प्रस्तावित किया जा सकता है ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहते हैं, मैं उन्हें उन की सूचना १५ मिनट के अन्दर अन्दर सचिव को भेजने की अनुमति दूंगा जिस से कि मैं उन्हें सूची-बद्ध कर के सदन के सामने रख सकूं । इसी बीच में माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि इन प्रस्तावों की अनुमति देते समय मैं ने जो सिद्धान्त बताए थे, उन का ध्यान रखें ।

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य बोलते समय यह बता दें कि वे अमुक मांग पर बोल रहे हैं जिस से कि मैं उन की बातें लिख सकूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही, अब से सारी चर्चा में कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोलते समय माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहिये कि वे किस कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ।

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : श्रीमान्, मैं एक साधारण सदस्य के नाते, मंत्री होने के कारण नहीं, एक बात कहना चाहता हूं । और वह यह है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने एक घंट के भाषण में कटौती प्रस्तावों में कही गई प्रत्येक बात की चर्चा की है, इसलिए यह अच्छा होगा कि सदन आय व्ययक पास करने के बाद विधान सम्बन्धी अन्य कार्य करे ।

**माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

SD

**डा० काटजू** : वस्तुस्थिति तो यही है । मेरे माननीय मित्र ने बहुत परिश्रम किया है । उन्हों ने प्रत्येक बात—छोटी-से-छोटी बात की चर्चा की है । उन के प्रति सम्मान सहित मैं यह कहता हूं कि वे सम्भवतः फिर वही बातें कहेंग और माननीय सदस्य भी अपनी पहली बातें दोहरायेंगे । मैं सदन के समय की बचत के विचार से यह सुझाव दे रहा हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री ने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए जो विस्तार के साथ कही जा चुकी हैं और जिन का उत्तर माननीय वित्त मंत्री विस्तारपूर्वक दे चुके हैं । किसी विशेष मांग पर कटौती प्रस्ताव से कोई और ऐसी बात उत्पन्न हो, जिस की पहले चर्चा न की गई हो, तो वह कही जा सकती है ।

**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पी) : पहले हम सामान्य ढंग से बोले थे, परन्तु अब विशेष बातें कहने का समय है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक साधारण मामलों की बात है, उनके बारे में कैप कमोरन से लेकर हिमालय तक के प्रत्येक सदस्य चर्चा कर सकते हैं किन्तु विशेष मांगों के बारे में तो पेप्सू के माननीय सदस्यों को ही मैं प्राथमिकता दूंगा, तदोपरांत निकटवर्ती पंजाब और फिर शेष भारत के सदस्यों का नम्बर आयेगा इस क्रम के अनुसार मैं माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा । आय व्ययक तो पेप्सू राज्य से ही सम्बन्धित है ।

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला भटिंडा) : हमने अभी सुना है .....

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपा करके यह बतायें कि वह किन मांगों के

[उपाध्यक्ष महोदय]

बारे में बोल रहे हैं, तथा वह क्या प्रश्न उठा रहे हैं एवं किन मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रख रहे हैं।

**सरदार हुक्म सिंह** । संख्या ९ तथा १३ के बारे में।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं भी साथ ही साथ लिखे लेता हूं, कटौती प्रस्ताव क्या है ?

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं मांगों के सम्बन्ध में बोलूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मांग संख्या ९ तथा १३ । क्या माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ?

**सरदार हुक्म सिंह** : कुछ कटौती प्रस्ताव मेरे नाम से हैं किन्तु मुख्यतया मैं मांगों के सम्बन्ध में ही बोलूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव का सम्बन्ध 'परामर्शदाता के कार्य' से है।

**सरदार हुक्म सिंह** : यह 'कार्य' नहीं अपितु 'प्रशासन' है। किसी प्रकार यह 'कार्य' छप गया है। यद्यपि मैं मांगों के सम्बन्ध में ही बोलूंगा उसके पश्चात् उन कटौती प्रस्तावों पर। दोनों की चर्चा कटौती प्रस्ताव के हवाले के साथ साथ करूंगा। मेरे कहने का मुख्य उद्देश्य मांग संख्या ९ तथा १३ के बारे में ही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सौ रुपया की कटौती का प्रस्ताव है तो यह एक विशेष शिकायत होनी चाहिए। यदि घटा कर यह एक रुपया कर दी जाती है तो यह परामर्शदाता के शासन सम्बन्धी नीति का विषय है। यदि दूसरी मदों में यह १०१ रुपया की कटौती की बात है तो बचत की जा सकती है। फिर भी मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा।

**सरदार हुक्म सिंह** : मांगें सदन के समक्ष हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव साधारण रूप से उन मांगों के बारे में हैं। एक बार फिर से इन पर आम चर्चा होगी।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं अनुभव करता हूं कि विशेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में अथवा विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में वाद विवाद अथवा चर्चा नहीं होनी चाहिए।

कहा गया है कि बहुत से उच्च पद सिखों के पास हैं। यह सत्य भी है। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि वहां ऐसी स्थिति है और मैं अनुभव करता हूं कि सभी कठिनाइयों की केवल यही जड़ है। यह सोचने की बात है कि ऐसा किस प्रकार हुआ। ये सिख राज्य हैं। बाहर से जाने वाले व्यक्ति अपने यहां के अथवा अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों को वहां नहीं पाते।

कुछ सदस्यों का कहना है कि वहां 'काका राज' है। बिस्वेदार और जागीरदार के लड़के ही उच्च पदों पर हैं। किन्तु इस बात को टाल तो नहीं दिया जा सकता कि वे वहां पहले ही से थे तथा इस प्रकार की प्रथा भी है। अब इसके बारे में निश्चय करना है। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे बतायें कि क्या वहां की प्रचलित परिस्थितियों को ही अपनाने की बात है अथवा कोई ऐसी नई नीति है कि नई चीज़ बने; और जनसंख्या के प्रतिशत विचार से अथवा किसी अन्य विचार से जो कि भारतवर्ष के अन्य भागों में प्रचलित हैं ऐसी बातें निश्चित की जायं और ऐसे परिवर्तन किये जायं कि उन उच्च पदों के बारे में जो वर्तमान स्थिति है वह बदल जाय।

हमें अनावश्यक परेशानी यह होती है कि जो लोग बाहर से जाते हैं वे उसी प्रकार कार्य करने लगते हैं जिस प्रकार कि उन्हें कोई बता देता है। उन्हें वहां की परिस्थितियों का तो ज्ञान नहीं। मुझे परामर्शदाता के सम्बन्ध में

कुछ नहीं कहना है । जब बाहर से आया हुआ व्यक्ति यह देखता है कि भारत के अन्य भागों की अपेक्षा यहां सिख अधिक संख्या में कार्य कर रहे हैं तो तब सम्भवतः वह अनुभव करता है कि यहां पक्षपात है अथवा इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं, तब फिर वह इन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है । वर्तमान परामर्शदाता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता । यह कहा जाता है कि जैसे ही यह नये परामर्शदाता वहां गये तो अगले दिन से ही इन्होंने परिवर्तन करने की सोची । सम्भव है कि वह केन्द्र से ही इस धारणा को लेकर गये थे अथवा वहां उन के सलाहकारों न उन्हें गलत रास्ता सुझाया और अवांछित कार्य कराये । एक बेईमान अधिकारी को निकालने अथवा उसे नौकरी से अलग करने के विरुद्ध कोई भी नहीं है । एक व्यक्ति चाहे वह परामर्शदाता हो अथवा कोई और पदाधिकारी यदि वह प्रशासन को सुधारने के लिए कोई भी उचित कार्य करते हैं तो मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उन्हें हमारा समर्थन पूरा पूरा रहेगा । बुरे अधिकारियों के साथ सभी प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है और परामर्शदाता को सभी सहयोग मिलेगा । उनको ऐसे आदेश जारी करने से पहिले यह आवश्यक था कि वह वहां की स्थिति का मनन करते । यही वह आरोप है जो हम ने उन पर लगाया था और जिस पर हम अब भी दृढ़ हैं ।

एक उदाहरण बड़ा ही अच्छा है । एक पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये, जांच हुई, और उसे उप आयुक्त नियुक्त कर दिया गया । कैसी विचित्र बात है । कहा जाता है कि उसके विरुद्ध के आरोप इतने गम्भीर नहीं थे कि उसकी पदोन्नति को रोक दिया जाय । उसके विरुद्ध एक आरोप है कि उसने एक राजनैतिक दल के सदस्यों के शस्त्रों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी थी और वह भी एक राजनैतिक दल को चुनावों में सहायता पहुंचाने के विचार से । दूसरे दल की सहायता करने के लिये उन्होंने ऐसा किया । क्या आप इसे साधारण बात समझते हैं ? क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि परामर्शदाता भी उस दल को जिसकी कि इन छोटे पदाधिकारियों ने सहायता की थी प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे ? मैं उन पर यह आरोप नहीं लगाता किन्तु मान लीजिए कि इसका निष्कर्ष निकाला जाता है तो क्या आप किसी व्यक्ति को दोषी ठहरायेंगे । मुझे तथ्यों का तो कोई ज्ञान नहीं है किन्तु माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है उसी के आधार पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला है ? किन्तु मैं इतना अवश्य कहता हूं कि उन्हें दूसरे व्यक्तियों द्वारा सूचना दी जाती है ।

अभी तक उस पदाधिकारी के विरुद्ध जांच जारी है, और परामर्शदाता ने यह निर्णय कर लिया कि ये आरोप इनके साधारण और सादे, एवं इतने गम्भीर नहीं हैं कि वह उप आयुक्त बनने का अधिकारी न हो । चाहे वह छोटे जिले का पदाधिकारी बनाया गया हो अथवा पदाधिकारियों की कमी हो किन्तु क्या यह उचित है कि जब उस व्यक्ति के विरुद्ध जांच लम्बित है तो परामर्शदाता उसे पदोन्नति करने के लिए उचित समझ लें ? यह भी ज्ञात करना है कि क्या वे आरोप न्याय संगत हैं क्या उन में कुछ सचाई भी है ? यदि उसे इन आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है तो दूसरी बात है । उसे इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि उसके साथ न्याय होगा । किन्तु क्या यह अच्छा है कि जांच समाप्त होने से पूर्व ही परामर्शदाता यह कहें कि वह एक ज़िले का उच्च पदाधिकारी बनने के योग्य है ? यह एक शिकायत है । अन्यथा हम नहीं कहते कि परामर्शदाता ने किसी और विचार से ऐसा किया है । परामर्शद ।

[सरदार हुक्म सिंह]

यह कार्य चाहे बिना किसी इरादे के रहा हो। किन्तु मेरा तो यह कहना है कि कुछ अन्य पदाधिकारी उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं।

यह कहा गया है कि किसी सिख अधिकारी को न तो निकाला गया है और न उसे नौकरी से अलग किया गया है। यह हो सकता है। किन्तु यह भी तो हो सकता है कि उनकी पदावनति की गई हो अथवा उन्हें छोटे छोटे पदों पर भेजा गया हो, अथवा उनके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही की गई हो। हमारा तो यह कहना है कि उनको इस अधिकार से वंचित किया गया है कि वे जहां पहले किसी संस्था के उच्च पदाधिकारी थे तो अब वहां से उनको अलग छोटी जगह पर कर दिया गया है। यदि उनको अलग किया गया होता अथवा नौकरी से हटा दिया गया होता तो यह दूसरी बात थी। मैं यह जनना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि इन पदाधिकारियों के अधीन कर्मचारी तो दूसरे स्थानों से लाये गये हैं और उन से कहा गया है कि वे इन पदाधिकारियों का स्थान लें ?

एक बहुत ही मजेदार बात माननीय वित्त मंत्री ने कही है जिसकी आशा मुझे कम से कम उन से तो नहीं थी—उन्होंने कहा है कि ये निर्णय सिख पदाधिकारियों ने स्वयं अपने आप किये हैं ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैंने कहा था कि सिफारिश की गई है।

**सरदार हुक्म सिंह** : वह तो ठीक है। मैं उन को इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि वह कोई कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें सिखों से, हिन्दुओं से, अथवा किसी भी अन्य से सिफारिश मिल सकती है। परामर्शदाता के आने के दो तीन दिन बाद ही आदेश दिये गये कि पदाधिकारी छुट्टी पर जायं। उनको यह पता भी नहीं था कि उनको छुट्टी पर जाना है। जब उनको ये आदेश जारी किये गये तो उन्होंने बताया कि वे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देना होगा। आदेश पहिले ही से पारित कर दिये गये थे। ये वे बातें हैं जो बहुत ही परवाह एवं सावधानी से देखी जानी चाहिए।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभी सिख पदाधिकारी, बेईमान, निष्ठाहीन, अवज्ञाकारी हैं ? किसी अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? मैं उन पदाधिकारियों की ओर से कोई अपील नहीं कर रहा हूं। यदि उन्हें बेईमान पाया जाता है तो निश्चय ही उन्हें अलग कर दो। परन्तु इससे जनता तथा पढ़े लिखे व्यक्तियों के हृदय में क्या भावना होगी ?

डकैतियां कम हो गई हैं यह तो बड़ा अच्छा है। माननीय गृहकार्य मंत्री ने अपने पेप्सू के दौरे में देखा था ग्रामवासियों ने उनसे कहा था कि उनके यहां विधि और व्यवस्था नहीं है। माननीय गृहकार्य मंत्री इसे अब भी स्वीकार करेंगे कि यह तथ्य है अथवा नहीं। ऐसा मन्त्रिमंडल को नीचा दिखाने के लिए किया गया था, जनता को अराजकता फैलाने के लिये उकसाया गया था ताकि मन्त्रिमंडल को हटाया जा सके। अब तो वह समाप्त हो गई वहां का मंत्रिमंडल समाप्त हो गया। अब वहां विधि और व्यवस्था है तो इससे सभी को प्रसन्नता होगी। यदि वहां विधि और व्यवस्था हो जाती है और पूरी शान्ति हो जाती है तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

जहां तक भ्रष्ट पदाधिकारियों और बेईमान व्यक्तियों को दंड देने की बात है तथा अराजकता को दूर करने और विधि और व्यवस्था को स्थापित करने की बात

है वहां तक हम सरकार को तथा उस के द्वारा परामर्शदाता को इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उनकी पूरी पूरी सहायता करेंगे किन्तु उनको इस प्रकार का बर्ताव करना होगा कि न केवल वह स्वयं ही इस बात का अनुभव करें कि वह न्याय कर रहे हैं अपितु जनता में भी इस बात की भावना उत्पन्न करें कि वह कुछ पदाधिकारियों को दूसरे के कहने पर जो कि इन पदाधिकारियों को नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने उनके कथनानुसार अथवा उनकी योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं किया है, दंड नहीं दे रहे हैं। उन्हें राजनीति से बच कर न्याय के आधार पर कार्य करने चाहिएं। तब उन्हें वहां सबका सहयोग मिलेगा।

**श्री रघुनाथ सिंह** (ज़िला बनारस--मध्य) : मैं डिमान्ड्स नम्बर २७ और ३५ के विषय में इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। डिमाण्ड नम्बर २७ एजूकेशन से सम्बन्ध रखती है और ३५ पंजाबी डिपार्टमेंट की है।

पेप्सू के विषय में जब हम विचार करने लगते हैं, तो हमारे सामने न जाने कौन सा साम्प्रदायिकता और जातीयता का जैसा भूत सामने आ जाता है। हम विचार करने लगते हैं कि जैसे भारतवर्ष को हमने खंडित किया, क्या उसी प्रकार कोई अविश्वास-रूपी धारा बह रही है कि जो हिन्दुस्तान अब बचा है, उसको भी हम और खंडित करने की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं इसलिये हमें रुक कर गम्भीरता से इस बात पर विचार करना है कि जो हिन्दुस्तान इस वक्त क़ायम है, उस हिन्दुस्तान को हमें क़ायम रखना है, या उसे हम फिर और खंडित करना चाहते हैं। पेप्सू में जो धारा बही वह धारा साम्प्रदायिकता के आधार पर बही। जो भाषण यहां पर दिये गये उन से भी यही भावना धीरे धीरे मालूम पड़ती है।

**एक माननीय सदस्य** : धीरे धीरे नहीं तेजी से।

**श्री रघुनाथ सिंह** : आप उसे तेज़ी से कह सकते हैं मैं तो उस को धीरे धीरे ही कहता हूं। अगर आप देखेंगे तो पेप्सू में आठ रियासतें हैं, ३५ लाख की आबादी है। अर्थात जितना बड़ा बनारस ज़िला है उतनी बड़ी पेप्सू रियासत है और उस के वास्ते इतनी बड़ी भूमिका बांधी गई है कि मालूम पड़ता है कि सिखों के साथ बड़ा जुल्म और बड़ा अन्याय किया जा रहा है। जब जब पेप्सू के विषय में कोई विचार उठता है तो सीधे सिखों का सवाल ला कर सामने खड़ा कर दिया जाता है जिस को सुनते सुनते तबियत परेशान हो चुकी। हमें एक बात निश्चित करनी है। अगर हम हिन्दुस्तानी हैं भारतीय हैं तो सिखों का, हिन्दुओं का या मुसलमानों का कोई सवाल नहीं है। आज हमें एक रूप में खड़े होना चाहिये और अगर हम एक रूप से नहीं खड़े होंगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।

रह गई बात एजूकेशन के सम्बन्ध में। पेप्सू में हिन्दी भाषा भाषी अर्थात् हिन्दी बोलने वालों की तादाद एक तिहाई है। पंजाबी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा यह सब हिन्दी भाषा के रूप हैं। उस के अंग हैं। जैसे राजस्थानी हिन्दी का अंग है, उसी प्रकार पंजाबी भी हिन्दी का अंग है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि गुरु ग्रन्थ साहिब की भाषा क्या ह? यह पंजाबी है, हिन्दी है, या भोजपुरी और ब्रज भाषा है या मागधी है? कौन भाषा है? आप पंजाबी की आवाज क्यों उठाते हैं? पंजाब में आज तक जितन अखबार निकले. सब उर्दू में निकले, सब को आप उर्दू में प्रकाशित करते रहे हैं, क्या आप की भाषा उर्दू थी? आप ने उन को पंजाबी

[श्री रघुनाथ सिंह]

में क्यों नहीं प्रकाशित किया ? लेकिन आज पंजाबी का सवाल जब उठाया जाता है उस के पीछे एक रहस्य है। उस के पीछे एक दुर्भावना है और वह यह है कि हम अपनी, एक अलग रियासत कायम करें। आज इस डिमाक्रेसी के जमाने में यह सुन कर बड़ा अफसोस होता है कि लोग राजप्रमुख को इतनी महत्ता देते हैं। यह तो डिमाक्रेसी का जमाना है, एक आदमी का शासन नहीं हो सकता। शासन सब का होगा और जब शासन सब का होगा तो अगर किसी में दोष है, तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो हमें इसे स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति हो, चाहे वह राजा हो, चाहें ताल्लुकेदार हो, चाहे ज़मींदार हो या चाहे बिस्वेदार हो। अगर वह किसी प्रकार साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देता है तो उसका हमें विरोध करना ही है।

रह गई बात हिन्दी की। जैसा मैंने कहा कि जो वहां के अंगरेज़ी स्कूल हैं उन को तो पेप्सू सरकार एड देती है, लेकिन हिन्दी के स्कूलों को पेप्सू सरकार एड नहीं देती है। क्या कारण है कि पेप्सू के जो प्राइमरी स्कूल हैं उन में हिन्दी की शिक्षा नहीं दी जाती जब कि वहां के रहने वाले एक तिहाई लोग हिन्दू हैं। इसका मैं एक नमूना दूंगा। मंडी के लोगों का एक डेपुटेशन पेप्सू की सरकार से मिला। उसने कहा कि मंडी में रहने वाले लोग ज्यादा तर हिन्दी भाषा भाषी हैं इसलिये उनको हिन्दी पढ़ने का अधिकार दे दिया जाय। इस आजादी के युग में जबकि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, हम यह डिमाण्ड करें कि हमें हिन्दी पढ़ने का अधिकार दे दिया जाय ? यह तो बड़े अफसोस की बात होगी। हमें देश में एक भाषा को कायम करना है, वह राष्ट्र भाषा उर्दू नहीं हो सकती, वह अंग्रेजी नहीं हो सकती। वह भाषा अगर कोई हो सकती है तो हिन्दी हो सकती है। ऐसी अवस्था में जब कि हम को हिन्दी को प्रोत्साहित करना था, हिन्दी के वास्ते हमें जो कदम आगे बढ़ाना चाहिये था हम उस कदम को पीछे रख रहे हैं, यह बिल्कुल अनुचित बात है।

अब मैं बजट के सम्बन्ध में आप से कहूंगा कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये यह जो पेप्सू सरकार की पुरानी पालिसी थी उस पालिसी को बदलना चाहिये। जो प्राइमरी स्कूल अपने यहां हिन्दी पढ़ाते हैं, या पढ़ाना चाहते हैं उनको आपको इसके लिये आजादी देनी चाहिए क्योंकि आप के सम्मुख जैसे हिन्दी वैसे पंजाबी। तो जो विद्यार्थी अपना अध्ययन हिन्दी में करना चाहते हैं उनको आप की तरफ से पूरी सुविधा होनी चाहिए। हिन्दी के विषय में अभी तक कोई कार्य वहां पर नहीं किया गया है। केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक छोटी सी संस्था है जिसने वहां पर हिन्दी के लिये कुछ काम किया है। इस वास्ते वित्त मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि आज जो बजट आपने बनाया है उसमें आप इस बात

१० म९ पू०

पर विचार करें कि जिन स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा रखी जाती है उनको रिकग्नाइज किया जाय, उन को एड दी जाय और जो हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त हैं या क्षेत्र हैं अगर उन में हिन्दी के स्कूल स्टार्ट होते हैं तो उन को इसी प्रकार से सहायता दी जाय जैसे कि पंजाबी के स्कूलों को सहायता दी जाती है।

अब मेरा एक प्रश्न और है ? जैसा मैंने कहा कि पेप्सू स्टेट बनारस जिले के इतनी बड़ी है। अगर आप ईस्टर्न यू० पी० को ले लें तो सारा पंजाब उस में आ जाता है। हमें छोटी छोटी स्टेटों की आवश्यकता नहीं है। पेप्सू, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश और ईस्ट पंजाब इन चार स्टेटों को मर्ज कर के हमें

एक ठोस राज्य कायम करना चाहिये, एक प्रदेश कायम करना चाहिये और इस वास्ते इसको कायम करना चाहिये कि यह प्रदेश हमारा सीमावर्ती प्रदेश है। हम सीमावर्ती प्रदेश को जितना ठोस बना सकें, जितना मजबूत बना सकें उतना ही हमारे लिये अच्छा है, सैनिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि यह प्रदेश हमारा विरोधी न हो। उस में ऐसी भावना न उत्पन्न हो जो देश के इन्टरेस्ट के अगेन्स्ट जा सके। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इन विचारों को ध्यान में रखा जाय।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि हमारे हुकुम सिंह जी ने बहुत बार इस बात को दोहराया कि लोकतन्त्रीय शासन वहां से उठा लिया गया। डिमाक्रेसी को वहां से उठ लिया गया। लेकिन डिमाक्रेसी को असफल किस ने किया? आपने, यह बड़े अफसोस की बात है। लोकतन्त्रीय शासन अगर कहीं असफल होता है तो वह सब के लिये दुःख की बात है। हमें इस बात का दुःख है कि एशिया में लोकतन्त्र अधिक सफल नहीं हो रहा है। जापान के अलावा आपके देश में अब लोकतन्त्रीय शासन का आरम्भ हुआ है, अगर आप जापान और हिन्दुस्तान को निकाल दें तो लोकतन्त्र आज कहां सफल हो रहा है। हम कहीं उसे सफल नहीं देखते। लेकिन लोकतन्त्र के माने यह नहीं हैं कि जुलम किया जाय, अत्याचार किया जाय। उस लोकतन्त्र से जहां जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, फासीज्म अच्छा है, नाजीज्म अच्छा है या सोवियट फार्म अच्छा है। राज्य मनुष्य के लिये है न कि मनुष्य राज्य के लिये। अगर मनुष्य के ऊपर अत्याचार होते हैं तो ऐसे राज्य की हमें आवश्यकता नहीं है। यह साफ है कि जब से नई रिजीम कायम रूई है, आप कह सकते हैं कि नई रिजीम एक आदमी के हाथ का शासन है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो संक्रमण काल है, यह इस लिये है कि जो वहां के रहने वाले हैं उन को अधिकार दिया जाय कि वह स्वच्छन्दता पूर्वक आने वाली असेम्बली का चुनाव करें। अगर आने वाली असेम्बली कोई दूसरी नीति अख्त्यार करती है तो उसको तो छोड़ दीजिये, लेकिन इस वक्त यह बिल्कुल सच है कि चोरी कम है, डाके कम हैं।

हमारे हुकुमसिंह जी कहते हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट ठीक से नहीं लिखी जाती है। हुकुमसिंह जी भी वकील हैं और मैं भी फौजदारी का वकील रह चुका हूं। इब्तदाई रिपोर्ट लिखाने जाता कौन है? उसके पीछे वकीलों का दिमाग होता है। कहीं जब खून होता है और आदमी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वकील साहब कहते हैं कि रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिये जो कि खिलाफ न पड़े। मैं उन से कहता हूं कि ८० परसेन्ट केसेज अगर इब्तदाई रिपोर्ट में बिगड़ जाते हैं तो वह कभी भी सफल नहीं होते। इस लिये पुलिस वाले भी, वकील भी जहां तक फौजदारी के केसेज़ का सम्बन्ध है इब्तदाई रिपोर्ट लिखाने में खास प्रिकाशन लेते हैं। तो यह तो उस में वकीलों का दिमाग है। अगर पेप्सू की जनता ईमानदार है तो वहां रिपोर्ट भी ठीक हो सकती है।

**श्री नामधारी** : क्या मैं अंग्रेज़ी में बोलूं अथवा हिन्दी में?

**एक माननीय सदस्य** : हिन्दी में।

**श्री नामधारी** : जब कभी मैं स्नेहपूर्ण अथवा आध्यात्मिक भाषण देना चाहता हूं तो हिन्दी में बोलता हूं और जब कभी लड़ना होता है तो अंग्रेज़ी में बोलता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यहां लड़ना नहीं चाहिए।

**श्री नामधारी** : माननीय उपाध्यक्ष जी..

**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में बोलिये।

**कुछ माननीय सदस्य** : हिन्दी में बोलिये।

**श्री नामधारी** : मैं हिन्दी में ही बोलना चाहता हूं। हमारे गुरु महाराज की ९० फी सदी वाणी हिन्दी में है। हिन्दी तो हमारी स्प्रिचुअल लंग्वेज है। जब मुझे कोई स्प्रिचुअल बात कहनी होती हो तो मैं हिन्दी में बोलता हूं, जब मुझे किसी की मुखालिफत करनी होती है तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूं।

मैं अपोजीशन की बहुत सारी बात सुनता रहा हूं लेकिन मुझे जो नज़र आता है वह सारा कम्युनल फोरसेज का झगड़ा है, न एडमिनिस्ट्रेशन का झगड़ा है और न किसी और बात का झगड़ा है। तो सिम्टम्स का इलाज करने से कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक कि बीमारी के असली काज का इलाज न किया जाय। जो बांत हमारे भाई रघुनाथ सिंह ने कही हैं। मैं उनमें से हर एक से सहमत हूं। अभी मैं हरिद्वार में कुम्भ के वक्त गया था। वहां मैं एक कान्फ्रेन्स में बोला जिसका कि मैं प्रेसीडेंट था। वह हिन्दू-सिख-यूनिटी कान्फ्रेन्स थी। उस में कोई एक लाख आदमी जमा थे। मैंने उनको बतलाया कि जीने से मरने तक हिन्दुओं की और सिखों की सारी बातें एक हैं। हमारी पूर्णमासी एक है, संक्रान्ति एक है और दूसरी सारी बातें एक हैं। हमारे गुरु, गुरु रामदास साहब, गुरु अर्जुनदेव साहब हुये हैं हिन्दुओं की संस्कृति एक है। हमारे मृतक संस्कार तक एक हैं। हमारे अवतार तक एक हैं। हमारे गुरु महाराज ने अवतारों के बारे में लिखा है कि हमारे अवतार सब एक ही हैं। सत्युग में, त्रता में, द्वापर में और कलियुग में वह यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति के अनुसार बार बार आये हैं। उन्होंने कहा है : ईश्वर की ज़बानी गुरु ग्रन्थ साहब में दर्ज है।

(१) सतयुग ते मानियो छलियो बरभावत भाइयो ।

(२) त्रेता ते मानियो राम रघुवंश कहाइयो ॥

(३) द्वापर कृष्ण कंस कृतार्थ कियो । उग्रसेन को राज अभ्य भगते जन दियो।

(४) कलियुग परमान नानक गुरु अंगद अमर कहायो ।

सिरी गुरु राज अमचल अटल आदि पुरख फरमाइयो ॥

**डा० एन० बी० खरे** : वह किस कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह शिक्षा अथवा प्रशासन पर है ?

**श्री नामधारी** : कटौती प्रस्ताव १३ और ३९।

तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जब मैंने लोगों को बतलाया जहां तक हमारे अवतारों का सवाल है वह सब [मिलते हैं तो फिर झगड़ा क्या है। सब एक ही बात है। हमारी आधी बिरादरी हिन्दू है और आधी सिख है। मेरे फादर इन ला भगत सांई दास ऐडवोकेट हिन्दू थे, ऐच० ऐस० मालिक साहब के फादर इन ला भगत ईश्वर दास थे वह हिन्दू थे, और हमारे मास्टर तारासिंह के पिता लाला गोपीचन्द हिन्दू थे और वह खुद भी नानकचन्द कहलाते थे, बाद को उनका नाम तारासिंह हुआ। तो फर्क क्या हुआ। सब एक बात है सब एक चीज़ है फिर फर्क कैसे हुआ। यह फर्क किस ने पैदा किया। मैंने उन लोगों को इसकी बैक ग्राउण्ड सुनायी। तो [भगवान् कृष्ण और भगवान् राम और गुरु नानक के नाम के मुश्तरका नारे वहां पर लगने लगे। मैंने उनको बतलाया कि जब अंग्रेजों ने देखा पचास लाख हिन्दू गुरु महाराज का अमृत पी कर सिख बन गये हैं और कुरबानियां देते हैं तो उन्होंने सोचा कि इनको हिन्दुओं से शार्ट सरकिट करो। उन्होंने देखा कि अगर भारत की हिन्दू जनता इसी तरह सिखों में शामिल

होती गई तो यह एक बहुत फारमिडेबिल मिलिटरी कौम बन जायेगी। इसीलिये उन्होंने इनको शार्ट सरकिट करने की कोशिश की क्योंकि वह जानते थे कि शहीदों का रक्त मंदिर का स्थान है।

तो हम को देखना तो फिर चाहिए कि हम म फर्क क्या है। मेरे दोस्त राजा मंडी ने मुझ से पूछा तो फिर हिन्दुओं और सिखों में क्या फर्क है तो मैंने उनको बतलाया कि यही फर्क है कि जैसे एक शैवरलैट कार का माडल सन् १९४२ का हो और दूसरा सन् १९४५ का हो। पुराने हिन्दू व ऋषि महात्मा की शक्ल तो जटाजूट थी वह सिख शक्ल में हैं। और नया माडल यानि अंग्रेजी माडल आप हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे अकाली दोस्तों को यह मालूम होना चाहिये कि हमेशा सिखों के मूवमेंट में हिन्दुओं ने साथ दिया है। हमारे सिखों के मूवमेंट में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमृतसर १९२० में आये तो उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी होगी यह देख कर कि एक एक हिन्दू परिवार में एक एक सिख हो। अगर यह समझते कि यह लोग अलग अलग हैं तो वह यह बात क्यों कहते। अकाली मूवमेंट के समय हिन्दुओं की लड़कियों ने सिखों को, जख्मी सिखों को अपना भाई समझ कर उनकी अस्पतालों में सेवा की। मैं समझता हूं कि इस सारे झगड़े की जड़ में कम्युनल फीलिंग है। अकाली मासेज़ बुरे नहीं हैं। सिर्फ लीडरशिप गलत है। मैं तो यह समझता हूं कि सरदार हुकुमसिंह भी अच्छे आदमी हैं। अगर उनके हाथ में भी लीडरशिप आ जाये तो भी ठीक हो सकता है। लेकिन वह बेचारे कुछ नहीं कर सकते। जितने अकाली जनरल थे जैसे बाबा खड़गसिंह, सरदार ऊधमसिंह और परताप सिंह कैरो वह छोड़ कर चले आये। अब तो सिर्फ डालडा अकाली लीडर रह गये हैं। मुझ से एक पाकिस्तानी साहब ने कहा कि हमारी सुलह सिखों से करा दीजिये। मैंने कहा कि वह कांग्रेस से सुलह कर लें सिखों से खुद बखुद हो जायेगी। मुझ से एक साहब ने कहा कि सिख तो सिर्फ पचास लाख हैं, सुलह न होने से सिखों को नुकसान होगा तो मैंने कहा कि नहीं सिख १४ करोड़ हैं। उन्होंने पूछा कि १४ करोड़ कैसे हो गये तो मैंने कहा पिछली लड़ाई में जबकि सिख ड्यूटी के तौर पर लड़े थे तो उन्होंने चालीस परसेंट विक्टोरिया क्रासेज़ हासिल किये। तो आप देख सकते हैं कि ३३ करोड़ की हिन्दुस्तान की आबादी का ४० परसेंट कितना हुआ; उससे पहली लड़ाई में जो कुछ सिखों ने किया उसका आपको पता होगा। सिख कम्युनिटी कभी कम्युनल नहीं रही। अब जो कुछ उनके झगड़े हैं उनके लिये मैं उनसे अपील करूंगा कि वह ज़रा तसल्ली रक्खें। वह पंजाबी स्पीकिंग प्राविंस चाहते हैं। उसके लिये हमारे पंडित जी ने कहा है कि तमाम सूबों के लिये वह कमीशन बनायेंगे। दूसरा शिड्यूल्ड कास्टस का मसला है जिसके लिये बैकवर्ड क्लास कमीशन बना है और वह उसको देखेगा। तीसरी बात सरविसेज़ के बारे में है। तो सरविसेज़ में क्या हो गया है। कोई डिसमिस नहीं किया गया। नेचुरली क्योंकि पेप्सू में सिख सरविसेज़ में ज्यादा हैं इसलिये उनके खिलाफ ज्यादा इंक्वायरीज हुई हैं।

एक हमारे दोस्त अकाली मेम्बर हैं। वह वहां बैठे हुए हैं। वह सरदार अजीतसिंह हैं। उन्होंने फरमाया कि फ़ी आफ कम्पेंसेशन जमींदारियां ली जा रही हैं। मैं समझता हूं कि वह अच्छे आदमी हैं लेकिन उनको शायद यह तलाश करने का वक्त नहीं मिला कि सरकार क्या मुआवजा देती है। सरकार मारकेट वेल्यू से १५ परसेंट ज्यादा देती है। लेकिन उनकी अभी नई नई शादी हुई है। उन को यह जानने का मौका नहीं मिला होगा।

इसके बाद मैं डिमान्ड नम्बर ३९ पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। राजप्रमुख के

[श्री नामधारी]

सवाल पर कुछ कहने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कल इस मसले पर हमारे भी कई लोग बोले और उधर से भी बोले। कल एक साहब ने यह कहा था कि पेप्सू में कांग्रेस वाले फरोख्त के लिये बाजारों में फिरते थे। और वह खरीदे जाते थे। मैं उनको याद दिलाऊं कि वह तो शायद कांग्रेस का पुराना आदमी नहीं होंगा। बहुत से नये आदमी कपड़े बदल कर शामिल हो जाते हैं और वह बोगस आदमी होते हैं लेकिन उनको याद होना चाहिए कि उनके जो बड़े पतिव्रता आदमी थे जब कांग्रेस मिनिस्ट्री पंजाब में आयी तो वह अकालियों में से भाग भाग कर कांग्रेस के साथ आ गये। तो एक बाप के कई बेटे होते हैं उन में से कुछ जीते हैं कुछ मर जाते हैं। ब्लैक शीप सब जगह होती है पर कांग्रेस में बहुत कम हैं। इसकी हम को खुशी है।

राजप्रमुखों के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पवित्र बुजुर्ग स्वर्गीय सरदार पटेल के इशारे पर अपना सब कुछ अर्पण कर दिया उन बुजुर्ग के इशारे पर कि जिन्होंने महात्मा गांधी के बाद मुल्क की ४९७ स्टेट्स को एक करके मुल्क की बहुत बड़ी सेवा की है। हमने उन राजा महाराजाओं को कोई कैपीटलिस्ट्स की तरह नहीं समझा हमने उनको अपना नेशनल हिरोज समझ कर उन लोगों की ही तरह रखा कि जिन्होंने अपना सब कुछ कुरबान कर दिया। उन्होंने अपना सब कुछ बिना ब्लड शैड के छोड़ दिया। अगर ऐसे लोगों को हमने कुछ लाख रुपया दे दिया तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया।

**श्री पी० आर० राव**: निजाम ने झगड़ा किया उनको क्यों रखा जाता है।

**श्री नामधारी**: वह देखा जायगा। इसमें जो राजप्रमुख का सवाल है तो मैं समझता हूं कि मैं पटियाला को इस वास्ते ज्यादा अच्छा समझता हूं कि पटियाला ने सबसे पहले हिन्दुस्तान की रियासतों को लीड किया। अंग्रेज की पालिसी यह थी कि जैसे पंजाब में कत्ले आम हुआ, हिन्दुस्तान की हर रियासत में होगा और यह लोग बोल उठेंगे कि हम से आजादी नहीं सम्भाली जाती, आप आइये। वह पालिसी फेल हो गई। हिन्दुस्तान के राजाओं ने अपने मुल्क का ज्यादा ख्याल किया और उससे ज्यादा प्यार और अपना हर एक ऐश्वर्य मुल्क की बेहतरी के लिये कुरबान कर दिया। तो जैसे कहा है "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाहिं पर वचन न जाई", तो हम ने जो वचन दिया है उस के तोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, कि जयपुर या पटियाला ने या और कई लोगों ने जो खुद बखुद सैक्रीफाइस किया है तो उनके साथ बुरा सलूक किया जाय। वह जो हमारे सरदार पटेल का दिया हुआ वचन है, उसका ख्याल न करें, हम सरदार पटेल की आत्मा को कभी महसूस नहीं करने देंगे, यह नहीं हो सकता और यह हमारे कुछ भले मानस मेम्बर हैं तो यह भी बहकाये जाते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। तो इसके बारे में कोई फिक्र नहीं करना चाहिये।

आखिर में मैं थोड़ी बात और कहता हूं कम्युनिस्ट भाइयों से तो मैं कहूं क्या, उन का तो पेशा ही है कि हर एक चीज को एक्सप्लाइंट करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं एक कम्युनिस्ट से बात करने लगा तो वह कहता है कि पाप करना दुनिया में जरूरी है। मैंने कहा कि पाप करना क्यों जरूरी है तो उसने जवाब

दिया कि भाई पाप नहीं करेंगे तो बैल कैसे बनेंगे, फिर फसल कैसे पैदा होगी और कैसे धान पैदा होगा। फिर एक दूसरे भाई कहने लगे कि हमारे जो रिप्रजेंटेटिव्ज आप के पास हैं वह कैसे हैं जो यहां रखे हुये हैं। मैंने कहा कि परसनली बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन फारेनर के एजेंट ज़रूर हैं। तो मेरे एक दोस्त वहां खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इससे तो आपका बड़ा भारी फ़ायदा है। "दे आर दी स्ट्रांगैस्ट वैपन्ज फार इंडियास डिफेंस" हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी के वास्ते वे बहुत फायदे मन्द हैं। मैंने पूछा कैसे तो वह कहने लगे कि पुराने जमाने में मुसलमान लोग, अफ़गान लोग जब हमला करते थे तो पांच-पांच सौ गौएं आगे रख लेते थे कि जिसमें हिन्दू उन पर हथियार चला नहीं सकते और इस तरीके से वे फ़तह कर लेते थे। तो यह जो हमारे आनरेबिल मेम्बर हैं तो कभी रशिया हमारे साथ झगड़ा इन के कारण नहीं करेगा, क्योंकि उनको आगे रखा जायगा और कहा जायगा कि यह सेक्रेड काउ माता की ड्यूटी और सेक्रेड यंग बुलस की तरह तुम्हारे लिये हैं। तो इस तरह इनसे हमारा फ़ायदा है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हिन्दुओं और सिखों को अलग करने की बात जो है यह ग़लत है। "दीज आर ओल्ड गेम्स आफ़ दी ब्रिटिश", इस को खत्म करो। एक बिरादरी है, एक जाति है, एक अवतार है, एक कीर्तन है, हम सब एक ही हैं और एक ही नेशन है और हम सब एक ही जान हैं। और एक ही रहेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें जिन की सूचना मिल चुकी है और जो नियमानुकूल हैं।

इस के उपरान्त कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिन का विवरण निम्नलिखित है :—

## भू-राजस्व

| सदस्य का नाम और निर्वाचन क्षेत्र | कटौती प्रस्ताव का विषय | कटौती की राशि |
|---|---|---|
| श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर रक्षित—अनुसूचित जातियां) | जमींदारी का उन्मूलन | १०० रुपये |
| श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) | पेप्सू में भू-राजस्व की दरें | १०० रुपये |
| | कृषकों को भूमि तथा स्थायी स्वामित्व देने के लिये कृषक सुधार | १०० रुपये |
| श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) | कृषि विधान | १०० रुपये |

## विधान मंडलों के लिये चुनाव

| | | |
|---|---|---|
| श्री राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) | विधान मंडल का चुनाव | १०० रुपये |
| श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) | आम चुनाव में भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुसाशन सम्बन्धी कार्यवाही | १०० रुपये |

## गृह-विभाग

[उपाध्यक्ष महोदय]

| | | |
|---|---|---|
| श्री राजभोज | सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व | १०० रुपये |
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) | पंजाब के साथ पेप्सू का एकीकरण | १०० रुपये |

## पुलिस

| | | |
|---|---|---|
| श्री पुन्नूस | पुलिस द्वारा लोगों के विरुद्ध दमन की कार्यवाही | १०० रुपये |

## फुटकर विभाग

| | | |
|---|---|---|
| श्री राजभोज | औद्योगिक श्रम | १०० रुपये |

## भारतीय नरेशों के व्यक्तिगत खर्चे और भत्ते

| | | |
|---|---|---|
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी | धन देने से इन्कार | (राशि घटाकर १ रु० की जाए) |
| श्री पुन्नूस | नरेशों के सम्बन्धियों को दिये जाने वाले भत्ते | १०० रुपये |

## बहुसूत्री नदीयोज —भाकरा नांगल परियोजना—पर कुल व्यय

| | | |
|---|---|---|
| श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी | भाखरा नांगल परियोजना में भ्रष्टाचार और अयोग्यता | १०० रुपये |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब ये सारे कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं।

**श्री नम्बियार** (मयूरम) : मैं ने मांग संख्या २ पर कटौती प्रस्ताव अन्तिम क्षण पर सचिव को दे दिये हैं और मैं ने संख्यायें भी दे दी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य के ऐसे एक सौ कटौती प्रस्ताव हैं और वह यहां नहीं थे।

**श्री शोभाराम** (अलवर): मैं राज्य के भू-राजस्व के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। राज्य की भूमि सम्बन्धी नीति वहां पर विधि और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या पैदा करने की उत्तरदायी है। मैं उसी के सम्बन्ध में कहूंगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मूल विवाद प्रश्न भूमि के स्वामित्व को निश्चित करने का है और इसी समस्या के सुलझाने पर पंचवर्षीय योजना की सफलता निर्भर है।

भूमि सम्बन्धी नीति के दो पहलू हैं—एक तो भूमि प्रबन्ध विधान के सम्बन्ध में और दूसरा भूमि-सुधार विधान के सम्बन्ध में। समस्या का बाद वाला पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि उस का उद्देश्य धन और आय की असमानताओं को कम करना है। वह शोषण

को समाप्त करता है और काश्तकारों तथा श्रमिकों के लिये सुरक्षा प्रदान करता है और अधिकांश ग्रामीण लोगों को अवसर देने का वचन देता है । इसी दृष्टिकोण से मैं पेप्सू सरकार की राज्य नीति का मूल्यांकन करना चाहता हूं ।

सन १९५० में राज्य मंत्रालय ने, पेप्सू राज्य में भूमि सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री वेंकटाचार के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति ने गत वर्ष जून के महीने में अपना प्रतिवेदन दे दिया है : मुझे प्रसन्नता है कि उस समिति की सिफारिशें बहुत व्यापक हैं और उन में राज्य में कुछ परिवर्तनों के किये जाने की चर्चा की गई है । लेकिन मेरे विचार से ये सिफारिशें लगान नियंत्रण, पट्टे की सुरक्षा और मध्यस्थ अधिकारों के उन्मूल्यन के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण हैं । पेप्सू में जमींदार और काश्तकार में काफ़ी झगड़ा हुआ है । मेरे विचार से अब इस बात की बहुत आवश्यकता है कि भूमि सुधार सम्बन्धी कोई विधान पारित किया जाना चाहिये । पहली बात तो यह है कि मध्यस्थ अधिकारों का उन्मूलन होना चाहिये । पेप्सू में बड़े स्वामियों के अधिकार समाप्त नहीं किये गये हैं । वेंकटाचार समिति ने अपनी सिफ़ारिशों में यह कहा है कि १९५१ के आला मालकियत और ताल्लुकदारी अधिकारों को पेप्सू में अधिनियमित करना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । मैं मानता हूं कि मुआवज़ा (प्रतिकर) लगान का आठ या दस गुना हो सकता है । पर उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां लगान पूर्णरूप से अथवा अंशत: अन्न के रूप में देय होता है, उक्त समिति ने यह सुझाव रखा है कि गत १५ वर्षों में अन्न के औसत भाव के आधार पर लगान लेना चाहिये । मेरे विचार से यह उचित नहीं है । इन्हीं गत १५ वर्षों में अन्न का औसत भाव अधिकतम रहा है और सरकारी भू राजस्व से बीस गुना अधिक तक रहा है । अत: ऐसे ऊंचे भावों के आधार पर किसी भी मुआवज़े (प्रतिकर) का खजाने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । यही नहीं इस से अन्य राज्यों के लिए एक बुरा पूर्व-दृष्टान्त बन जायेगा ।

यद्यपि यह सत्य है कि संविधान के ३१ वें खण्ड के अंतर्गत हम ने प्रतिकर के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है किन्तु यह निर्णय करना अभी शेष है कि प्रतिकर की उचित राशि कितनी होनी चाहिये ।

**[श्रीमती खोंगमेन** सभापति पद पर आसीन]

दूसरा विषय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित के प्रश्न पर विचार भी करना आवश्यक है । यह हर्ष का विषय है कि वेंकटाचारी समिति ने यह सिफारिश की थी कि अधिकतम सीमा निर्धारण वर्तमान कृषि स्वामित्व पर भी लागू किया जाय । इस दिशा में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त यह है कि भविष्य में जिस भूमि पर अधिकार प्राप्त किया जाय उसी पर अधिकतम सीमा निर्धारण लागू हो । वर्तमान कृषिभूमि पर सीमा लागू न करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने दो युक्तियां दी हैं (१) प्रतिकर और (२) विस्तृत कृषि-स्वामित्व के टुकड़े-टुकड़े हो जाने की अवस्था में उत्पादन में कमी हो जायगी । मेरा निवेदन है कि उक्त दोनों तर्क त्रुटियुक्त और भ्रामक हैं । हमारे देश में और विशेषत: पेप्सू में भूमिहीन श्रमिकों की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है अत: प्रतिकर का प्रश्न ही नहीं उठता है । भूमिहीन श्रमिकों को किश्तों में प्रतिकर देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । बहुत बड़ी भूमि के टुकड़े-टुकड़े हो जाने की दलील गलत और भ्रमपूर्ण है । मुझे यह देखकर विस्मय है कि योजना आयोग ने इस विषय पर उचित दृष्टिपात नहीं किया ।

[श्री शोभा राम]

यह कहने के लिये मुझे क्षमा करियेगा कि बहुत बड़े भू-भागों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया तो उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक है । सम्भव है लागत मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाये । किन्तु यहां लागत मूल्य का प्रश्न नहीं है यहां कुल उत्पादन का विषय है । विस्तृत भूभाग को टुकड़ों में विभक्त कर दिये जाने की दशा में छोटे भागों के अधिकारियों को लाभ पहुंचेगा ।

दूसरा विषय जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह भूमिभोगावधि की सुरक्षा से सम्बन्धित है । वेंकटाचारी समिति की सिफारिशें कुछ भी हों उन्हों ने इस विषय में स्पष्ट मत प्रकट नहीं किया है । राजस्थान और मध्यभारत में जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये तीन या चार वर्ष पूर्व जब वेंकटाचारी समिति नियुक्त की गई थी उन्हों ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लिया था कि जमींदारों द्वारा निजी रूप से खेती करने के लिये भूमि पर स्वत्व बनाये रखने की अवस्था में वे उस भूमि को तीन वर्ष से अधिक समय के लिये पट्टे पर नहीं दे सकते । यदि कोई जमींदार पट्टे पर भूमि देता है तो वह ऐसा अपनी ही जोखिम पर करता है । उन्हों ने स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त किया था कि जमीन की बेदखली से कृषक की रक्षा करने का अब समय आ गया है । योजना आयोग ने भूधारणाधिकार की कालावधि पांच वर्ष मानी है । पांच वर्ष बाद उसे जारी रखने के-लिये नवीन पट्टे की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में कृषक भूमि पर अपना अधिकार बनाये रखने की दिशा में निश्चित नहीं हो सकता । वह भूमि की उन्नति करने के कार्य में रूचि नहीं लेगा ।

अन्तिम प्रश्न लगान नियंत्रण से सम्बन्धित है । यह कदापि हर्ष का विषय नहीं है कि योजना आयोग ने कृषि उत्पादन के तृतीय अथवा चतुर्थांश को लगान की उचित दर माना है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भी यदि हम लगान की उक्त दर को ही उचित दर मानें और भूमिहीन श्रमिकों के शोषण की अनुमति देते रहें तो हमारा ध्येय कभी पूरा नहीं हो सकेगा । वेंकटाचारी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उपज का तृतीयांश अथवा चतुर्थांश भाग लगान के रूप में पर्याप्त माना गया है । इस दिशा में मैं राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत दो विधानों की ओर निर्देश करूंगा । बन्दोबस्त वाले अथवा नकदी लगान वाले क्षेत्रों में लगान भूमि राजस्व से दुगुने तक नियंत्रित किया गया है । कोई भी कृषक अब उस से अधिक लगान नहीं देगा । जिन्स लगान वाले क्षेत्रों में जहां बन्दोबस्त नहीं किया गया है कृषक को यह रियायत दी गई है कि वह भूस्वामी को उपज के छठे भाग से अधिक देने के लिये बाध्य नहीं है ।

शोषण से कृषकों की रक्षा करने वाले उन दो विधानों को ध्यान में रखना आवश्यक है । यह हर्ष का विषय है कि एकाध महीने में इसी आशय के विधान पेप्सू में भी स्वीकृत किये जाने वाले हैं ।

लगाननियंत्रण, मध्यस्थ अधिकारों का अन्त, वर्तमान टुकड़ों के विषय में अधिकतम सीमा निर्धारण के बुनियादी प्रश्नों पर जिन की ओर मैं ने ऊपर निर्देश किया है अवश्य ध्यान देना चाहिये । संबन्धित मंत्री महोदय से मेरी अपील है कि वह मेरे विचारों को उचित अधिकारियों तक पहुंचा दें तथा किसी भी प्रकार के विधान स्वीकृत करने के पूर्व उन विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है ।

**श्री पी० एन० राजभोज** : मैं ने जो कट मोशन्स (कटौती प्रस्ताव) डिमांड्स आफ़ ग्रांट्स (अनुदानों की मांगों) पर दिये हैं;

उन की संख्या चार है। पहला कट मोशन नम्बर चार डिमांड अंडर दी हेड लेंड रेवेन्यु ( एबोलीशन आफ़ जमीदारी) के मुताल्लिक है, दूसरा कट मोशन नम्बर १० है जो डिमांड के अंडर दी हेड ऐलक्शंस टु दी लेजिस्लेचर पर है, तीसरा नम्बर १३ है जो कि डिमांड अंडर दी हैड होम डिपार्टमेंट (रीप्रेजेन्टेशन आफ़ शैड्यूल्ड कास्ट्स इन गवर्नमेंट सर्विस) और चौथा कट मोशन मेरा नम्बर २६ है जो कि इंडस्ट्रियल लेबर के ऊपर है।

रीप्रेजेंटेशन आफ़ शड्यूल्ड कास्ट्स इन गवर्नमेंट सर्विस के बारे में हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह मैं ने सुना है, लेकिन मैं अपने मन्त्री महोदय और साथ ही इस सदन का ध्यान उन एजूकेटेड शेड्यूल्ड कास्ट यंगमेन की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो सर्विस के लिये इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और वहां उन को कितनी दिक्कत और मुसीबत का सामना अरना पड़ता है। होता यह है कि क्वालीफ़ाइड शेड्यूल्ड कास्ट के इम्पलायमेंट एक्सचेंज में सर्विस के लिये पहुंचने से पहले ही उन जगहों पर जिन के लिये वह उम्मीदवार होते हैं, कास्ट हिन्दूज़ लोगों को रख लिया जाता है।

दो चार महीने के बाद फ़िर कोई आदमी बदल जायगा तो जो पहले आदमी रक्खा गया है उसी को रख दिया जायगा। हमारी जातियां ऐसी हैं जिन में कि अनएम्प्लायमेन्ट बहुत हैं। हमारे यहां के लोग पढ़े लिखे कम हैं वह कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इस के लिये कहा जाता है कि क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलते। मैं कहता हूं कि अगर ज़रूरत हो तो दूसरे प्रान्तों से शैड्यूल्ड कास्ट के लोग बुला कर वहां रक्खे जा सकते हैं, हमारा कोटा जो है वह तो पूरा होना ही चाहिये, क्योंकि नौकरी के बारे में हमारे साथ बड़ी इंजस्टिस हो रही है, पब्लिक सर्विस में भी और रेलवे में भी। सभी जगह हम लोगों को तकलीफ़ है। गवर्नमेंट कहती ह कि हम लोग तो सब कछ कर रहे हैं। लेकिन जो अथारिटज हैं उन से हमें कष्ट ह। जब हम लोग नौकरी के मामले में उन के पास जाते हैं तो जो बड़े बड़े आई० सी० एस० आफिसर्स हैं उनका हमारें लिये सिम्पेथेटिक कंसडिरेशन नहीं होता है। इस वास्ते मैं अपील करता हूं कि जो हमारा रिजर्वेशन है वह पांच सात साल के लिये और बाकी है उसके बाद नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन इन पांच सात साल के लिये हम को पूरा रिज़र्वेशन देना चाहिय। बात बिल्कुल सच है कि जब तक हमारा लिविंग स्टेन्डर्ड दूसरे हिन्दुओं के साथ नहीं आता है तब तक हम उनका मुक़ाबला किसी तरह नहीं कर सकते और न उन्नति ही कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि तुम नौकरी के लिये झगड़ा क्यों करते हो, लेकिन आजकल की हालत ऐसी है कि जो माइनारिटी में हैं वह नौकरी के बारे में मैजारिटी में हो गये हैं और जो मैजारिटी में हैं वह माइनारिटी में हो गये हैं। मैं किसी जाति के खिलाफ़ नहीं हूं जैसा कि दूसरे सवर्ण हिन्दू कहते हैं, और ब्राह्मण भी हमारे हमदर्द हैं। लेकिन मैं तो ब्राह्मनिज्म के खिलाफ़ हूं, ब्राह्मणों के नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं, कि ब्राह्मण ज्यादा नौकरी में हैं और बनिये ज्यादा बिजनिस में हैं इस तरह से हम माइनारिटी में पड़ गये हैं।

**एक माननीय सदस्य** : हम तो मैजारिटी में हैं।

**श्री पी० एन० राजभोज** : लेकिन सर्विसेज़ में यह मैजारिटी में हैं। बनिये माइनारिटी में हैं लेकिन बिजनस में वह मैजारिटी में हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के ब्राह्मण और बनिये जो आज ऊंचे हैं वह और भी ऊंचे चले जा रहे हैं। लेकिन वह दिन दूर नहीं

[श्री पी० एन० राजभोज]

है जब कि जो आज नीच हैं वह ऊपर उठेंगे और जो ऊपर हैं वह नीचे गिरेंगे। आज जब मैं यह बात कहता हूं तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं लेकिन यह दिन भी चला जायगा। आज जो परिस्थिति ऐसी है कि जब हम लोग बोलने के लिये खड़े होते हैं तो हम को टाईम नहीं मिलता जबकि दूसरे लोग घंटे घंटे बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिये। यह हाउस की प्रस्टिज का सवाल है। हम लोग इलैक्शन में चुन कर आये हैं। हमारे और दोस्त भी यहां पर हैं। उनको भी बोलने का चान्स मिलना चाहिये और उनकी हालत सुननी चाहिये। नौकरी के बारे में मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर बहुत इंजस्टिस होती है, अन्याय होता है। हर जगह जात पांति का सवाल पैदा हो गया है। जाति पांति का सवाल हो गया तो न्याय कैसे मिल सकता है? चपरासियों के लिये एक रूल बना दिया गया है कि उनको एक खास 8th स्टेन्डर्ड पास होना चाहिये। हमारे आदमी वह स्टेन्डर्ड जल्दी पास नहीं हो पाते हैं इस लिये उन को नौकरी नहीं मिल पाती है। जो 8th स्टेन्डर्ड पास किये होता है उसको मिल जाती है। ऐसी हालत में जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उन को नौकरी जल्दी मिल जाती है क्योंकि वह लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप के यहां जो लड़की पढ़ी होती है वहां तक भी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यहां भी चपरासियों के लिये कम से कम स्टेन्डर्ड क्लास फ़ोर रखना चाहिये हमारे होम मिनिस्टर ने ऐसा नियम बनाया कि चपरासियों को कम से कम आठवीं पास होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आई० सी० एस० के लोगों को प्रैक्टिकल नालेज नहीं है तभी वह कहते हैं कि ऐसा होना चाहिये, वसा होना चाहिये। वह हवा में बातें करते हैं। हमारे देहातों के अछत लोगों को हालत को देखने का समय उनके पास कहां है? सेक्रेटरी के पास एक रिपोर्ट बन कर आ जाती है वह ऐसे हैं, वह वैसे हैं। वही रिपोर्ट यहां मंत्री महोदय साहब के पास आ जाती है और साहब यहां लाकर हम को बता देते हैं। लेकिन असली हालत को कोई नहीं जानता।

अभी जमीन के बारे में कहा गया कि उन को जमीन दी जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि चार पांच वर्ष हो गये हैं, छः वर्ष और बाकी हैं जब तक कि हम को रिजर्वेशन मिलेगा। जमींदारी खत्म हो रही है, विनोबा भावे का प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब है सब लोग विनोबा भावे के भूदान यज्ञ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे हमारी कम्यूनिटी को क्या लाभ होगा? उन के पास बैठने वाले तो सब कांग्रेस वाले हैं, उन्हीं को सारा फ़ायदा मिलेगा, दूसरों को क्या मिलेगा? इस भूदान यज्ञ से कोई फ़ायदा देश का नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना है तो आप खुद जमींदारी खत्म करने के लिये क़ानून बनाइये। लेकिन जब तक जाति पांति का सवाल मौजूद है तब तक आप भूदान के लिये क़ानून भी बनाइये तो भी उस से हमारा एकानिमिक स्टेंडर्ड ऊंचा नहीं हो सकता। और सच्चे गरीब अछतों के लिये जमीन नहीं मिल सकती।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अछतों के लिये कई तरह के झगड़े खड़े कर दिये हैं। एक बैकवर्ड क्लास, एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एक अनटचेब्ल्स। वास्तव में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज़ अनटचेब्ल्स नहीं हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी बरतती है। किसी हरिजन को

पकड़ लिया और उस को हमारे खिलाफ़ खड़ा कर दिया । जब कभी ज़मीनों के लिये अर्जी जाती है तो पहले बैकवर्ड क्लासेज़ को दी जाती है, इस के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलती है और सब से बाद में शेड्यूल्ड कास्ट का नम्बर आता है । लोगों को मालूम होता है कि सरकार हम लोगों के लिये बड़ा काम कर रही है । लेकिन वास्तव में अछूतों का बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है ।

हां, एजुकेशन (शिक्षा) के बारे में सरकार थोड़ी बहुत सहायता ज़रूर दे रही है । बम्बई गवर्नमेंट में यह काम और जगहों से ज्यादा हो रहा है । लेकिन मेरा तो कहना यह है कि एजुकेशन सब के लिये कम्पलसरी होनी चाहिये ।

पेप्सू में अछूत लोगों की हालत बड़ी खराब है । जो वहां के सिख लोग हैं वह हम लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मज़हबी सिख बन जाओ, हिन्दू कहते हैं कि हमारी तरफ़ आ जाओ, नतीजा यह होता है कि आपस में मारपीट होती है और तकलीफ़ हमें पहुंचती है ।

यहां कुछ भाषावार प्रान्तों की बात चली । मैं जनरल बात कहना चाहत हूं कि जब कभी कोई मामला पेश होता है तो हिन्दू कहते हैं कि तुम कहो कि हमारी जबान हिन्दी है, सिख कहते हैं कि तुम हिन्दी क्यों कहते हो, पंजाबी कहो । मैं क्या बताऊं कि हम लोगों को इस से कितनी तकलीफ़ होती है ? बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन वहां के लिये बना है, मैं उस बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन से अपील करना चाहता हूं कि उस को वहां जाना चाहिये और देखना चाहिये कि पेप्सू में अछूतों की क्या हालत है । उस को गांव गांव में जाना चाहिये क्योंकि उस की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है । इस बजट में शेड्यूल्ड कास्ट का नाम भी नहीं है । उस में सिर्फ़ बैकवर्ड क्लासेज़ लिखा है । हम लोगों के लिये जो ग्रान्ट होम मिनिस्टर साहब ने रक्खी है उस में लिखा है :

" 'शिक्षा' के अन्तर्गत पिछड़े हुए वर्गों को छात्रवृत्ति के लिये रखे गये ४,४२,००० रुपये के प्रबन्ध का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिये ।"

इस में खाली बैकवर्ड क्लासेज़ लिखा है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये भी है या नहीं ।

**एक माननीय सदस्य** : इस में सभी शामिल हैं ।

**श्री पी० एन० राजभोज** : आप मिनिस्टर तो नहीं हैं, मैं उन से पूछता हूं मैं चाहता हूं कि अर्थ मंत्री जी हम को बतलायें कि यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये है, या शेड्यूल्ड कास्ट के लिये है या शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये है । करीब आठ लाख की हमारी तादाद वहां पर है, लेकिन एजूकेशन के लिये सिर्फ़ चार या पांच लाख रुपया रक्खा गया है । कहा जाता है कि गवर्नमेंट हमारे लिये बहुत बड़ा काम कर रही है । इस वास्ते मैं यह कहूंगा कि अछूतों को ज्यादा से ज्यादा स्कार्लशिप्स मिलने चाहियें, उन को एजूकेशन के लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलनी चाहिये और उन के एकानमिक स्टेन्डर्ड को सुधारने के लिये सभी काम होन चाहियें । पेप्सू की तरफ़ जमींदारी बहुत बड़ी है और जमींदार लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं । मैं यह नहीं कहता कि ये लोग हिन्दू हैं या सिख । मैं तो चाहता हूं कि यह ज़मींदारी खत्म हों । मैं तो समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट वालों पर बहुत जुल्म हो रहा है । मैंने होम मिनिस्ट्री को एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया था । करीब २१ तारीख़ को एक पत्र मेरे पास आया कि ऐडजर्नमेंट मोशन तो नहीं लेना चाहते । तो

[श्री पी० एन० राजभोज]

मैं ने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया । एक महीने के बाद होम मिनिस्ट्री से निगेटिव उत्तर आया कि वह उस को स्वीकार नहीं करती है । कल हमारे भाई साहब ने बताया था कि २६ मार्च सन् १९५३ को नवभारत टाइम्स में छपा था कि पेप्सू में पुलिस ने शिड्यूल्ड कास्ट की स्त्रियों के साथ अमानवी व्यवहार किया । मैं ने डिप्टी स्पीकर साहब को उस के बारे में एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया तो जवाब मिला कि डिसऐलाउ हो गया । हम लोग जो सवाल भेजते हैं वह डिसऐलाउ हो जाते हैं । यह चीज़ ठीक नहीं है । यह अन्याय है । जब हम कोई बात पूछते हैं तो सेक्रेटरी साहब खबर जल्दी भेजते नहीं हैं । मैं आप को यह अखबार पढ़ कर सुनाता हूं । यह खबर २५ मार्च १९५३ के "नवभारत टाइम्स" में छपी है :

"पटियाला, २५ मार्च । पेप्सू के तल्लनिअन गांव के शरणार्थी हरिजनों के प्रतिनिधियों न पेप्सू सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी सरदार रणवीरसिंह से कल प्रार्थना की कि वस्सी पुलिस ने उन की महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया है । उन्होंने आरोप लगाया कि पार्लयामेंट के सदस्य सरदार जोगेन्द्रसिंह मान के ज़ोर देने पर पुलिस ने उन पर अनेक अत्याचार किये हैं ।

प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में अदालती जांच की मांग की है तथा उनके जीवन और सम्मान की रक्षा के लिये उचित कदम उठाने की प्रार्थना की है । प्रतिनिधियों में सर्व श्री गुरुबख्शसिंह, जोगेन्द्रसिंह, प्रीतमसिंह, माधोसिंह, निरंजनसिंह और बीबी निरंजन कौर आदि शामिल हैं ।

प्रतिनिधियों ने बतलाया कि पाकिस्तान से हरिजनों के २२५ परिवार तथा पंजाब के भूतपूर्व मंत्री सरदार जोगेन्द्रसिंह मान सहित सिख जाटों के २५ परिवार तल्लनिअन गांव में बसे थे ।

गत चुनवों के अवसर पर गांव के हरिजनों ने सरदार जोगेन्द्रसिंह मान की इच्छा के विरुद्ध मत दिये । उस के बाद सिख जाट उनको गांव से बेदखल करने के लिये अनुचित उपायों से काम लेते रहे ।

बाद में पुनर्संस्थापन विभाग के नायब तहसीलदार ने सब हरिजनों को आदेश दिया कि वे कोई अन्य स्थान खोज करें । इस बेदखली की आज्ञा के विरुद्ध उन की अपील उच्च अधिकारियों के सामने विचाराधीन है ।

२१ मार्च को प्रातः १० बजे बस्सी पुलिस के एक अफ़सर ने चार या पांच कांस्टेबलों तथा सरदार मान के गुट के कुछ सदस्यों को लेकर गांव पहुंचे और स्त्रियों को किसी प्रकार की चेतावनी दिये बिना उन के घरों में घुस गये ।

यह आरोप लगाया गया है कि हरिजन स्त्रियों को खेंचा गया, पीटा गया और अमानवीय यन्त्रणायें दी गयीं । पुलिस ने गांव छोड़ते समय उनके घरों के ताले तोड़ कर उन के अधिकांश सामान को लूट लिया ।"

"चीफ सेक्रेटरी ने उन को आश्वासन दिया कि अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जायगी ।"

इस के लिये सन्तोष है कि कुछ कार्रवाई हो रही है । जब मैं ने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था तो यह बात बहुत इंपारटेंट थी । उस वक्त जवाब मिलना चाहिये था । कल भी मुझे जनरल बात करने का मौक़ा नहीं मिला । इस भाषावार प्रान्त के झगड़े में हमारा नुक़सान होता है । राड़ेवाला मन्त्रिमंडल ने हम लोगों के लिये कुछ किया था । उस मन्त्रिमंडल ने हमारे साथ कुछ सहानुभूति की थी । आजकल एक राव साहेब

आए हुए हैं; उनका कार्य ठीक नहीं मालूम होता है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है। अब मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगी। माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। श्री पुन्नूस।

**श्री पी० एन० राजभोज** : केवल दो मिनट और।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। मैं ने श्री पुन्नूस का नाम बोल दिया है।

**श्री पुन्नूस** : अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

हमारी आलोचना इस तथ्य की ओर केन्द्रित है कि सरकार पैप्सू की कृषि सम्बन्धी समस्या हल करने में असफल रही है। पहले एक अवसर पर गृह मंत्री जी ने कहा था कि 'ख' श्रेणी के राज्यों में प्रजातंत्र की परम्परा नहीं है तथा वहां की जनता इस से अपरिचित है। यह वक्तव्य सर्वथा ग़लत है। मैं न केवल इस वक्तव्य का ही विरोध करता हूं किन्तु समस्या को हल करने के लिये अपनाई गई सम्पूर्ण पद्धति अनुचित है।

इस का क्या कारण है कि वहां दिन में यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं है। सच तो यह है कि वे ही महानुभाव जो कि वहां की जनता के पिछड़े होने के लिये उत्तरदायी हैं यहां आकर कहते हैं : "वहां की जनता को प्रजातंत्र की शिक्षा नहीं मिली है अतः हम उसे ऐसी शिक्षा देंगे।"

आज पैप्सू में कई पीढ़ियों से तानाशाही शासन चला आया है। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार रोग का ठीक निदान कर रही है और ठीक उपचार कर रही है। क्या वह बिस्वादारों तथा राजप्रमुख की समस्या का हल कर रही है? यदि ऐसा नहीं तो जनतंत्र की बात निष्फल है।

वैन्कटाचार प्रतिवेदन में यह स्पष्ट बताया गया है कि राज्य में फैली बिस्वादारी और तानाशाही का अटूट सम्बन्ध है। अंग्रेज़ों के शासन में भारत में सभी जगह सामन्तवाद प्रचलित किया गया। पैप्सू के कृषकों को यह कभी नहीं भाया। सरकारी समिति ने बताया है कि बिस्वादारों का इस सम्पत्ति पर सर्वथा कोई अधिकार नहीं। यह बलपूर्वक बिस्वादारों को दिलवाई गई थी। इस लिए किसी नैतिक आधार पर भी प्रतिकर देने की आवश्यकता नहीं। उच्च अधिकारों की समाप्ति की व्यवस्था जिसे सरकार अपना रही है ठीक नहीं है। इस से तो बिस्वादार अपने स्थानों पर और स्थिर हो जाएंगे और लोकतंत्र का उद्देश्य निर्बल हो जाएगा।

पैप्सू उपभोक्ता मुज़ारों संबंधी विधेयक में क्षतिपूर्ति भू-राजस्व से १२ गुना अधिक निर्धारित की गई। परन्तु राड़ेवाला ने इसे कम कर आठ गुना करने की घोषणा की। भारत सरकार के मंत्रणाकार द्वारा शासन संभालने पर राड़ेवाला मंत्रिमंडल के राजस्व मंत्री ने मंत्रणाकार को उस घोषणा की याद दिलाई। उस के संबंध में क्या किया गया है?

पैप्सू मुज़ारों संबंधी अस्थायी उपबन्ध (संशोधन) विधेयक पैप्सु विधान मंडल में प्रस्तुत किया गया था। वह कुछ प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण पारित न हो सका। इस का उद्देश्य यह था कि मुज़ारों को निकाला न जा सके। इस के अधीन जमींदार केवल १०० एकड़ भूमि खुद-काश्त के लिए रख सकते थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है?

११ म० पू०

वहां पर मंत्रणा-समिति है। मैं चाहता हूं कि सरकार भूमि संबंधी सुधारों का प्रवर्तन करने के लिए गंभीर विचार करे। ये महत्वपूर्ण सुधार हैं और इन का प्रभाव हमारे लाखों लोगों पर पड़ता है।

[श्री पुन्नूस]

अब मैं पैप्सू के एक और प्रश्न पर आता हूं। वह प्रश्न विधि तथा व्यवस्था का है। वहां सभी लोग, साम्यवादी भी, विधि तथा व्यवस्था की शान्तिपूर्ण स्थिति निर्माण करना चाहते हैं। वहां साम्यवादी दल की शक्ति कृषकों पर आधारित है। और कृषक को अच्छे जीवन के लिये शान्तिपूर्ण परिस्थितियों की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था में ही पैप्सू का विकास और प्रगति हो सकती है। माननीय मंत्री ने बताया कि विरोधी दल भी मंत्रणाकार की प्रशंसा करते हैं। परन्तु सब साधनों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि नौकरशाही लोक-द्वेषी है।

राड़ेवाला मंत्रिमंडल के राजस्व मंत्री ने कहा था कि पैप्सू में ईमानदार प्रशासन तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि दरबार और दरबारी पदाधिकारियों के दल का अन्त न हो जाये। सरकार ने इसे ठीक करने के लिए क्या पग उठाए हैं?

राज्यों के एकीकरण के समय सरकारी पदों पर ५० प्रतिशत से अधिक पटियाला के अधिकारियों को लगाया गया था इस कारण आज चुनाव के समय हमें तीन प्रकार के व्यक्तियों पर निर्भर रहना होता है वे हैं राजस्व अधिकारी, पुलिस तथा अध्यापक। अध्यापकों को छोड़ कर शेष अधिकारी राजप्रमुख के समर्थक हैं ऐसी परिस्थिति में आप कैसे वहां अच्छे शासन की प्रत्याशा कर सकते हैं। मंत्रणाकार द्वारा अपनाए गए विधि संबंधी साधनों से लोग और अधिक भयभीत हो रहे हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: पैप्सू तथा पंजाब दोनों में एक आन्दोलन चल रहा है जो बहुत जोर पकड़ रहा है। यह आन्दोलन पंजाबी भाषाभाषी लोगों के लिए एक प्रान्त की मांग के सम्बन्ध में है। सात छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण करने पर भी पैप्सू आत्मनिर्भर नहीं हो सका। वहां विधि तथा व्यवस्था और वित्त सम्बन्धी स्थिति भी खराब है। इस क्षेत्र में ३५ लाख व्यक्ति रहते हैं और उस की तुलना में संसाधनों की कमी है। यदि पंजाबी भाषाभाषी प्रान्त की मांग स्वीकार की जाए तो पैप्सू को विलीन करने के पश्चात् जो नया प्रान्त बनेगा वह आत्मनिर्भर बन सकेगा।

इस के साथ ही मैं राजप्रमुख की संस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं। यदि इसे पंजाब में विलीन कर दिया गया तो यह संस्था स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। यह न तो पैप्सू में ही और न ही अन्य स्थानों पर लोकप्रिय है। और यह आज के युग के अनुकूल भी नहीं है।

तब नरेशों के भत्तों तथा निजी निधि का प्रश्न उत्पन्न होता है। मुझे इस में कोई युक्ति नहीं दिखाई देती कि ये नरेश जो कभी निर्दयी थे और अत्याचार करते थे, लोगों के सिर पर मजे लूट रहे हैं। जब तक उन्हें खजाने से वार्षिक राशि मिलती रहेगी यह कूटनीति चलती रहेगी। इस लिए सर्व प्रथम निजी थैलियों को समाप्त करना चाहिये।

भाखड़ा नंगल परियोजना के सम्बन्ध में इस सभा में कई सुझाव रखे गए हैं। वहां के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कई आरोप हैं। इंजीनियर और ठेकेदार आपस में मिल जाते हैं और कार्य के लिए बहुत अधिक राशि दी जाती है। इन भ्रष्टाचार के मामलों की व्याख्या मैं नहीं कर सकता परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार इन आरोपों की जांच करे। पैप्सू को केन्द्रीय सरकार का बहुत अधिक ऋण देना है। उस ऋण पर प्रतिवर्ष ४½ प्रतिशत ब्याज लग रहा है। यदि इस कार्य को कुशलता और बचत के साथ न किया गया तो पैप्सू

पर इतना अधिक बोझ आ पड़ेगा कि उस के लिये वहन करना कठिन हो जाएगा। सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि वहां ठीक वातावरण निर्माण हो सके।

मैं अब उन व्यक्तियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जिन्होंने कभी पहले महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं। उन लोगों ने अंग्रेजी शासन की सत्ता को दृढ़ बनाने में सहायता की थी। भारत का शोषण करने में वे विदेशियों के सहायक रहे थे। उन के अवगुणपूर्ण कार्यों के लिये उन के साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया जाए, उन्हें भत्ते क्यों दिए जाएं ?

पैप्सू में भू-धारणाधिकार के सम्बन्ध में सुधार की अत्यावश्यकता है। हम आशा करते हैं कि मंत्रणाकार के शासन काल में पुरानी सामन्तवादी प्रणाली में परिवर्तन होगा और कृषकों को अपना भाग मिल सकेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां चुनाव शीघ्र करने चाहियें और सीमा निर्धारण आयोग को अपना कार्य शीघ्र करना चाहिये ताकि वहां जनतंत्रात्मक सरकार स्थापित हो सके।

**श्री नम्बियार** : पैप्सू की स्थिति अपूर्व और रोचक है। वहां प्रति व्यक्ति पर १९ रुपये १५ आने ८ पाई कर लगता है, जिस में से १ रु० २ पाई राजप्रमुख और उस से सम्बन्धित आवश्यकताओं पर व्यय होता है। ८ रुपये पुलिस और जेलों पर व्यय होते हैं। मैं साहस से कह सकता हूं कि यह एक अपूर्व स्थिति है। वहां प्रति नागरिक को ५ रुपये प्रति वर्ष शराब पर शुल्क देना पड़ता है। भारत के सभी भागों की अपेक्षा पैप्सू में अफीम का चौर्यानियन और शराब का उपभोग अधिक होता है। बड़े उच्च व्यक्तित्व के लोग इस में सहायक होते हैं।

वहां मंत्रणाकार को ४००० रुपये दिए जाते हैं जब कि माननीय प्रधान मंत्री को २,२५० रुपये मिलते हैं। क्या वह प्रधान मंत्री से बड़ा व्यक्ति है ? क्या आप मंत्रणाकार को ४,००० रुपये दे कर वहां का कर बढ़ाना चाहते हैं। वहां कांग्रेस सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त करने पर भी भ्रष्टाचार में कमी की बजाय वृद्धि हुई है।

मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या यह सत्य है कि वहां राज प्रमुख पर हत्या का एक आरोप लगाया है। क्या इस की जांच की जाएगी ? क्या देश के उस भाग में आज जान और माल की रक्षा की जाएगी ? वहां राष्ट्रपति की सरकार होते हुए क्या यह लज्जा की बात नहीं कि इस मामले की जांच नहीं की गई ?

कहा जाता है कि वहां पुलिस डाकुओं की सहायता करती रही है। हम प्रति दिन वहां की अनाचारपूर्ण बातें सुनते हैं। लोग भगाए जाते हैं। अपराधियों का पता तक नहीं लगता। लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यह सब किसानों के विरुद्ध बिस्वेदारों की सहायता से होता है।

एक भूतपूर्व अकाली विधान सभाई और एक कांग्रेसी विधान-सभाई ने भटिंडा के ज़िला सुपरिंटेंडेंट पुलिस के विरुद्ध आरोप लगाया था कि वह स्थानीय राजनैतिक कार्यों में बाधा डालता है। परन्तु उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

* * * *

विधि विहीन स्थिति से केवल बिस्वेदारों और राजप्रमुख को लाभ होता है क्योंकि वे मनमानी कर सकते हैं। वहां के साम्यवादी कृषक तथा अन्य लोग विधि तथा व्यवस्था चाहते हैं जिस से उन के हितों का संरक्षण हो सके। जब तक कर न घटाए

*सभापति महोदय के आदेश से कुछ अंश निकाल दिया गया।

[श्री नम्बियार]

गए पैप्सू के ३८ लाख लोगों का उद्धार नहीं हो सकता ।

क्या यह सत्य नहीं है कि आठ नौ लाख रुपया पुलिस पर व्यय किया गया है और राजस्व की दो आने की रियायत भी बन्द कर दी गई है । मंत्रणाकार के शासन ने अभी कुछ नहीं किया । राष्ट्रपति वहां के सम्बन्ध में स्वयं विधि बनाने के अधिकार लेना चाहते हैं । हम जानना चाहते हैं कि वे विधियां क्या हैं । हमारा भी उस में भाग होना चाहिये ।

**श्री बहादुर सिंह** (फ़ीरोज़पुर-लधियाना --रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं शिक्षा संबंधी मांग संख्या २७ के बारे में कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । शिक्षा पर प्रति वर्ष व्यय बढ़ता जाता है । १९५१-५२ में कांग्रेस मंत्रिमंडल के राज में शिक्षा पर ६० लाख रुपये व्यय किये गये थे, अगले वर्ष संयुक्त लोकतंत्रीय मंत्रिमंडल के पदारूढ़ होने पर ७५.४९ लाख रुपये व्यय किये गये और पैप्सू में संविधान के स्थगित होने पर १९५३-५४ के लिये जो आय-व्ययक तैयार किया गया है उस में शिक्षा के लिये ९७ लाख रुपये की राशि रखी गई है । पैप्सू एक छोटा-सा राज्य है और इस में राज्य के सारे राजस्व का पांचवां भाग शिक्षा पर व्यय किया जाता है । इस के अतिरिक्त पिछड़ी हुई जातियों के लिये ४,४२,००० रुपये की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है । पैप्सू सरकार के शिक्षा प्रसार के प्रयत्न वस्तुतः सराहनीय हैं ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष ६२ नई प्राथमिक पाठशालायें खोलने का विचार ह, परन्तु प्रशिक्षित अध्यापकों के न मिलने के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से सरकार ये पाठशालायें नहीं खोल सकी । श्वेत पत्र में यह लिखा हुआ है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अधीन जितनी प्राथमिक पाठशालायें खोलने का विचार किया था उस से भी अधिक पाठशालायें खोल दी गई हैं ।

यह बड़े खेद का विषय है कि पड़ोसी राज्यों में तो चार-चार से भी अधिक विश्व-विद्यालय हैं, किन्तु पैप्सू में एक भी विश्व-विद्यालय नहीं है । तथाकथित पंजाब विश्व-विद्यालय में पंजाबी भाषा के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है । पंजाब विधान सभा के आय-व्ययक सम्बन्धी सत्र में और पंजाब विधान परिषद् में भी पंजाब विश्वविद्यालय की बड़ी आलोचना की गई थी । इस के प्रशासन में भ्रष्टाचार और परिवार पोषण के आरोप लगाये गये थे । कहा गया था कि पंजाब विश्वविद्यालय में एक पक्ष का प्रभुत्व है । उसी पक्ष वालों की पाठ्यपुस्तकें लगायी जाती हैं और वे लाभ आपस में बांट लेते हैं । यही पक्ष सच्चर सिद्धान्त के प्रवर्त्तन में बाधा डालता है जिस से पंजाबी के साथ कुछ न्याय होने की आशा है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पैप्सू विश्वविद्यालय की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है ।

मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह ने यह कहा था कि पैप्सू के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित पाठशालाओं को आर्थिक अनुदान नहीं दिये जाते । मैं कहता हूं कि यह गलत है । कांग्रेस मंत्रिमंडल के राज में अनुदान रोक लिये गये थे किन्तु संयुक्त लोकतंत्रीय दल के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र की पाठ-शालाओं को फिर अनुदान मिलने लगे ।

उन्होंने यह भी कहा था कि पंजाब के कुछ लोगों ने वहां एक अलग राज्य बना लिया है । यह बिल्कुल गलत है । पंजाब में किसी को अलग राज्य नहीं चाहिये । यह तो केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर

पंजाब पैप्सू और अन्य निकटवर्ती राज्यों के पंजाबी भाषाभाषी क्षेत्रों को एक राज्य के रूप में सीमाबद्ध करने की मांग है।

मेरे माननीय मित्र ने एक बात यह कही थी कि पंजाबी तो हिन्दी का ही एक अंग है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि पंजाबी एक अलग भाषा है। मुझे समझ नहीं आता कि यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है। इसी प्रकार के लोग दोनों सम्प्रदायों में कटुता बढ़ाते हैं और कठिनाई पैदा करते हैं। हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने के लिये तैयार हैं किन्तु यदि कोई हिन्दी को थोपना चाहेगा तो उस का यह दुःस्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किन्तु यदि वे पंजाबी को समाप्त कर के हिन्दी को थोपना चाहें, तो यह सहन नहीं किया जा सकता। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह पैप्सू में विश्वविद्यालय बनवाये।

सभापति महोदय : पहिले प्रस्तुत संशोधन के अतिरिक्त श्री आनन्द नम्बियार ने भी अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दी है।

## मांग—भू राजस्व

| नाम | विषय | कटौती |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | भू-राजस्व की दरें | १०० रुपये |
| श्री नम्बियार | कृषि सुधार, अर्थात पैप्सु विधान सभा के मई १९५२ में सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्प की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम प्रतिकर के साथ बिस्वेदारी का उन्मूलन | १०० रुपये |

## मांग—राज्य उत्पाद शुल्क

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | मद्य तथा अन्य मादक पेयों की अत्याधिक खपत | १०० रुपये |

## मांग—मंत्री तथा मंत्रणाकार

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | मंत्रणाकार का वेतन | १०० रुपये |

## मांग—विधान सभाओं के चुनाव

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | चुनाव करने में विलम्ब | १०० रुपये |
| श्री नम्बियार | जिन पदाधिकारियों पर विगत चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है उन के विरुद्ध कार्यवाही न करना | १०० रुपये |

## मांग—जिला प्रशासन

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | जिन पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार और दमन के अपराध लगाय गये हैं उन्हें दण्ड न देना | १०० पये |

[सभापति महोदय]

मांग—कारागार तथा न्यायिक रोधागार

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | कारागारों में असन्तोषजनक अवस्था | १०० रुपये |

मांग—पुलिस

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | किसानों तथा जनता के संघटनों का दमन | १०० रुपये |

मांग—शिक्षा

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | 'पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी धांधली' की जांच | १०० रुपय |
| श्री नम्बियार | अनिवार्य शिक्षा को लागू करने में असफल रहना जिस का कि राजप्रमुख के अभिभाषण में वचन दिया गया था। | १०० रुपये |

मांग—चिकित्सा

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | लोक स्वास्थ्य के लिये धन | १००.रुपये |

मांग—विविध विभाग

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | त्रिदलीय सम्मेलन की सिफारिशों तथा कल्याणकारी संघटनों के लिये धन | १०० रुपये |
| श्री नम्बियार | औद्योगिक श्रमिकों में अत्याधिक असन्तोष उत्पन्न करने वाले श्रम विरोधी विधान | १०० रुपये |

मांग—असैनिक निर्माण कार्य

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | मितव्ययता-कंडाघाट-चैल का चौड़ा किया जाना | ५०,००० रुपये |
| श्री नम्बियार | असैनिक निर्माण-कार्यों का शीघ्रता से और मित-व्ययता पूर्वक न किया जाना | १०० रुपये |

मांग—भारतीय नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | नरेशों के सम्बन्धियों के भत्ते | १०० रुपये |

मांग—विविध

| | | |
|---|---|---|
| श्री नम्बियार | पंचायतें | १०० रुपये |

**सभापति महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव भी सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

**श्री सी० डी० दशनुख** : मैं सब से पहले पैप्सू में कृषि सम्बन्धी स्थिति के प्रश्न पर जिस की ओर बहुत से वक्ता ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, बोलूंगा। विनियोग विधान सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन करने के पूर्व, साधारण पृष्ठभूमि के रूप में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस बात की बड़ी अपकीर्ति फैल चुकी थी कि पैप्सू में लगभग १०० गांवों में भू-स्वामियों और किसानों के बीच का सम्बन्ध इस हद तक बिगड़ चुका है कि वहां न केवल लगान का दिया जाना रोका गया है अपितु भू-स्वामियों को गांवों से निकला दिया

गया है, उन के मकान ढ़हा दिये गये हैं और यहां तक कि बिना सशस्त्र सैनिकों के घेरे के वे अपने गांवों को नहीं जा सकते । और अब यह नहीं बताया जा सकता कि वहां के भूतपूर्व मंत्रालय ने इस स्थिति को ठीक ढ़ंग से संभाला था । इस क्षेत्र में जब भी लगान की वसूली होती थी या डिक्री दी जाती थी, तो पदाधिकारियों को सदा इस बात का खतरा रहता था कि यदि किसानों को लगान देने के लिये कुछ कहा जाय तो गाली खानी पड़ेगी, और इस का यह परिणाम हुआ कि वहां किसी हद तक आत्मविश्वास कम हो गया था और कानून लागू करने के प्रयत्न भी धीमे पड़ गये थे । स्थिति इस हद तक पहुची कि व्यवहार न्यायालय की डिक्रियां भी नहीं दी जा सकीं । जब से सलाहकार ने वहां का काम संभाला है तब से उन्हों ने आठ में से छः जिलों का दौरा किया है और बहुत से अन्य गांवों को, जिन्हें 'साम्यवादी' समझा जाता है, देख लिया है, और गांवों वालों के साथ विस्तृत रूप से बात चीत की है । इस के परिणामस्वरूप --यह एक सोचने कीं बात है-- लोगों ने सरकारी देय शुल्कों को देने की प्रतिज्ञा की है, और अब वसूली भी होती जा रही है, चुनाचि लोगों के इस बदले रवैय की रिपोर्ट भी दिन प्रति दिन आती जा रही है । आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर अदायगी की सारी राशि प्राप्त हो चुकी होगी । राज्य मंत्रालय के समक्ष जो कृषि सम्बन्धी सुधार हैं, उन का विस्तृत ब्यौरा वहां के ग्रामीणों को समझाया गया है ।

किसी भी व्यक्ति को इस बात से इन्कार नहीं कि यहां, जैसा कि और स्थानों में भी होना चाहिये, भूमि-सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है, और यह कहना कि जहां कहीं भी कोई खराबी हो वहां उचित सुधार की आवश्यकता है, केवल एक स्वतः सिद्ध वचन है ।

जहां तक कृषि-विधान का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है, नवम्बर १९५२ में पैप्सू सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति के लिये कृषि सम्बन्धी सुधारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधेयक प्रस्तुत किये थे :

पैप्सू दखीलकार (मिल्कियत देना) अधिकार विधेयक, १९५२; पैप्सू काश्तकारी व कृषि सम्बन्धी भूमि विधेयक १९५२ और पैप्सू काश्तकारी (जोत सीमांकन) विधेयक १९५२ ।

सम्बद्ध शासक मंत्रालयों एवं विधि मंत्रालय द्वारा इन विधेयकों की छानबीन होनी चाहिये थी, ताकि अर्जित सम्पत्ति के लिये क्षत्तिपूर्ति की अदायगी के सम्बन्ध में उसके उपबन्धों को देखा जाता । मैं कुछ समय बाद इस क्षत्ति पूर्ति के प्रश्न पर विचार करूंगा । इन सब में कुछ समय लगा । राज्य-विधान सभा में विधयक पुरः स्थापित किये गये किन्तु सत्र की अवधि बहुत कम थी, अतः विधेयक को विचारार्थ उठाया नहीं जा सका, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ इन विधेयकों के उपबन्धों पर चर्चा करने के लिये २७ फरवरी, १९५३ को योजना आयोग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी । इस बैठक में दो विधेयक स्वीकृत किये गये, और तीसरे विधेयक के संबंध में जो जोत के आकार-क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के विषय में था, यह विचार प्रकट किया गया कि योजना आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में इस की पुनः जांच कराने के लिये इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाना चाहिये । इसी बीच राष्ट्रपति ने उक्त राज्य का शासन सम्हाला, और इसलिये पैप्सू सरकार को कोई भी उत्तर नहीं भेजा जा सका । उक्त दो विधेयक जिन्हें २७ फरवरी, की बैठक में स्वीकार किया गया, पैप्सू विधान (शक्ति प्रत्यायोजन) अधिनियम के अन्तर्गत अब सदन द्वारा स्वीकृत कार्यवाही के अनुसार

[श्री सी० डी० देशमुख]

राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में जारी किये जायेंगे । मैं ने यहां एक माननीय सदस्य के अवलोकन पर ध्यान दिया है, चुनांचि मुझे लग रहा है कि उन्हों ने भूमि सुधार सम्बन्धी प्रश्न पर पूरा पूरा अध्ययन किया है । मेरे विचार में वह राजस्थान से आने वाले हैं । मेरा यह भी विचार है कि उन्होंने योजना आयोग के साथ अन्याय किया जब उन्हों ने यह बताया कि योजना आयोग पर कदाचित् कई बाह्य शक्तियों का प्रभाव है । उन्हें इस बात को स्मरण करना चाहिय कि इन मामलों में सदा मतभेद रहने की गुंजाइश होती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

कोई भी माननीय सदस्य इस जैसे मामलों में सिद्धान्तवादी नहीं बन सकते--- यानी इस बात का निश्चय नहीं हो सकता कि छोटी जोतों या बड़ी जोतों से उत्पादन की बढ़ौतरी हो सकती है । ऐसे मामलों का निर्णय तो समय की परिस्थिति ही कर सकती है, और वहां की सम्बद्ध जन संख्या के साधनों पर भी इस बात का निर्भर हो सकता है । यह एक पुरानी सी बात है कि छोटी जोत में बहुत अधिक काश्त हो सकती है ।.हां, इस के विरुद्ध इस प्रकार की दलील देना भी ठीक रहेगा कि छोटी जोत के काश्तकार के पास सदा इतने साधन नहीं रहा करते कि वह अपनी कृषि के लिये वित्त-व्यवस्था कर सके । इसीलिये, बहुत ही सावधानी से इन विरोधी विचारों का संतुलन करना पड़ता है, और स्थानीय परिस्थितियों को देख कर ही निश्चय करना पड़ता है । यही कुछ इस मामले के सम्बन्ध में किया जा रहा है ।

अब बिस्वेदारों के उन्मूलन का प्रश्न आता है । नवम्बर, १९५२ में सरकार द्वारा जो भी आवश्यक विधेयक पुरःस्थापित किये गये, उन का प्रारूप तैयार करने में पुराने मंत्रालय ने बहुत समय व्यय किया था, किन्तु वहां की परिवर्तनशील राजनैतिक स्थिति के कारण शायद वहां की विधान-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई, और इन मामलों पर कोई भी विचार नहीं हो पाया । चुनांचि वहां की विधान सभा दिसम्बर, १९५२ में पुनः समवत हुई, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद फिर विसर्जित हुई, अतः इस ने कोई भी विधान सम्बन्धी कार्य नहीं किया : इसलिये, मैं यही कहूंगा कि बाह्य कारणों से ही कृषि-सम्बन्धी सुधारों के पुरःस्थापित किये जाने में देर हुई, या ये सुधार पुरःस्थापित नहीं किये जा सके ।

ऐसा भी कोई प्रश्न था कि क्षत्तिपूर्ति के सम्बन्ध में वेंकटाचार समिति ने जो सिफारिशें की थीं उन का अन ालन नहीं हुआ । श्रीमती, वह वक्तव्य . . . . .नहीं, नहीं, क्षमा कीजियेगा श्रीमान्, मैं भूल ही गया था कि आप पद पर आसीन हुए हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई बात नहीं ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : इस से यही सिद्ध होता है कि पैप्सू के प्रश्न पर मुझे कितनी एकाग्रता से विचार करना पड़ता है । वेंकटाचार समिति की यह सिफारिश कि बिस्वदारों को अपने अधिकारों के उपशम के लिये किसी भी प्रकार की क्षत्तिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है, सही नहीं । सत्य तो यह है कि उक्त समिति ने इस प्रकार की कोई भी सिफारिश नहीं की थी । इस समिति ने यह सिद्ध करने के लिये कि किस प्रकार बिस्वेदारी व्यवस्था को जन्म मिला, पटियाला की बन्दोबस्त

रिपोर्टों से एक उद्धरण दिया। इस सम्बन्ध में इस समिति ने उचित सिफारिशों की और विधयकों के प्रारूप बनाते समय राज्य सरकार ने उस पर पूरा पूरा विचार किया, चुनांचि बहुत सी सिफारिशें स्वीकृत की जा चुकी हैं। हमारे कानूनी सलाहकार, विधि मंत्रालय ने यह विचार प्रकट किया कि संविधान के प्रयोजनार्थ वार्षिक लगान के प्रति रुपया पर एक पाई की क्षत्तिपूर्ति को क्षत्तिपूर्ति नहीं कहा जा सकता।

**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : अधिकारों का उपशम हो सकता है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : यह बात अधिकारों के उपशम या और किसी प्रयोजन के लिये हो, हम तो विधि मंत्रालय से प्राप्त होने वाले परामर्श के अनुसार ही चलते हैं। इस योजना के अन्तर्गत, लगभग ३६,००० एकड़ों के लिये जो कुल क्षत्तिपूर्ति मिलेगी, वह ५० रुपये से कम होगी। यही कारण है कि इस से अधिक समन्याय योजना स्वीकृत की जा चुकी है और पांच गुना वार्षिक लगान, जो पहले की सरकार द्वारा पहले सुझाया गया था, इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया जा चुका है।

जिस दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर निर्देश किया जा चुका है वह यह है कि सलाहकार के शासन की सामान्य विशेषता क्या है। विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य सरदार हुक्म सिंह ने कहा कि स्थानान्तरण, छुट्टी, आदि के सम्बन्ध में पारित किये गये आदेशों में कई बाधित करने वाली चोजें हैं। वह इसे एक एसी आपत्ति समझ रहे थे कि यद्यपि सिख पदाधिकारी इन पदों पर काम कर रहे हैं फिर भी उन पदाधिकारियों के साथ उचित बर्ताव नहीं होता जो इन पदों पर काम करने के योग्य नहीं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें इस प्रकार के मामलों को सलाहकार के समक्ष लाना चाहिय। मैं इस साधारण तरीके से इन मामलों को निपटा नहीं सकता। मैं ने सुना है कि सलाहकार सभी सम्मतियों के प्रतिनिधि सदस्यों से मिलने के उत्सुक हैं, और उन्हों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिये श्री राड़ेवाला को चाय पर भी बुलाया था।

**श्री नम्बियार** : और बात-बात में बवण्डर खड़ा हुआ ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : अब बवण्डर पैदा होन की आशंका नहीं है क्योंकि श्री राड़ेवाला ने निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया है।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं यह कहूंगा कि यह जानकारी सही नहीं कि श्री राड़ेवाला ने निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। उस दिन वह बाहर जा रहे थे और इसलिय वह आ नहीं सके।

**एक माननीय सदस्य** : और निमन्त्रण वापिस लिया गया ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं अविकृत रूप से " Refused " ("अस्वीकार किया") शब्द पर डटा नहीं रह सकता। उन्हों ने निमन्त्रण स्वीकार करन के लिये खेद प्रकट किया।

**सरदार हुक्म सिंह** : बिल्कुल ठीक।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरा वह सुझाव है कि सलाहकार को चाहिय कि यह पुनः श्री राड़ेवाला को निमंत्रण दें, और चाय या खाने, या एसी चीज पर जिसे दोनों पसन्द करते हों उन्हें बुलायें और सरदार हुक्म सिंह को भी बुलायें। मुझे पक्का निश्चय है कि बहुत सी इस प्रकार की कठिनाइयां दब जायेंगी। जहां तक अवनत और उन्नत डिपुटी कमिश्नर श्री प्रेम कुमार का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि पूछताछ से यह बात साफ नहीं हो पाती कि सभी अस्वीकृत अनुज्ञप्तियां

[श्री सी० डी० देशमुख]

एक ही पार्टी के सदस्यों ने अपने पास दबा रखी थीं। अस्तु इस एक मास में पूछताछ की रिपोर्ट मिलने वाली है, और मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं लग रहा कि उक्त सलाहकार रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्यवाही करेगा ।

मेरे विचार में श्री गुरुपादस्वामी ने इस बात की ओर निर्देश किया था कि किसी निकटतम दिनांक में स्वतंत्र और शुद्ध चुनाव का होना वांछनीय है । कम से कम दिनांक का उल्लेख तो किया जा चुका है । मुझे उस को दुहराने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी; किन्तु मेरे विचार में मैं बतला चुका हूं कि वह दिनांक अब कुछ समय पहले ही निश्चित किया जा चुका है । सरकार की घोषित नीति यह है कि पैप्सू विधान मण्डल के लिये किये जाने वाले साधारण चुनाव बहुत जल्दी हों, और स्वतंत्र (निर्बाध) एवं शुद्ध हों । सभी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी, और इस बात की तसल्ली भी की जायेगी कि चुनावों के सिलसिले में कोई पार्टी किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठाये । जहां तक श्री प्रेम कुमार का सम्बन्ध हैं, मुझे इस बात में कोई भी सन्देह नहीं लग रहा कि पूछताछ की रिपोर्ट के प्रकाश में उस के साथ कार्यवाही की गई होगी, अथवा यदि वह निरपराध हो, तो उसे डिपुटी कमिश्नर बना रखा गया होगा, इसलिये मैं अब समझता हूं कि जो माननीय सदस्य चुनाव के परिणामों में रुचि रखता हो, उसे श्री प्रेम कुमार के पदस्थ रहने से कोई भी चिन्ता नहीं होगी ।

स्वयं सलाहकार का वेतन निर्धारित करने की ओर भी निर्देश किया गया था । अभी इस मामले पर अन्तिम निश्चय नहीं हो पाया है, और इसलिये मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हो सकता जिन्हों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की है कि सलाहकार का वेतन ४,००० रुपये प्रति मास निश्चित किया गया है ।

मुख्य सचिव के साथ किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में दो बातें कही गई हैं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ और अन्य सदस्यों ने कहा है कि उनके साथ इतनी उदारता का बर्ताव हुआ जो कि नहीं होना चाहिये था । पहली शिकायत के सम्बन्ध में तथ्यों के आधार पर मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि मुख्य सचिव को वित्त आयुक्त का ऊंचा पद, विशेष तथा नितान्त आवश्यकता के कारण दिया गया और इस सम्बन्ध में राजप्रमुख की ओर से न कोई सुझाव दिया गया, न कोई हस्तक्षेप किया गया और न मुख्य सचिव को यह पद दिये जाने में बुरी नियत से काम लिया गया । जहां तक उन के दर्जे का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि वे आई० सी० एस० अधिकारी नहीं हैं। यह सच है कि उन्हें १९४९ में सैनिक बोर्ड के सचिव के रूप में काम करने पर ४२,००० रुपये का बोनस दिया गया ।

और फिर प्रशासन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में इस बात की ओर संकेत किया कि पुलिस पर पहले की अपेक्षा आठ या नौ लाख रुपये अधिक है । मेरे विचार में इस प्रश्न की ओर पहले संकेत किया गया था, यहां या दूसरे सदन के वाद विवाद में, और मैं ने कहा था कि ८ लाख रुपये की वृद्धि पुलिस के छोटे कर्मचारियों को इस वर्ष में पूरी वर्दी तथा सामान देने के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये है, जिस की व्यवस्था संघ के निर्माण के बाद की गई थी । इस लिये माननीय सदस्य इस मामले में अधिक सन्देह न करें ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या इस का मतलब यह है कि वहां और पुलिस नहीं लाई गई ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : मुझे खेद है कि मैं यह नहीं बता सकता । मेरा कहना तो यह है कि वृद्धि ८ या ९ लाख रुपये की नहीं है । सम्भव है कि कुछ अतिरिक्त पुलिस रख ली गई हो । परन्तु मैं इस बात को न तो स्वीकार कर सकता हूं और न ही झूठ कह सकता हूं ।

तो अब मैं राजप्रमुख से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को भी निपटा ही दूं । यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि शासकों का व्यक्तिगत खर्चा संविधान द्वारा निश्चित किया गया था और यही उस की प्रतिभूति है। अब मैं कुछ हद तक इस गम्भीरताहीन आरोप की चर्चा करूंगा कि राजप्रमुख के विरुद्ध हत्या के आरोप के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । मेरे पास तो सूचना यह है कि एक याचिका प्राप्त हुई थी जिस में कहा गया था कि कुछ वर्ष पहले राजप्रमुख ने एक हत्या की थी । इस याचिका के भेजने वाले से मिलने की चेष्टा की जा रही है जो अब तक विफल हुई है । इसलिये, इस सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले माननीय सदस्य, हमें वह जानकारी दे दें तो इस मामले में और जांच करने में सहायता मिलेगी ।

**श्री नम्बियार** : हम उस व्यक्ति को ही माननीय मंत्री के सामने लाने का प्रयत्न करेंगे ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : उसे मेरे पास लाने का कोई लाभ नहीं । मैं उस का क्या करूंगा । परन्तु यदि उसे परामर्शदाता के पास ले जाया जाय या .....

**श्री नम्बियार** : क्योंकि वे कहते हैं कि उस के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं, मैं उसी को यहां ला दूंगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे उसे परामर्शदाता के सामने ले जायें । परामर्शदाता तो वहां हैं ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : याचिका भेजने वाला सम्भवतः छिप गया है ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : यद्यपि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, मेरे विचार में, जो कुछ जानकारी मेरे सामने है, उसे देखते हुए, सामने बैठने वाले माननीय सदस्य शीघ्र विश्वास कर लेने वालों में से है । मालूम होता है कि वे प्रत्येक बात को ध्रुव सत्य मान लेते हैं ।

इन सब मामलों की जांच करने के सम्बन्ध में मैं उन की कठिनाई समझ सकता हूं परन्तु मेरा विचार है कि उन्हों ने यह दावा किया था कि उन्हें पैप्सू के मामलों के बारे में विचार करने के विशेष अवसर प्राप्त हैं । ऐसी बात है, तो मैं यही सिफारिश कर सकता हूं कि उन्हें आरोप लगाने से पहले इन पर और गहन विचार करना चाहिये । उदाहरण के लिये उन्हों ने कुछ कहा था--मैं पूरी तरह सुन नहीं सका कि आरोप क्या था-- जो भटिंडा स्टेशन के थानेदार के किसी नैतिक दोष के सम्बन्ध में था । इस में सन्देह नहीं कि हम उन के भाषण की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे परन्तु मेरी जानकारी यह है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है बिल्कुल गलत है और वाकई.....

**श्री नम्बियार** : श्रीमान, बिना जाने वे कैसे कह सकते हैं कि यह गलत है ?

**लाला अचित राम** (हिस्सार): क्योंकि आप ने इस पर विचार नहीं किया है ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि आरोप इतना अस्पष्ट था .....

**श्री के० के० बसु** : तात्कालिक प्रतिक्रिया ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : . . . . . यही मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। मेरी जानकारी यह है कि यह बात गलत है और सच तो यह है कि मुझे पता चला है कि उस के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये । जो भी हो, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कई अन्य मामलों के सम्बन्ध में यदि ठोस उदाहरण हों तो जांच में बाधा डालने में किसी का हित नहीं है ।

जहां तक शान्ति तथा व्यवस्था का सम्बन्ध है, यही कहना आवश्यक है क्योंकि मैं ने सामान्य बातें कहते समय इस विषय पर बहुत कुछ कह दिया था ।

अब मैं एक अन्य विषय की चर्चा करूंगा और वह है भाखड़ा नांगल परियोजना का लागू करना । मेरा विचार है कि इस बात की चर्चा करने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि उस के पास ठोस उदाहरण नहीं हैं । स्थिति वास्तव में यह है कि यह परियोजना

१२ बजे मध्याह्न

तीन राज्यों–पंजाब, पैप्सू तथा राजस्थान की सांझी परियोजना है । इन में से सब से अधिक भाग पंजाब का है अर्थात ६२.४, पैप्सू का २२.४ और राजस्थान का १५.२ । इस परियोजना का वित्तीय तथा टैक्नीकल नियंत्रण भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के हाथ में है जो इन तीन राज्यों की सहमति से बनाया गया था । यह बोर्ड सारे डिज़ाइनों, प्राक्कलनों और दरों की सूचियों की सावधानी से छान बीन करता है और इस योजना के निर्माण कार्य में बचत कैसे की जाय– यह विषय सदा ही बोर्ड के सामने रहता है और उस की प्रत्येक बैठक में इस पर विचार किया जाता है। जहां तक इस निर्माण कार्य के लागू किये जाने का सम्बन्ध है सारे साझे निर्माण कार्य– जिन में बांध भी सम्मिलित है– पंजाब सरकार के नियंत्रण में हैं। प्रत्येक राज्य अपने निर्माण कार्य अलग अलग करते हैं । जहां तक पैप्सू का सम्बन्ध है यह अलग निर्माण-कार्य सिंचाई के पानी के लिये नहरें खोदने, और बिजली पहुंचाने के लिये ३३ तथा ११ किलोवाट की लाइनें तथा स्थानीय लाइनें लगाने का है। पैप्सू में जो अलग निर्माण कार्य किया जायगा उस पर ४.११ करोड़ रुपये खर्च होंगे और बिजली पर ४.५९ करोड़ रुपये। इस अलग निर्माण कार्य के सम्बन्ध में पैप्सू में बहुत कम काम हुआ है क्योंकि इस के लिये जो विशेष कर्मचारियों की आवश्यकता है, वे वहां नहीं मिलते । जुलाई, १९५२ में एक संकल खोला गया और १९५२ में पूरे समय काम करने वाला एक अधीक्षक इंजीनियर रखा गया । भाखड़ा नांगल परियो-जना पर कुल खर्च १५६ करोड़ रुपये होगा और कुछ क्षेत्र में से पैप्सू का क्षेत्र सम्भवत: १/६ या १/५ है । सिंचाई में पैप्सू का भाग २३.६० तथा बिजली में १०.३ अर्थात कुल ३४.४३ है। यह सच है कि इस परियोजना के ठीक ढंग से लागू किये जाने में पैप्सू का बहुत दिलचस्पी है चाहे पंजाब इसे लागू करे या बाकी सम्बद्ध राष्ट्र करें, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि अपव्यय को रोकने के सम्बन्ध में जो भी सावधानी बरती जा सकती है वह वित्तीय तथा टैक्नीकल नियंत्रण में सम्मिलित है । जैसा कि मैं ने कहा, सारे डिज़ाइनों तथा प्राक्कलनों की भली भांति जांच की जाती है । और निर्माण कार्य की प्रगति पर निगाह रखी जाती है । सच तो यह है कि ऐसी विशेष व्यवस्था की गई है कि निर्माण कार्य के गुण प्रकार की परीक्षा नियमित रूप से होती रहे । जिन कर्मचारियों पर काम का भार है, उन के अतिरिक्त एक विशेष परीक्षण निदेशालय है जो स्वतंत्र रूप से निर्माण कार्य की सारी अवस्थाओं में परीक्षा करते हैं । अनुसन्धान विभाग वाले निर्माण कर्मचारियों से अलग काम करते हैं और समय समय पर नियमित रूप से कंकरीट के नमूने

लेकर उन की परीक्षा करते हैं। इस प्रकार सामान्यतः ऐसी कोई बात नहीं कि निश्चित स्तर से बुरा काम किया जायगा। इस के अतिरिक्त बांध पर काम विभागीय मजदूर कर रहे हैं। ठेकेदार तो रखे ही नहीं गये। मजदूरों को वेतन देने वाली संस्था निर्माण कर्मचारियों से अलग है। भ्रष्ट व्यवहार न हो, इसे रोकने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की गई है। मैं अब भी यह कहता हूं कि किसी माननीय सदस्य के ध्यान में कोई ऐसा मामला आये तो हमें अपना कर्त्तव्य मानना चाहिये कि उस पर विचार करें और यह मालूम करें कि सावधानी के लिए किए गए उपायों के होते हुए भी गड़बड़ हो गई है अथवा नहीं।

भाषा सम्बध वाद प्रतिवाद की ओर संकेत किया गया था। वाद विवाद के दौरान में मैं ने कागज मंगाये और उन का अध्ययन किया। उन से मुझे मालूम हुआ कि इस प्रश्न पर जो झगड़ा है उसे दूर करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। १४ नवम्बर, १९४९ के आदेश में २२ मार्च, १९५० को सुधार किया गया और अब इस प्रश्न पर बहुत कम मतभेद है। वास्तव में वह भी कम हो रहा है। यह राज्य अब हिन्दी तथा पंजाबी क्षेत्रों में बंटा हुआ है। और चाहे सिद्धान्त रूप में पंजाबी क्षेत्र में स्थित ऐसे स्कूलों को सहायता अनुदान नहीं मिल सकते जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो, फिर भी १९५२-५३ में विशेष मामला समझ कर और अभ्यावेदन किये जाने पर अनुदान दिये गये। इसलिये मेरे विचार में ऐसा दिखाई देता है कि अब इस सम्बन्ध में राजनीति से काम ले कर उदारता दिखाई जायेगी। ऐसे दृष्टिकोण से मुझे बहुत सहानुभूति है। मुझे विश्वास है कि यदि अधिकारी वर्ग यह स्पष्ट कर दे कि उस की मंशा किसी संस्कृति या भाषा को हानि पहुंचाने की नहीं है तो भाषावार प्रान्तों के आन्दोलन का बहुत सा जोर समाप्त हो जायगा। मुझे इस में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि जहां तक परामर्शदाता के राज का सम्बन्ध है, इसी नीति का अनुसरण किया जायगा।

जहां तक मैं समझता हूं—कटौती प्रस्तावों के बाहुल्य के कारण मैं भ्रम में पड़ गया हूं— मैं ने माननीय सदस्यों द्वारा रखी गई अधिकतर समस्याओं की चर्चा कर दी है। हां, अनुसूचित जातियों की समस्या उन में नहीं आई। जिस माननीय सदस्य ने ऐसा भावुक्ता भरा भाषण दिया था वे अपने स्थान पर नहीं हैं। मुझे इस बात में सन्देह है कि अनुसूचित जातियों के सुरक्षण को लागू करने में निहित स्वार्थों के कारण देरी हो रही है जैसा कि माननीय सदस्य सोचते हैं। मेरा विचार है कि निहित स्वार्थों को— और उन से मेरा अभिप्राय अल्पमतों से है जहां सत्ता उन के हाथ में है— मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है। सम्भव है कि क्षेत्र बनाने या अर्हतायें निर्धारित करने में सुधार हो सकता हो और शायद यह बात भी है कि उपयुक्त अर्हतायें प्राप्य नहीं—यह बहाना सच मानने की के प्रवृति के बराबर है। यदि मैं ऐसे लोगों के स्थान में होऊं तो ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढ़ने के विशेष प्रयत्न करूं।

एक बात और है। उन्हीं माननीय सदस्य ने यह विचार भी प्रकट किया था कि आय-व्ययक में जो उपबन्ध किया गया है, उस का अधिकतर अंश चूंकि पिछड़ी जातियों के लिये है इसलिये वह अनुसूचित जातियों के हिस्से में नहीं आयेगा : परन्तु मेरी जानकारी यह है कि पैप्सू की पिछड़ी जातियों में अधिकतम अनुपात अनुसूचित जातियों का है। यदि ऐसी बात है तो परिणामतः इस राशि का अधिकतर भाग पैप्सू की अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जायेगा।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इसलिये इन शब्दों के साथ मैं सारे कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

**श्री नम्बियार** : सभी का ?

**श्री सी० डी० देशमुख** : जी हां ।

इस के बाद उपाध्यक्ष महोदय ने सारे कटौती प्रस्ताव सदन के मतदान के लिये रखे जो अस्वीकार कर दिये गये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को पटियाला, और पूर्वी पंजाब राज्य संघ की संचित निधि में से मांग संख्या १ से ३७ और ३९ से ५० के सम्बन्ध में क्रम-पत्र के तीसरे स्तम्भ में दिखलाई गई राशियों तक की राशियां उस व्यय को पूरा करने के लिए दी जायें जो ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रम-पत्र के दूसरे स्तम्भ में अंकित तत्संबंधी मांग शीर्षों के सम्बन्ध में किया जायगा ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**उपाध्यक्ष महोदय** : मांग संख्या ३८ पहले ही पास की जा चुकी है ।

---

## पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (संख्या २) विधेयक

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के निमित्त, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पी) : मालूम हुआ है — समाचार पत्रों में समाचार भी प्रकाशित हुआ है — कि किसानों से लगान का सब बकाया वसूल करने के लिए बड़े पैमाने पर पग उठाये जा रहे हैं । आप जानते हैं कि पैप्सू की स्थिति कुछ समय से स्थिर नहीं हैं । इस समय लगान इकट्ठा करने से किसानों को बहुत कष्ट होगा । सुना है कि उन किसानों को जिन का बकाया लगान तीन वर्ष से अधिक समय से शेष है कुछ रियायत दी जायेगी । इस सम्बन्ध में मुझे विश्वस्त जानकारी नहीं है । किन्तु इस बात की उपेक्षा की जा रही है और बकाया लगान तेजी से इकट्ठा किया जा रहा है ।

बहुत से ग्रामों से यह शिकायत भी प्राप्त हुई है कि किसानों को न्यायालयों के आदेश के बिना भूमियों से बेदखल किया जा रहा है । यह इस समय जब कि हम सब चाहते हैं कि पैप्सू को नया जीवन मिले बहुत असंतोषजनक बात है ।

मैं सरकार का ध्यान एक और बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं । वह यह है कि परामर्शदाता की हर कार्यवाही से किसानों का जनतंत्रात्मक आन्दोलन कमजोर होता जा रहा है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह परामर्शदाता को निदेश दें कि वे किसान संस्थाओं या संघों के साथ परामर्ष करें और उन तत्वों

और वर्गों के साथ कम सम्पर्क रखे जो कि पैप्सू के सब कष्टों और कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी हैं।

**श्री नम्बियार :** (मयूरम) : मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में केवल एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से भूतपूर्व सैनिक बेकार हैं। उन के पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं। इस से पैप्सु की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और हो सकता है कि शान्ति और व्यवस्था की स्थिति पर भी इस का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। सरकार को स्थिति सुधारने के लिये उपाय करने चाहिए।

**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलूरू) : जैसा कि अनेक वक्ताओं ने कहा है, पैप्सू में हरिजनों की दशा बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की जांच करे कि वहां बेगार तो नहीं लिया जाता। यदि लिया जाता है, तो इसे दूर करने के लिए तत्काल पग उठाने चाहिए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वह पैप्सु सरकार से एक ऐसा पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए जो कि हरिजनों के कल्याण का प्रभारी हो जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है।

**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं इन सब रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता हूं और इन भाषणों को राज्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदाता के पास पहुंचा दूंगा। जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी, उस से मैं ने समझा था कि किसानों को स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद, लगान स्वेच्छा से इकटठा किया जाता था, किन्तु हो सकता है कि कुछ मामलों में विधि के संरक्षणों की उपेक्षा की गई है या किसानों को बेदखल किया गया है। मैं केवल परामर्शदाता पर यह ज़ोर दे सकता हूं कि वे सारे मामले को न्याय सम्मत तरीके से निपटायें। मैं आशा करता हूं कि सब लोग किसानों के न्यायसंगत आंदोलनों को प्रोत्साहन देना चाहेंगे।

भूतपूर्व सैनिकों और हरिजनों की स्थिति के बारे में मैं राज्य मंत्रालय से पूछूंगा कि क्या कोई विशेष उपाय किये जा सकते हैं।

**उपाध्यक्ष** महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ३, अनुसूची, नाम तथा अधिनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया।

**श्री सी० डी० देशमुख :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित कर दिया जाये"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि : "विधेयक को पारित कर दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

## चाय विधेयक

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संघ द्वारा चाय उद्योग पर नियंत्रण तथा उसके निमित्त एक चाय बोर्ड बनाने और भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर सीमा शुल्क आरोपण की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक पर जैसा कि इसे प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, विचार किया जाये"।

प्रवर समिति ने इस विधेयक के उपबन्धों पर काफ़ी सावधानी से विचार किया है। मैं चाहता हूं कि सदन प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करे।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जहां तक प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं लम्बे शीर्षक की बनावट में किये गये परिवर्तन की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह संशोधन प्रवर समिति ने यह बात स्पष्ट करने के लिए किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते के अन्तर्गत कुछ दिशाओं में चाय उद्योग पर नियंत्रण करना आवश्यक है।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन जो प्रवर समिति ने किया है, वह खंड ४ में है। प्रवर समिति की यह राय थी कि चूंकि चाय बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होगा, इस लिए चाय बोर्ड में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि की कोई आवश्यकता नहीं। किन्तु यह आवश्यक होगा कि आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार के कुछ पदाधिकारी विशेषतया वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कुछ पदाधिकारी इस चाय बोर्ड की बैठकों में सम्मिलित हों, परन्तु चूंकि अन्तिम निर्णय सरकार के हाथ में होगा, इस लिए प्रवर समिति ने यह उचित नहीं समझा था कि सरकार की समिति में भेजे गये अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जिन्हें मतदान का अधिकार होगा समिति के निर्णयों से सम्बद्ध किया जाय। इस का एक अर्थ यह होगा कि पदाधिकारियों को बोर्ड के निर्णय मानने पड़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सिफ़ारिश जो प्रवर समिति ने की है, खंड ६ के, अर्थात नियुक्त करने के सम्बन्ध में है। खंड ६ के सामान्य उपबन्धों से सहमत होते हुए, प्रवर समिति यह चाहती है कि लोक सेवा आयोग के या सम्बन्धित राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को उस चुनाव समिति में सम्मिलित किया जाये, जो कि ३५० रुपये या इस से अधिक परन्तु १००० रुपये से कम वेतन वाले पदाधिकारी चुनने के लिए बोर्ड द्वारा बनाई जाये। मैं यह बतला देना चाहूंगा कि १००० रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वयं नियुक्त करेगी।

खंड ११ : प्रवर समिति का विचार था कि विघटन के बाद बोर्ड के पुनर्गठन के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संशोधन का सम्बन्ध अधिकतर प्रारुपण से है।

एक और महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि एक नया खंड ३२ सम्मिलित किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि एक ऐसा सामान्य खंड होना चाहिए जिसके अन्तर्गत न केवल खंड १४ और १५ के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेशों के विरूद्ध, अपितु खंड २० के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेशों के विरुद्ध भी अर्थात चाय बागों, निर्यात कोटों इत्यादि के सम्बन्ध में भी अपीलें की जा सकें।

खंड ३१ को नये रूप से तैयार कर के खंड ३० बना दिया गया है। प्रवर समिति ने ऐसा इस लिए किया क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि मूल्यों और चाय उद्योग पर क्रियाकारी नियंत्रण रखने के लिए, सरकार के पास न केवल मूल्यों पर अपितु चाय के वितरण पर भी नियन्त्रण करने के लिए अधिकार होने चाहिएं। प्रवर समिति ने निर्यात कारों के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें की हैं। उस ने सुझाव दिया है कि उस चाय बाग स्वामी को जो सहयोग नहीं दे रहा कोई कोटा न दिया जाये, और बाग स्वामियों के अतिरिक्त निर्माताओं, दलालों और व्यापारियों को भी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाये। दंड सम्बन्धी खंड को फिर से बनाया गया है।

अधिकतर संशोधन छोटे छोटे हैं और प्रारुपण सम्बन्धी हैं । समिति ने इस विधेयक के बारे में यही काम किया है ।

सदन यह देखेगा कि समिति ने विधेयक के सिद्धान्तों का जो कि पुर:स्थापन के समय सरकार ने इस सदन के सामने स्पष्ट कियें थे, अनुमोदन किया है । इस अवसर पर मेरे लिए सदन के समक्ष चाय उद्योग की स्थिति को स्पष्ट करना उचित होगा, क्योंकि माननीय सदस्य अपने भाषणों को बोर्ड के संगठन या इस के अधिकारों आदि तक ही सीमति नहीं रखेंगे बल्कि चाय उद्योग के प्रति सरकार की नीति पर भी बहस करेंगे । सरकार को कटु-आलोचना का अनुभव है और एक जन-तंत्रात्मक सरकार होते हुए हम हर प्रकार की आलोचना का स्वागत करते हैं । उदाहरण के रूप में पिछले तीन या चार मासों में चाय उद्योग में स्वार्थ रखने वालों ने भाषण दिये हैं और चाय संथाओं के अध्यक्षों ने बहुत हद तक सरकार की निन्दा की है । मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान भारतीय चाय संथा के निवृत्त होने वाले अध्यक्ष के भाषण की ओर दिलाता हूं । यह संथा एक बहुत महत्वपूर्ण संथा है क्योंकि यह बहुत हद तक चाय उद्योग के युरोपियन व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है और चाय उद्योग का ६० प्रतिशत भाग युरोपियन के हाथ में है ।

निवृत्त होने वाले अध्यक्ष, मि० हचिसन ने चाय उद्योग के प्रति सरकार की उपेक्षा के बारे में कटु शब्द कहे थे। कुछ समाचार पत्रों में सम्पादकीय लेख भी प्रकाशित हुए थे । अब भी जब कि स्थिति सुधर गई है, वे यह कहते हैं कि यह सरकार की किसी कार्यवाही के कारण नहीं हुई ।

चाय उद्योग की स्थिति के बारे में इस सदन में चर्चा की गई है और कई अवसरों पर प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये हैं । इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा भी हुई थीं । जब नया मंत्रिमंडल बना था, तो उस ने अनुभव किया था कि चाय उद्योग को कठिनाई का सामना है और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस समस्या पर ध्यान दिया था । जैसा कि सदन को ज्ञात है वित्त मंत्रालय की सहायता से हम ने लगभग एक सदस्य वाली एक समिति नियुक्त की थी, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के एक सदस्य थे । राजा राम राव समिति की रिपोर्ट बहुत समय से सदन और जनता के सामने है । हम ने यह भी अनुभव कि या कि चाय उद्योग की सुस्थित बनाने के लिए, खाद्यान्न सम्बन्धी सुविधाओं में कुछ संशोधन करना आवश्यक है, अर्थात बागों में श्रम को ५ रुपये प्रतिमन की दर से खाद्यान्न दिया जाय । सरकार को श्रम के हितों के रक्षण का पूरा ख्याल था । मुझे याद है कि मैं ने सदन में कहा था कि राजा राम राव समिति ऐसी कोई सिफारिश नहीं करेगी जिस का उद्देश्य श्रम की मज़दूरी में कमी करना हो । इसी प्रकार का एक आश्वासन मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री ने भी दिया था । उस समय हम ने यह सोचा था कि खाद्यान्न की रियायतों को उस समय के भाव के अनुसार नगदी के रूप में बदल देने से उद्योग का भार कम हो जायगा और इस से किसी श्रमिक के घर में रहने वाले आश्रितों की संख्या को अनुचित रूप से बढ़ाने या वहां न रहने वाले लोगों को गिनवाने की बुराई दूर हो जायेगी, क्योंकि इस से चाय के बागों को खाद्यान्न के रियायत के रूप में जो अधिक व्यय करना पड़ता है वह भी दूर हो जायेगा ।

दुर्भाग्य से श्रम मंत्रालय उस समय श्रमिक नेताओं को इन शर्तों के पुनरीक्षण

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के लिए राज़ी नहीं कर सका । मुझे इस बात का खेद नहीं कि सरकारी प्रस्ताव माने नहीं गये । किन्तु इसे न मानने का उद्योग के एक भाग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे कि वह सहन नहीं कर सकता था ।

इसके बाद कलकत्ते में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ । जिसमें श्रम मंत्री जी भी उपस्थित थे । उस सम्मेलन में एक बहुत ही विचित्र बात हुई जिसके कारण झगड़ा निपटाने में त्रिदलीय सम्मेलन की सफलता पर मेरा विश्वास डगमगा सा गया था । मालिकों और मज़दूरों ने, जो आपस में हमेशा से लड़ते रहे हैं और एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ हैं, एक होकर कहा : मालिक कोई त्याग नहीं करेंगे ; मज़दूर कोई त्याग नहीं कर सकते ; सरकार करोड़ों रुपये की अपनी आमदनी छोड़ दे, फिर सब मामला ठीक हो जायेगा । निससन्देह, यदि सरकार त्याग करेगी तो सब लोग खुश होंगे । यदि मालिकों से अधिक देने को न कहा जायेगा तो वे कुछ नहीं कहेंगे ; यदि मज़दूरों को पैसा मिलेगा तो वह कुछ नहीं कहेंगे ; इस सौदेबाज़ी से राष्ट्रीय हितों को कितनी ही हानि पहुंचे, इससे किसी को मतलब नहीं । चाय उद्योग पर जो भार है उसकी इस तरह से व्यवस्था करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था जिससे वह उस भार को सह न सके, परन्तु दुर्भाग्य से मज़दूर नेता बाग़ीचा मालिकों के जाल में फंस गये और उन्होंने सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसका माना जाना असंभव था । ख़ैर, इस के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार व आसाम सरकार ने कार्यवाही की और उन लोगों की मज़दूरी में कमी आई जो वास्तव में इसे सहन करने के योग्य नहीं थे ।

परन्तु अब कई कारणों से स्थिति सुधरने लगी है । इंग्लैण्ड में चाय का राशन हटा दिया गया वहां लोगों ने चाय को स्टाक करना भी बन्द कर दिया । फिर, जब राशन हट गया तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ा कि लोग उतनी ही चाय लेने लगे जितनी की उन्हें आवश्यकता होती थी । चाय उद्योग के संकट के समय इंग्लैंड में चाय का स्टाक २२८०० लाख पौंड था और वर्ष के अन्त में अब यह १००० लाख पौंड रह गया है । तो इस तरह स्थिति सुधर रही है । जहां तक लन्दन में चाय के प्रचलित दामों का प्रश्न है, सबसे कम दाम जुलाई १९५२ में थे यानी २ शिलिंग ५·८१ पैंस थे । उसके बाद सितम्बर व अक्टूबर में ये कुछ बढ़ने लगे । फिर इनमें कुछ कमी हुई, परन्तु जनवरी के बाद से दाम फिर ऊंचे जा रहे हैं और अब अप्रैल में ३ शिलिंग ६·८७ पैंस हैं । कलकत्ते के नीलामों में भी दामों में इस तरह की वृद्धि हुई है और मुझे बताया गया है कि गत सप्ताह ही पिछले मौसम के स्टाक का आख़िरी हिस्सा उठा लिया गया है। इसलिये हम कह सकते हैं चाय उद्योग में भी कुछ स्थिरता आने लगी है ।

मुझे जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं उनसे स्थिति में सुधार होने का पता चलता है परन्तु मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सचिव ने स्वयं अप्रैल के आरंभ में चाय बाग़ीचों का दौरा किया । उस क्षेत्र में चाय उद्योग की जो स्थिति है उसके बारे में उनकी रिपोर्ट मेरे पास है और उससे पता चलता है कि कुछ समस्याओं का हल होना अभी बाकी है । हालांकि स्थिति अब काफ़ी अच्छी है परन्तु दो बातें

अभी उलझन पैदा कर रही हैं। कि एक समस्या कचार ज़िले के उद्योग के बारे में है, दूसरी भारतीयों के बाग़ीचों के बारे में। कचार के चाय उद्योग के बारे में मेरे सचिव ने जिन बातों का पता लगाया है, उसके सिलसिले में मैं सदन को कुछ बताना चाहूंगा।

कचार उद्योग बहुत काफ़ी समय से एक समस्या बना हुआ है। इस बारे में कई बार जांच हुई है कि कचार बाग़ीचों में चाय इतनी ख़राब और इतनी कम क्यों होती है। चार वर्ष हुए, एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी और केन्द्रीय चाय बोर्ड के तत्कालीन सभापति उसके सभापति थे। इस समिति ने एक बहुत बड़ी और लाभदायक रिपोर्ट पेश की थी। मालूम होता है कि वहां की ज़मीन शेष आसाम की ज़मीन से भिन्न है; चाय उगाने वालों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो तरीक़े अपनाये वे पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं थे। इस पहाड़ी क्षेत्र में बड़े ज़ोर की बाढ़ें आती रही हैं और अच्छे प्रकार की बहुत सी चाय का नुकसान हुआ है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से कचार में चाय उगाने वालों की राय यह है कि इस ज़िले के बाग़ीचों को शेष आसाम के बाग़ीचों के मुक़ाबले में नुक़सान है और उनका कहना है कि चाहे कुछ भी किया जाये आसाम घाटी की चाय के मुक़ाबले में यहां की चाय के दाम कम से कम चार आने प्रति पौंड कम रहेंगे। परन्तु कुछ चाय उगाने वालों की, जिन्हें काफ़ी सफलता मिली है, राय है कि यदि पर्याप्त क़दम उठाये जायें तो कोई वजह नहीं कि उद्योग को सफलता प्राप्त न हों। तो मेरे सचिव के अनुसार, इस समय कुछ बाग़ीचें में तो निराशा का वातावरण छाया हुआ है और कुछ में उद्योग को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय है।

एक समस्या यह है जिसे हल किया जाना है।

भारतीयों के चाय-बाग़ीचों के बारे में इस अधिकारी का कहना है कि जहां तक इन बाग़ीचों का सम्बन्ध है उद्योग की स्थिति डांवाडोल है। जैसा मैं पहल कह चुका हूं कुल उद्योग का २० प्रतिशत भाग भारतीयों के हाथ में है। भारतीयों के बाग़ीचों के साथ कठिनाइयां ये हैं कि एक तो ये बाग़ीचे उस समय लिये गये थे जब कि यूरोपियनों ने सारे अच्छे अच्छे बाग़ीचे ले लिये थे और दूसरे भारतीय बाग़ीचा मालिकों को रुपया मिलने में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। रुपया न मिलने की कठिनाई ने उन्हें मुसीबत के चक्कर में डाल दिया है। इसके कारण उन्हें उन बातों में रुपया बचाना पड़ता है जिसमें ऐसा करना बहुत अहितकर है, यानी रसायनिक खादों की तथा पेड़ों और छाया की व्यवस्था करने आदि में उन्हें रुपया बचाना पड़ता है। इन चीज़ों में बचत करने के कारण उत्पादन कम होता जा रहा है और चूंकि उत्पादन कम होता जा रहा है इसलिये नतीजा यह होता है कि बैंक उन्हें रुपया नहीं देते।

यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है कि इस भारतीय बाग़ीचों की स्थिति सुधारन के लिये क्या क़दम उठाये जायें। मैं इन समस्याओं के बारे में सोचता रहा हूं परन्तु अभी ठीक तरह से मेरी कुछ समझ में नहीं आ सका है। हम यह मानते हैं कि जहां तक उन बाग़ीचों का सम्बन्ध है, जिनसे यदि लाभ नहीं तो नुक़सान भी नहीं होता, हम इनकी स्थिति ठीक कर सकते हैं परन्तु जो बाग़ीचे उपरोक्त श्रेणी में भी नहीं आते,

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उनकी हालत कैसे सुधारी जाये। यह भी एक बहुत सामान्य प्रस्ताव है और इस आधार मान कर आगे कहने से पहले इसकी जांच करनी ज़रूरी है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि इन बाग़ीचों की सहायता कैसे की जाय जहां रुपये का मिलना सब से बड़ी कठिनाई है। और चाय की क़िस्म सुधारने, रासायिनक खादों के आयात करने आदि के लिये भी तो रुपये की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि इस समय मेरे कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाय। सौभाग्य से केन्द्रीय चाय बोर्ड के एक नये सभापति नियुक्त हुए हैं और यह श्री बसक हैं जो बंगाल सरकार के एक अनुभवी सिवीलियन हैं। वह हाल ही में मुझ से मिले थे और मैं न उनसे इस समस्या पर ध्यान देने के लिये कहा है। मुझ आशा है कि मैं जल्दी ही वित्त मंत्री जी के सामने एक निश्चित प्रस्थापना रख सकूंगा ताकि भूमि बंधक आधार पर कुछ सहायता देने का प्रयत्न किया जा सके या किसी तरह उन बाग़ीचों के लिये जिन्हें रुपये की बहुत अधिक आवश्यकता है, वित्तीय सहायता का प्रबन्ध किया जा सके। साथ ही हम यह देखने का भी प्रयत्न करेंगे कि यह रुपया सहायता के रूप में ही दिया जाय, दान के रूप में नहीं। यदि हम कोई ऐसी योजना बना सकेंगे जिसके अनुसार हमारी सहायता से चाय बाग़ीचों की हालत सुधर सकेगी तो हम ऐसा करेंगे। सरकार इस विषय पर पूरी गंभीरता से विचार करेगी।

मेरे सचिव की रिपोर्ट में दूसरी बात मालिक व मज़दूरों के संबंध के बारे में है। मुझे खेद है कि मेरे मित्र श्री खूंड भाई देसाई यहां उपस्थित नहीं हैं। परन्तु इस अधिकारी ने जिसे राजनीति से कोई लाभ नहीं उठाना, कहा है कि जिन जिन चाय उगाने वालों को वह मिले उन सबों की यह राय है कि एक-आध मामलें को छोड़ कर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नेतृत्व बहुत औचित्यपूर्ण रहा है और यदि पिछले वर्ष से जिस तरह वे सहयोग दे रहे हैं, उस तरह न देते तो उद्योग के हाल ही के संकट को दूर नहीं किया जा सकता था और उसकी हालत पहले से भी खराब होती। यह जानना हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि एक मज़दूर संघ की ओर से राष्ट्रीय महत्व के इस उद्योग को चलाने में सहयोग मिला है।

जहां तक सरकार का संबंध है, मज़दूरों का मामला काफ़ी महत्व रखता है। मज़दूरों के हितों का हमें किसी से कम ध्यान नहीं है। यह प्रश्न कि उद्योग मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी और आधुनिक सुविधाये दे सकेगा या नहीं, इसी मामले से उत्पन्न होता है। मैं मानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये हमें इस बारे में जांच करनी होगी कि उद्योग में उत्पादन की एक विशेष लागत किस प्रकार आती है। परन्तु हम यह भी नहीं भूल सकते कि उद्योग के उत्पादन की क़ीमत केवल उन्हीं बातों से तय नहीं होती जिन पर हमारा नियंत्रण है बल्कि यह निर्यात बाज़ार पर भी निर्भर करती है, जिस पर हमारा कोई वश नहीं। इस विषय में जांच करने के लिये हम से कहा गया है परन्तु मुझे खेद है कि यह काय अभी तक शुरु नहीं हो सका। इसमें मुख्य कठिनाई उपयुक्त कार्यकर्त्ताओं का न मिलना है। बिना उपयुक्त व्यक्तियों के कोई जांच करने से विशेषत: इस प्रकार की जांच करने से—कोई लाभ नहीं। मुझे आशा है कि सरकार को शीघ्र ही उपयुक्त व्यक्ति मिल जायेंगे; परन्तु लागत

के बारे में इस तरह की जांच करने से पहले भी हमें इस जांच की सीमाओं का ध्यान रखना होगा । इस वस्तु की निर्यात बाजार में जो कीमत होगी उस के अनुसार हमें अपनी लागत की व्यवस्था करनी ही होगी । चाहे उद्योग अधिक मज़दूरी दे सके या न दे सके परन्तु जिन बातों पर ये निर्भर है वे जब तक उद्योग को आर्थिक सहायता ही न दी जाय, इस सरकार के या किसी के भी वश में नहीं ।

माननीय सदस्यों को जिन्हें चाय उद्योग में रुचि है, याद होगा कि वर्ष १९३१ से यह उद्योग बराबर फलता फूलता रहा था और दुर्भाग्यवश यदि हमने मज़दूरी की व्यवस्था करने या नुक़सान पूरा करने के लिये कोई रक्षित विधि नहीं बनाई तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं भारी ग़लती हुई है । खैर जो कुछ भी हो, कम से कम एक बात ज़रूरी मालूम होती है, वह यह कि बजाय इसके कि सरकार इस उद्योग के बारे में अपने सारे अधिकार बाग़ीचा मालिकों या स्वार्थी पक्षों को दे दे, उसे इसम एक क्रियाशील भागीदाप के रूप में कार्य करना चाहिये ।

रिपोर्ट में अन्य बहुत सी बातों का भी ज़िक्र किया गया है । माननीय मित्र श्री देवेषवर सरमा ने जो बात उठाई है, हो सकता है वह ठीक न हो । उनका कहना है कि चाय उद्योग के मज़दूरों के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में न जा सकने से नुक़सान हो सकता है । यह सब वास्तविक बातें हैं जिनका सामना करना ही होगा । मोटे तौर पर उद्योग की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है ।

उन माननीय सदस्यों को, जिनका इस बोर्ड की रचना और उसके उद्देश्यों के बारे में तथा इस बारे में कि सरकार को क्या करना चाहिये अपना विशेष दृष्टिकोण है, यह समझना चाहिये कि ये परिवर्तन किसी विशेष व्यक्ति या मंत्री के आत्माभिमान को संतुष्ट करने के लिये नहीं किये गये हैं । ऐसा भविष्य के लिये ही किया जा रहा है । उद्योग अपनी सफलता के २१ वर्षों में जिस ग़लती को करता आया है, हम उसे दोहरा नहीं सकते ।

दूसरी बात यह है कि इस उद्योग का ८० प्रतिशत भाग उन लोगों के हाथ में है जो हमारे देशवासी नहीं हैं । मैं नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे उनकी स्थिति में फेर-बदल किया जाय क्योंकि अक्सर यह होता है कि किसी ने अपनी सम्पत्ति बेची तो कोई बम्बई वाला बिक्री से होने वाले पिछले पांच वर्षों के लाभ को देख कर ७५ लाख रुपया या लगभग इतनी ही राशि में इसे खरीद लेगा परन्तु जब क़ीमत गिरने लगेगी तो उसकी उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी ; वह सट्टा करने लगगा और कोशिश करेगा कि उसे ८० लाख रुपये में बेच डाला जाये । जब दाम गिरन लगेंगे तो वह उसे नुक़सान समझ कर छोड़ देगा । आयकर विभाग उसकी दूसरी आय में से इस नुक़सान के भाग को छोड़ेगा या नहीं ; यह बात दूसरी है । हम उद्योग म इस तरह के व्यक्तियों को नहीं चाहते ।

जहां तक विदेशियों की भागिता का प्रश्न है, परिवर्तन क्रमशः ही हो सकेगा । वस्तुतः इस उद्योग के बारे में मैं विदेशियों से कोई विभेद नहीं करना चाहता । शर्त यह है कि वे ईमानदारी से काम करें । भारतीय चाय संघ के पिछले सभापति महोदय तथा उनके उप-सभापति निश्चित रूप से बाधक सिद्ध हुए थे । इस समय के सभापति न्यायप्रिय तथा कम से कम यथार्क-बादी दिखाई पड़ते हैं । वह सरकार से लड़ना

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

व्यर्थ समझते हैं । निस्सन्देह निहित स्वार्थ रखने वाले सदैव इस प्रकार के व्यक्ति नहीं होते हैं। यदि किसी समय वे सरकार से लड़ते भी हैं तो हानि उनकी अपनी होती है, सरकार की नहीं । निश्चय ही मेरा यह विश्वास है कि मज़दूरों की भलाई, अच्छे उत्पादन तथा भारतीय चाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने में, जो श्री लंका की चाय के अच्छे प्रचार-प्रबन्धों तथा भावना पर आधारित समर्थन के सामने तेज़ी से कम होती जा रही है, अपेक्षित परिवर्तनों में उनका सहयोग मिल सकेगा । अतएव जहां मैं सदन से इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार की प्रार्थना करता हूं तथा इस उद्योग में विदेशी तत्व को मान्यता देने के लिए कहता हूं, वहां मेरी यह भी प्रार्थना है कि वह इस पर बहुत अधिक ज़ोर न दें क्योंकि एकमात्र विदेशी तत्व के निकाल देने से एसी वस्तु उत्पादित नहीं हो जाती जो बढ़िया हो । हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा । मैं चाहता हूं कि आप वर्तमान परिस्थिति को समझें तथा यह देखना आपका काम है कि राष्ट्रीय उद्योगों की हालत सुधरे तथा हमारे मज़दूरों से उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवहार हो । इस विधेयक से उस दिशा में एक पग उठाया गया है ।

अब मैं चाय बोर्ड के पुनर्संगठन के विषय को लेता हूं । जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, वे व्यक्ति विशेष के विचार से ठीक हो सकते हैं, परन्तु इस से उसी स्थिति को दोहराया गया है जिसे प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है । इस बोर्ड की रचना बिल्कुल विभिन्न प्रकार की है । इसे सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी तथा यह एक मंत्रणा निकाय होगा । सरकार इस बोर्ड से अपने प्रतिनिधियों को हटा रही है । हम इसके फैसलों पर अपना सिक्का नहीं जमाना चाहते । सरकार अपने अधिकार का आवश्यक सीमा तक ही प्रयोग करेगी । निश्चय ही उद्योग तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रति हमारे आभार के नाते समय समय पर हम इस प्रकार के नियन्त्रण के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं । मैं नहीं कहता कि सरकार इस उत्तरदायित्व से हाथ धो ले । यदि सरकार को इस उत्तरदायित्व को अपने पर लेना ही है तो उसे ये अधिकार ग्रहण करने ही होंगे । मैं सदन को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह बोर्ड सरकार के फैसले का उल्लंघन कर सकता है । मैं 'काफ़ी' की कीमतों को कम करने का बहुत प्रयत्न कर रहा हूं । अगले दिन काफ़ी बोर्ड के सभापति मुझे मिलने आए तथा मैं ने उन्हें निःसंकोच होकर बताया कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि बोर्ड सरकार को अपना सहयोग नहीं दे रहा है तथा निश्चय ही सरकार यह व्यवस्था करेगी कि उपभोक्ता घाटे में न रहे। वह भरसक कोशिश करने का आश्वासन दे कर चले गये । मैं ने अपने संयुक्त (ज्वाइन्ट) सचिव को उनके पीछे पीछे भेजा जिन्होंने बोर्ड से कुछ समय के लिए काम चलाऊ प्रबन्ध किए । मैं देखता हूं कि इस प्रबन्ध को विक्रय समिति द्वारा नीलाम पर बोली देने वालों पर नई शर्तें लगा कर निष्फल करन का प्रयत्न किया जा रहा है । जब आप काफ़ी का नीलाम करते हैं तो स्वभावतः आप चाहते हैं कि अधिक लोग काफ़ी खरीदें तथा क़ीमतें कम हों, परन्तु वे सरकार के इरादों को निष्फल बनाने के लिए विचित्र ढंग से काम लेते हैं तथा नीलाम पर अधिक धन के जमा करने की शर्त लगा देते हैं । इससे बड़े लोग ही नीलाम में बोली दे सकते हैं तथा उत्पादक और बोली देने वाले

मिलकर कीमतों को ३५० रु० प्रति हन्ड्रडवेट की दर से बढ़ा देते हैं। यदि काफ़ी बोर्ड तथा विक्रय समिति समझते हैं कि सरकार मूर्ख है तो वे ग़लती पर हैं। सरकार को सदैव मूर्ख नहीं बनाया जा सकता तथा वह अवश्य ही परिस्थिति पर काबू पाएगी क्योंकि सरकार पर उपभोगता के हित का उत्तरदायित्व है। उसके कन्धों पर इस देश की अर्थ-व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है तथा कोई भी निहित स्वार्थ ——चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो —— मार्केट को अपने पंजे में करके सरकार के इरादों को निष्फल नहीं बना सकता। यदि निहित स्वार्थ ऐसा समझते हैं तो वे ग़लती पर हैं। मैं ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता कि इस उद्योग पर निहित स्वार्थ छा जाएं। यदि मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं इस बोर्ड को भंग कर दूंगा। उद्योग की दृष्टि से, काम दिलाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय आय तथा विदेशी मुद्रा के दिलाने की दृष्टि से चाय एक महत्वपूर्ण वस्तु है तथा मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता और इसे निहित स्वार्थों पर नहीं छोड़ सकता कि वह इसे अपनी मनमानी से चलाएं।

मैं बोर्ड के काम में उस समय तक दखल नहीं देना चाहता, जब तक कि अन्तिम निषेधाधिकार की आवश्यकता न आन पड़े। यदि आवश्यकता हुई तो मैं यह निश्चित व्यवस्था करूंगा कि उसमें ऐसे लोग लिए जाएं जो सहायक हों तथा बाधक नहीं। मैं चाय संघ के पिछले सभापति तथा उप सभापति जैसे व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं देखना चाहता जो यह कहें कि "सरकार न हम से प्रचार पर धन व्यय करने का अधिकार छीन लिया है, अतएव हमें उपकर को कम कर देना चाहिये।" जो लोग इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे कोई सुधार नहीं कर सकते। एक आवश्यक उद्योग के बारे में हम ऐसे व्यवहार को सहन नहीं कर सकते। जिन लोगों ने संशोधन प्रस्तुत कर रखे हैं, उन्हें मैं आश्वासन देना चाहता हूं। सरकार प्रत्येक व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकती है। इस मामले में मैं किसी भी सम्बन्धित संस्था के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए तैयार हूं। अविमति टिप्पणी तथा संशोधन से पता चलता है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय नेता का भी यही मत है। यह कहा गया है कि किसी भी संस्था को चाहे वह मज़दूरों की ही हो या मालिकों की, कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं। मेरा कहना यह नहीं है कि मैं निर्णय का अधिकार उन्हें दूंगा, परन्तु मैं नियमों में यह बात रखना चाहता हूं कि नाम निर्देशन से पहले सरकार मज़दूरों की विभिन्न सम्बन्धित संस्थाओं को इतना प्रतिनिधित्व देने पर अवश्य ही विचार करे कि यदि चार मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों को छः या सात स्थानों पर लिया जाना हो तो सरकार——यदि सम्भव हो तो—— उनके द्वारा सिफारिश की गई तालिका में से एक व्यक्ति को चुन ले। कुछ कारण हो सकते हैं जिन से किसी व्यक्ति विशेष को उपयुक्त न समझा जाय। प्रत्येक अवस्था में ऐसा मामों पर विचार किए बिना नहीं किया जायगा। इसी प्रकार से चाय संघों की सिफारिशों पर विचार हो सकता है। सरकार हर काम के हर भाग को समझने में समर्थ हो तो बात और है, वरन् हमें विभिन्न संस्थाओं द्वारा भेजे गए नामों पर ही विचार करना होगा। मैं यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि मैं नियमों में ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जिससे न केवल इस बोर्ड के सम्बन्ध में, अपितु मेरे द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक बोर्ड में उचित

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सरकार सम्बन्धित संस्थाओं के अभ्यावेदनों पर ध्यान दे।

संशोधनों में एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि बोर्ड से पूर्व-परामर्श किया जाय। सांविधानिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। जहां हमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे व्यक्ति से काम पड़ता है तो सरकार किसी फैसले के करने से पहले उन से अवश्य ही निर्देश करती है। तथा मुख्य न्यायाधीश से स्वभावतः परामर्श किया जाता है। ऐसा ही हम चुनाव आयुक्त के बारे में करते हैं। परन्तु उसके विषय में परामर्श कम अधिक इस प्रकार का होता है कि चुनाव आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को अन्तिम समझा जाता है। हम इस बोर्ड को किसी प्रकार के अन्तिम प्राधिकार नहीं देना चाहते। यह एक ऐसी प्रक्रिया बन जायगी कि बाद में क्रमशः किसी संकट काल में कार्यवाही में विलम्ब का कारण सिद्ध होगी। सामान्यतः बोर्ड से परामर्श किया जायगा। मैं अपने कमरे में बैठ कर चाय उद्योग की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। वास्तव में हमने बोर्ड से सम्पर्क में रहने के काफ़ी प्रबन्ध किए हैं, प्रायः सप्ताह में दो तीन बार तथा टेलीफोन पर कई बार अधिक सम्भवतः हमें उन से सूचना के प्राप्त करने में कुछ व्यय करना पड़ता है। सम्बन्ध को बनाए रखा जाता है तथा परस्पर परामर्श सम्भव है। परन्तु कठिनाई यह है कि बोर्ड में देश के विभिन्न भागों से सदस्य लिए गए हैं। यदि मुझे उन से परामर्श की आवश्यकता आ पड़े तो मुझे उन सभी लोगों को देश के विभिन्न भागों से आने का यात्रा भत्ता देना पड़ेगा। कुछ मामलों में लोगों के सभी भागों से आने की आवश्यकता नहीं होती है न ही मेरा यह विचार है कि बोर्ड से प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले पर विचार किया जाय, परन्तु मैं ने बोर्ड के सभापति से यह देखने को कहा है कि क्या वह प्रादेशिक बोर्डों को स्थापित कर सकते हैं या नहीं। साथ ही कुछ स्थानीय व्यक्तियों से भी परामर्श किया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोगों के दूर दूर के स्थानों से कलकत्ता आने का व्यय बचा सकेंगे। यदि बोर्ड को क्षमतापूर्वक ढंग से काम करना है तो उसके लिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। हम इसी तरीके से काम करने का विचार करते हैं। परन्तु पहले से परामर्श को संवैधानिक आभार का रूप देने का अर्थ केवल यही होगा कि मुझे एक अउपचारिकता का पालन करना पड़ जायगा तथा इस प्रकार के मामले में मेरा उपचारिकता में विश्वास नहीं है। जो परामर्श दिया गया है, वह आदेशात्मक नहीं है तथा मैं इसे आदेशात्मक स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। मैं आवश्यक अवसरों पर सरकार के अधिकारों में कमी नहीं करना चाहता।

यदि सदन स्वीकार करे तो मैं माननीय सदस्यों की एक दो बातों को मानने को तैयार हूं। श्री जयपालसिंह की विमति टिप्पणी में एक बात यह लिखी है कि बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को बागात का निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिये। उन्हें ऐसा करने से रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह कोई दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न नहीं है कि आप वारेन्ट लेकर तलाशी ले सकते हैं ऐसा निरीक्षण तो आए दिन की सामान्य बात है। इसके बिना बागात में जीवन सा नहीं रहेगा। सम्भवतः किसी अधिकारी की निजी अधिकार पर की गई यात्रा पर आपत्ति की गई है। यह प्रवर समिति की सिफारिश है।

मैं प्रारूप रचना के सम्बन्ध में अपने दो तीन संशोधन रखना चाहता हूं। प्रवर समिति

के फसलों का सम्मान करना मेरे तथा सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से अनिवार्य है। यह फैसला करना सदन का काम है कि किसी सदस्य को यात्रा करने के लिए बोड के सभापति से ऐसा अधिकार प्राप्त करना चाहिये या नहीं। यदि सदन का ऐसा विचार हो तो इस प्रयोजन से उचित शब्दों में प्रस्तुत किए गए किसी संशोधन पर मुझे आपत्ति नहीं होगी।

श्री ए० वी० टामस ने चाय को डाक द्वारा भेजने का सुझाव दिया है। प्रारम्भ में यह बोझ तीन पौंड तक सीमित किया गया था एक अधिसूचना से हमने इसे तक कर दिया है। मैं इस मात्रा को विधिवत बढ़ाने के लिए तैयार हूं तथा इस बारे में किसी संशोधन को स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु मुझे खेद है कि बोर्ड की रचना तथा पूर्व-परामर्श के बारे में सरकार माननीय सदस्यों के विचारों को स्वीकार करने में असमर्थ है। केवल इतना आश्वासन ही दिया जा सकता है कि विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधानों पर ध्यान दिया जायगा तथा बोर्ड के नाम निर्देशन से पहले उन पर विचार किया जायगा। सरकार इस बोर्ड को बहुत सीमा तक स्वायत्त बनाया जाय तथा सिवाय उस अवस्था के जब किसी संकट काल में सरकार कोई निश्चित नीति निर्धारित कर दे, इसे बिना रुकावट के काम करने दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि मैंने सदन को प्रवर समिति में किए गए परिवर्तनों तथा उद्योग की सामान्य स्थिति को तथा इस मामले में सरकार के सामने उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर दिया है।

**कुमारी एनी मस्करीन** (त्रिवेन्द्रम) : क्या मैं जान सकती हूं कि खण्ड ३ भाग (ग) के बारे में माननीय मंत्री का क्या कहना है?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्या इस पर बोल सकती हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"संघ द्वारा चाय उद्योग पर नियन्त्रण तथा उसके निमित्त एक चाय बोर्ड बनाने और भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर सीमा शुल्क आरोपण की व्यवस्था करने वाले इस विधेयक पर जैसा कि इसे प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, विचार किया जाये।"

**श्री ए० वी० टामस** (श्री वैकुण्ठम्) : भारत की लगभग ७८०,००० एकड़ भूमि पर चाय की काश्त होती है और इस से लगभग ६२०,०००,००० पौंड चाय पैदा होती है। संसार भर में लगभग १,२००,०००,००० पौंड चाय खप जाती है, यानी हमारा देश संसार भर की आवश्यकताओं का ५० प्रतिशत से अधिक भाग पूरा करता है। जैसा कि माननीय मंत्री बतला चुके हैं, चाय उद्योग हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि हमें इस उद्योग से १०० करोड़ रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होती है। विगत वर्ष इस उद्योग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सरकार ने एक सदस्य की समिति को उन कठिनाइयों की पूछताछ करने भेजा था किन्तु आप जानते हैं कि यह एक सदस्य वाली समिति कर-संग्राहक समिति थी, अतः उससे अधिक बातों की आशा नहीं की जा सकती थी। और जब इस उद्योग ने रोटी की पुकार की तो इसे पत्थर मिले। इस उद्योग को और भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किन्तु मूल्य बढ़ जाने से पुनः आशा की लहर फैल गई। उक्त समिति ने कई सिफारिशें की थीं किन्तु उन से इस उद्योग को बचाया नहीं जा सका, परिणाम यह रहा कि हजारों श्रमिकों को बेकार रहना पड़ा। अब हमारे

[श्री ए० वी० टामस]

सामने वैसा संकट नहीं किन्तु फिर भी हम अभी कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो पाये हैं मंत्री जी ने इस उद्योग के सुधार के लिये कई बातें सुझाई हैं, किन्तु अधिक अच्छा होता यदि इस महत्वपूर्ण उद्योग को भी विश्वास में लिया जाता और इससे भी परामर्श लिया जाता, और बाद में यदि यह स्वीकार्य होता, तो सहयोग भी प्राप्त किया जाता।

पंचवर्षीय योजना में 'सहयोग' पर बहुत ज़ोर दिया गया है, लेकिन यहां किस का सहयोग प्राप्त किया जाय। मुझे माननीय मंत्री पर पूरा पूरा विश्वास है और मैं उन्हें भली भांति जानता हूं, किन्तु उस से यह अभिप्रेत नहीं कि मैं उन के दृष्टकोण से भी सहमत हो जाऊं। चाय उद्योग के कर्णधारों का सहयोग प्राप्त किये बिना इतनी शीघ्रता से यह विधेयक पारित करना बहुत ही आपत्तिजनक माननीय मंत्री ने श्रम का बखान किया। ठीक है, हमें श्रम में अधिक रुचि है, क्योंकि श्रम हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति है। हम उद्योग वाले स्वयं श्रम का उद्धार करना चाहते हैं। हां, यह भी सही है कि भारतीय चाय उद्योग के लगभग ८० प्रतिशत अंश अभारतीयों के अधिकार में हैं——किन्तु हम अभी उन्हें यहां से निकाल नहीं सकते, यदि आप उन्हें निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए हां, एक बात ज़रूर है कि हम अपने इस देश में किसी बिदेशी का प्रभुत्व सहन नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इस बगीचा उद्योग में भी कई अभारतीयों का प्रभुत्व है। मैं इसी उद्योग में काम करता रहा हूं, और पूर्व-स्वतंत्रता दिनों में मैं इन यूरोपीयों का मुक़ाबला करता रहा हूं। किन्तु अब वह बदल चुके हैं, और बहुत ही भद्रता से हमारे साथ पेश आते हैं। यह भी बताया जा चुका है कि इस देश में रहने वाले यूरोपीयों के पास लगभग ८० प्रतिशत अंश हैं। ठीक है, किन्तु उनकी सम्पत्ति यहीं है भूमि यहीं है, और वे जो भी पैसा खर्चते हैं यहीं पर खर्चते हैं——इसके साथ यह भी याद रखना चाहिये कि भारत में उत्पादित की जाने वाली कुल चाय का लगभग ६० या ७० प्रतिशत भाग इंग्लैण्ड चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें निकाल नहीं सकते। और ऐसा करने में कोई तुक भी नहीं जबकि हम इन दिनों लोगों से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। भले ही वे बुरे हों, चूंकि वे इतने समय से हमारे यहां साथ-साथ रहे हैं, अतः वे और किसी विदेशी जाति से अधिक अच्छे हैं——मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें और किसी विदेशी जाति की चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिये।

भारतीय चाय बाज़ार वृद्धि बोर्ड, जिसमें कई भारतीय प्रतिनिधि थे और जिसका कार्यालय लन्दन में था, कुछ देर तक काम करता रहा, लेकिन हमने सुना कि भारतीय प्रतिनिधि कभी कभी बैठक में उपस्थित रहा करते थे। और अभी कुछ समय हुआ कि कुछ अमरीकियों ने उन के साथ अलग से बातचीत की। अब यद्यपि उस अमरीकी विक्रय प्रचार समिति में भारत का प्रतिनिधित्व भी है, तथापि श्री लंका, भारत और हिन्देशिया को कुल मिला कर ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है। भारत को लगभग २१ लाख रुपये, श्री लंका को १६ लाख रुपये और हिन्देशिया को एक छोटी सी रक़म देनी पड़ती है। इसका यह अभिप्राय है कि इस नई व्यवस्था में ये तीन देश कुल मिला कर दो तिहाई अंशदान देते हैं और अमरीकी चाय व्यापारी एक तिहाई दिया करते हैं। पहले यह होता था कि यदि हम एक डालर या एक रुपया दिया करते तो अमरीका भी एक डालर या एक रुपया दिया करता और इस तरह प्रचार चलता और अब हमें अधिक देना पड़ता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप इस भाषण को अगले दिन पर रखें यदि अधिक समय लेना हो।

माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की इच्छा के अनुसार, अब उद्योग (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक को ही पहले लिया जाय। इसके निपटाने के बाद पहले के इस विधेयक को लिया जायगा।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : इस परिवर्तन का कारण क्या है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे दिनांक ४ के लिये निश्चित किया जा चुका है, किन्तु इसमें समय लगेगा।

**इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, ४ मई, १९५३ को सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।**